लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र

Fourth Session

Preservation D...
17-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 54—बुद्धवार 1 मई, 1968/11 वैशाख, 1890 (शक)

No. 54—Wednesday 1 May, 1968/Vaisakha 11, 1890 (Saka)

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता. प्र. सं. S. Q. Nos.			
1557.	एशिया फान्डेशन	Asia Foundation	439
1577.	एशिया फाउन्डेशन	Asia Foundation	440—43
1559.	प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति सम्बन्धी विदेशी प्रसारण	External Broadcast on Ancient Indian History and Civilization	443—44
1560.	काठमाण्डू कोदरी सड़क	Kathmandu-Kodari Road	344
1561	वर्मा के आदिम जातीय लोगों द्वारा विद्रोही नागाओं की सहायता	Help to Naga Hostiles by Burmese Tribesmen	445—50
1565.	उत्तर प्रदेश के लिए धन	Funds for Uttar Pradesh	450—52
1566.	संसद सदस्यों के लिए अस्त्र	Firearms for Members of Parliament	452
1567.	अमरीकी पैटन टैंकों का पाकिस्तान को हस्तांतरण	Transfer of U.S. made Patton Tanks to Pakistan	452—54
अ. सू. प्र. सं. S. N. Q. Nos.			
28.	दिल्ली में आकाशवाणी के ट्रांसमिशन स्टेशन के निकट झाड़ियों में आग लगने की घटना	Bush Fire Close to A.I.R. Transmission Centre, Delhi	454—56
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.			
ता. प्र. सं. S. Q. Nos.			
1558.	चौथी योजना	Fourth Plan	456
1562.	फिल्म निर्माताओं द्वारा धोखा दिया जाना	Defrauding by Film Producers	456

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
1563. इलैक्ट्रानिकों का विकास	Development of Electronics	456—57
1564. सशस्त्र सेनाओं में गुरखा सिपाही	Gurkha Soldiers in Armed Forces	457
1568. सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी	Retired Military Officers	457
1569. राष्ट्रीय भावना पर फिल्में	Films on Nationalism	457—58
1570. पाकिस्तान कूच-बिहार सीमा	Pakistan-Cooch-Bihar Border	458
1571. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशनों का पुनरीक्षण	Revision of Pension of Ex-Servicemen	458—59
1572. तारापुर परमाणु बिजलीघर से बिजली	Electricity from Tarapur Nuclear Power Plant	459
1573. वियतनाम	Vietnam	459
1574. लन्दन में श्री जयप्रकाश नारायण की श्री फिजो तथा पादरी माइकल सकार्ट के साथ भेंट	Shri J.P. Narayan's meeting with Mr. Phizo and Rev. Michael Scott in London	459—60
1575. अल्प-विकसित देशों से अमरीका में आने वाले विशेषज्ञ	Experts coming to U.S.A. from Under-developed Countries	460
1576. श्रीलंका और बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति	Properties of Indians in Ceylon and Burma	460
1578. भारतीय समाचार एजेंसियों के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Indian News Agencies	461
1579. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of Goods in H.A.L.	461
1580. चीनी दूतावास में भारतीय कर्मचारियों के बारे में चीन सरकार द्वारा दिया गया विरोध पत्र	Protest lodged by Chinese Government regarding Indian Employees in Chinese Embassy	461—62
1581. पाकिस्तान द्वारा युद्ध जैसी तैयारियां	Threatened Attack on India by Pakistan	462
1582. चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee's Reports	462—63
1583. आकाशवाणी से रूसी, चीनी, जापानी तथा पुर्तगाली भाषाओं में समाचारों का प्रसारण	News in Russian, Chinese, Japanese and Portuguese Languages	463
1584. वियतनाम में युद्ध-पीड़ितों के लिए सहायता	Help for Victims of War in Vietnem	463
1585. एच. जे. टी-टी 6 ट्रेलर विमानों के निर्माण के लिए भारत-संयुक्त अरब गणराज्य परियोजना	Indo-U.A.R. Project for Production of HJT-T6 Trailer Planes	464

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता. प्र. संख्या		
S. Q. Nos.		
1586. पाकिस्तान द्वारा सैनिक कार्यों के लिए बांध का निर्माण	Construction of a Bund for Military Purposes by Pakistan	464
श्र. ता. प्र. संख्या		
U. S. Q. Nos.		
9142. लन्दन में भारतीयों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Indians in London	464—65
9143. सैनिक स्कूल, काजाकोडत्तम	Sainik School, Kazakhodittam	465
9144. मंत्रियों की ग्रास्तियाँ ग्रौर दायित्व	Assets and Liabilities of Ministers	465
9145. तिब्बती शरणार्थियों के साथ काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजन	Foreign Nationals Working with Tibetan Refugees	465—66
9146. भारत सरकार की प्रव्रजन नीति	Emigration Policy of the Government of India	466
9147. प्रतिरक्षा सेवाग्रों में धन का गबन	Misappropriation in Defence Services	467
9148, भारतीय नौसेना में मछुवे	Fishermen in Indian Navy	467—68
9149. सशस्त्र सेनाग्रों में ग्रनुसूचित जातियों तथा ग्रादिवासियों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Aboriginals in armed Forces	468
9150. तमिल समाचार पत्रों का विज्ञापन	Advertisements to Tamil Newspapers	468—69
9151. सवाई माधोपुर जिले के लिए सहायता	Aid for Sawai Madhopur District	469
9152. ग्राणविक उर्जा विभाग में इंजीनियर	Engineers in Atomic Energy	469—70
9153. ग्रायुध कारखानों के महा निदेशालय में ग्राशुलिपिकों की ग्रधीक्षकों के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Stenographers as Superintendents in D.G.O.F.	470
9154. दिल्ली में किंग्जवे शक्तिशाली ट्रांसमीटर में एसिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर	Assistant Station Engineers at Kingsway High Power Transmitter, Delhi	470—71
9155. नागाग्रों को चीन से सहायता	Chinese Help to Nagas	471
9156. रानी गायदेलु के पुलिसमैनों को प्रशिक्षण	Training for Rani Guidalo's Policemen	471
9157. दक्षिण ग्रफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताग्रों की भारत-यात्रा	Visit by South African National Congress Leaders to India	472
9158. पाकिस्तान द्वारा निकाले गये भारतीय राजनयिक	Indian Diplomats Expelled from Pakistan	472
9159. तकनीकी ग्रनुसंधान प्रयोगशालायें	Technical Research Laboratories	473

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या		
U. S. Q. Nos.		
9160. प्रधान मंत्री की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा	Prime Minister's visit to South-East-Asian Countries	473
9161. राडार की व्यवस्था	Radar System	473—74
9162. तिब्बती शरणार्थियों के लिए कृषि-बस्तियां	Agricultural Colonies for Tibetan Refugees	474
9163. राष्ट्रीय विकास परिषद्	National Development Council	474
9164 असैनिक प्रयोग के लिए भारत में गोला बारूद का निर्माण	Manufacture of Ammunition in India for Civilian use	474-75
9165. पाकिस्तान को सिख तीर्थ-यात्रियों की यात्रा	Visit by Sikh Pilgrims to Pakistan	475
9166. पंजाब में चलचित्र गृहों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Cinemas in Punjab	475
9167. मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रकाशन	Publications of Cabinet Secretariat	475
9168. राष्ट्रीय चल-चित्र गृह	National Cinema House	475-76
9169. राष्ट्रीय एकता पर चलचित्र	Film on National Unity	476
9170. भाषायी समाचारपत्रों को विज्ञापन	Avertisements to Language Papers	476
9171. युद्ध से प्रभावित भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास	Rehabilitation of War Affected Ex-Servicemen	477
9172. प्रतिरक्षा संबंधी सामान की खरीद	Defence Purchases	477
9173. सैनिक कृषि प्रक्षेत्र	Military Agricultural Farms	477—78
9174. आयुध कारखानों में कार्य करने वाले असैनिक कर्मचारी	Civilians working in Ordnance Factories	478
9175. मुरादनगर आयुध कारखाना	Muradnagar Ordnance Factory	478
9176. सोवियत संघ के प्रशांत सागर नौसैनिक बेड़े केएड-मिरल का भारत आगमन	Visit to India of the Admiral of the Pacific Naval Fleet of Soviet Union	478—79
9178. आकाशवाणी का "टुडे इन पार्लियामेंट" कार्यक्रम	A.I.R. Programme 'Today in Parliament'	479
9179. भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को सहायता	Assistanec to Language Newspapers	479
9180. परमाणु केन्द्रों के निकट कृषि-औद्योगिक कारखाने	Agro-Industrial Complexes near Nuclear Stations	480
9181. मध्य प्रदेश में रेडियो सेट	Radio Sets in Madhya Pradesh	480
9182. भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देना	Employment to Ex-Servicemen	480—81

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या			
U. S. Q. Nos.			
9183.	मध्य प्रदेश में विकास परियोजनायें	Development Projects in Madhya Pradesh	481
9184.	दिल्ली के लिए उच्च-शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmiter for Delhi	481
9185.	आकाशवाणी केन्द्र, मद्रास के व्यापारिक प्रसारण सेवा आरम्भ करना	Extension of Commercial Broadcast to Madras	481—82
9186.	पारपत्र जारी करना	Issue of Passports	482
9187.	संसद् सदस्यों के लिए जारी किये गये अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र	International Passports issued to M.Ps.	482
9188.	लन्दन इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक भूतपूर्व छात्र को सौंपा गया कार्य	Work entrusted to a former student of the London Institute of Strategic Studies	482—83
9189.	एक सैनिक कर्मचारी के घर से कारतूसों की बरामदगी	Recovery of Catridges from the House of Army Personnel	483
9190.	चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण	Violation of Indian Territory by Chinese Soldiers	483
9191.	संस्कृत में समाचारों का प्रसारण	News in Sanskrit	483—84
9192.	नेफा में हवाई जहाज से माल गिराना	Air Dropping in NEFA	484
9193.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रचार अनुभाग	Publicity Wings in Indian Missions Abroad	484—85
9194.	भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	S.C. and S.T. candidates in I.F.S.	485
9195.	एच० एफ०-24 जैट विमान	H.F. 24 Jets	485
9196.	पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दानपात्र खोले जाने की घटना	Opening of Cash Boxes of Gurdwaras in Pakistan	485
9197.	प्रधान मंत्री का विदेशों का दौरा	Foreign Countries Visited by the Prime Minister	486
9198	सेना कमांडरों का सम्मेलन	Conference of Army Commanders	486
9199.	कुआला लुमपुर में क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन	Regional Commonwealth Conference at Kuala Lumpur	486—87
9200.	दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास के लिए अनुसचिवीय सम्मेलन	Ministerial Conference for Economic Development of S.E. Asia	487
9201.	नागाओं द्वारा लेडो-युनान सड़क का प्रयोग	Use of Ledo-Yunan Road by Nagas	487

अ. ता. प्र. सं.
U. S. Q. Nos.

9202.	दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की क्षेत्रीय संधि	Regional Pact of South and South-East-Asian Countries	488
9203.	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	488
9204.	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	488
9205.	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	488
9206.	वाणिज्यिक फर्मों में सैनिक अधिकारी	Army Officers in Commercial Firms	489
9207.	चलचित्र	Cinema Houses	489
9208.	आकाशवाणी के संगीत और नाटक डिवीजन में कारें	Fleet of Transport in Song and Drame Division of A.I.R.	489
9209.	आकाशवाणी के हिन्दी अना उन्सरों की स्वर-परीक्षा	Audition Test for Hindi Announcers	490
9210.	आकाशवाणी में चीफ प्रोड्यूसरों को तदर्थ वेतन वृद्धियों का दिया जाना	Increments given to Chief Producers in A.I.R.	490
9211.	छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों के पिछड़े हुए क्षेत्र	Backward Areas of Chotanagpur and Santhal Paraganas	490—91
9212.	जालंधर के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitter for Jullundur	491
9213.	मैसूर राज्य के समाचार पत्रों में विज्ञापन	Advertisements for Mysore State News Papers	491—92
9214.	टेलीविजन में निर्माताओं तथा वाचकों (एनाउन्सर्स) के वेतन-क्रम	Pay Scales for Producers and Announcers in T.V.	492
9215.	पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas	492
9216.	स्टाफ आर्टिस्टों को धन का वितरण	Distribution of Money to Staff Artists	493
9217.	दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय की प्रदर्शनी शाखा द्वारा व्यय	Expenditure by Exhibition Branch of DAVP	493—94
9218.	अफ्रीकी-एशियाई देशों का फिल्म समारोह	Film Festival of Afro-Asian Countries	494
9219.	पूर्वी पाकिस्तान में स्थित धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए जाने के लिए हिन्दुओं को अनुमति का नहीं दिया जाना	Permission refused to Hindus for visiting Places of Religious Interests in East Pakistan	494
9220.	भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों की बैठक	Meeting of Survey officials of India and Pakistan	494—95

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता.प्र. सं. U. S. Q. Nos.		
9221. उपग्रह संचार केन्द्र, अहमदाबाद	Satelite Communication Centres, Ahmedabad	495
9222. जलगांव में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Jalgaon	495—96
9223. केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की "सिविल सूची"	Civil List of C.I.S. Officers	495
9224. केन्द्रीय सूचना सेवा के स्थायी पद	Permanent Posts in C.I.S.	4.6
9225. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड तीन और चार में भर्ती	Recruitment to Grade III and IV C.I.S. through U.P.S.C.	496—97
9226. केन्द्रीय सूचना सेवा	C.I.S.	497
9227. केन्द्रीय सूचना सेवा में ठेके के आधार पर नियुक्तियां	Appointment on Contract Basis in C.I.S.	497—98
9228. फिल्मों का निर्यात	Export of Films	498—99
9229. केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों द्वारा टेली-विजन के लिए समाचारों का संकलन	C.I.S. Officers Compiling News for T.V.	499
9230. अनुसंधान तथा विकास स्थापनायें	Research and Development Establishments	499
9231. रानी गायदेलु की प्रधान मंत्री से भेंट	Meeting of Rani Guidailo with the Prime Minister	500
9232. नेताजी जांच समिति का प्रतिवेदन	Netaji Enquiry Committee Report	500
9233. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में रूसी भाषा के दुभाषिया	Posts of Russian Interpreters in H.A.L.	500—01
9234. आम चुनावों के हारने वाले उम्मीदवारों की भारतीय राजदूतों के रूप में नियुक्ति	Appointment of defeated candidates in General Election as Indian Ambassadors	501
9235. पंजाब में पत्रकारों को पुरस्कार	Award to Journalists in Punjab	501—02
9236. वैदेशिक कार्य मंत्रालय में प्रशासन का सुव्यवस्थीकरण	Streamlining of Administration in External Affairs Ministry	502
9237. चीन में बने पैराशूटों का बरामद किया जाना	Recovery of Parachute of Chinese Origin	502
9238. आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के साथ करार	Contract with Staff Artistes of A.I.R.	503
9239. रूस की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु बिजली घर की स्थापना	Nuclear Power Plant in East Pakistan with Soviet Aid	503

अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.			
9240.	भूतपूर्व सैनिकों से ज्ञापन	Memorandum from Ex-Servicemen	503—04
9241.	भारतीय वायुसेना के डकौटा विमान की दुर्घटना	Crash of Indian Air Force Dakota	504
9242.	पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता	U.S.A. Military Aid to Pakistan	504—05
9243.	डा० धर्म तेजा	Dr. Teja	505
9244.	सेवा-निवृत प्रतिरक्षा कर्मचारियों के पेंशन के मामले	Pension Cases of Retired Defence Personnel	505
9245.	"मेरा नाम जोकर" फिल्म	Film 'Mera Nam Joker'	505—06
9246.	सेंसर द्वारा फिल्मों को काटकर पास किया जाना	Indian Films passed by Censors with Cut	506
9247.	चलचित्रों को मनोरंजन कर से छूट	Exemption of Films from Entertainment Tax	506
9248.	फिल्म उद्योग में विवादों का निपटारा	Settlement of Disputes in Film Industry	507
9249.	वीरगति-प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का लाभ	Pensionary Benefits to War Widows	570
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	
भारत के राष्ट्रपति द्वारा डाक तथा तार विभाग के लिये खरीदी गई भूमि को जम्मू तथा काश्मीर में उधमपुर के सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर करने से इन्कार		Refusal of Sub-Registrar of Udhampur in Jammu and Kashmir to Register the land purchased by the President of India for the Posts and Telegraphs Department	507—09
	श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Sri. Mahant Digvijay Nath	508
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	508
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		Re. Question of Privilege	509
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Paper Laid on the Table	510
सभा का कार्य		Business of the House	510
सभापति तालिका		Panel of Chairmen	510
सदस्य की दोषसिद्धि (श्री कामेश्वर सिंह)		Conviction of Member (Shri Kameshwar Singh)	510—11
तारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर में शुद्धि		Correction of Answer to SQ. No. 282 re. Hindus in Pakistan	511
निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य (गोरखपुर में रेलवे संचार सेवा के बारे में) और मंत्री महोदय का उत्तर		Statement by Member under Direction 115 (Re. Railway Communication Service at Gorakhpur) and Railway Minister's Reply thereto	511
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	511
	श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C.M. Poonacha	511—13
समिति के लिये निर्वाचन		Election to Committee	513

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee for National Cadet Corps	513
वित्त विधेयक, 1968	Finance Bill, 1968	513
खण्ड 2 से 44 तथा 1	Clause 2 to 44 and 1	514
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	515
श्री कवंर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	544
श्री द्वा. ना. तिवारी	Shri D.N. Tiwary	545
श्री पीलू मोडी	Shri Ploo Mody	545
श्री कुशक बाकुला	Shri Kushak Bakula	545—46
श्री मधुलिमये	Shri Madhu Limaye	546
डा. गोविन्द दास	Dr. Govind Das	546
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohammad Bakshi	546
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	546—47
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	547
श्री बैजनाथ कुरील	Shri B.N. Kureel	547
श्री शिवाजीराव शं. देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	547
पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों की स्थिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion re. situation in Eastern Frontier areas	548—51
श्री कवंरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	548—49
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	549—50
सूती कपड़े के उत्पादन और विपणन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Production and marketing of cotton textiles	551
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	551

लोक–सभा
LOK—SABHA

बुधवार, 1 मई, 1968/11 बैशाख, 1890 (शक)
Wednesday, May 1, 1968/Vaisakha 11, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण राव ।

श्री क० नारायण राव : प्रश्न संख्या 1557 ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या 1577 भी ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

एशिया फाउण्डेशन

***1527. श्री क० नारायण राव** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऐसे कोई संस्थान हैं, जिन्हें 1965-66 और 1966-67 में एशिया फाउण्डेशन से धन प्राप्त हुआ था ।

(ख) क्या एशिया फाउण्डेशन को अनुदानों के बन्द किये जाने के फलस्वरूप भारत में ऐसे कुछ संस्थानों को भारत सरकार की ओर से तदर्थ पर कोई अनुदान मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या है; और

(घ) ऐसे तदर्थ अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एशिया फाउण्डेशन ने 1965-67 के दौरान जिन संस्थाओं को धनराशि दी थी उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

एशिया फाउन्डेशन

*1577. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया फाउन्डेशन ने भारत में अपने कार्यालय बन्द कर दिये हैं;

(ख) क्या एशिया फाउन्डेशन ने जो अमरीकी सी० आइ० ए० की एजेंसी बताई जाती है एक स्थानीय जन तथा प्रेस सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया है;

(ग) क्या प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इंडिया तथा कई समाचार पत्रों को एशिया फाउन्डेशन से धन मिलता था; और

(घ) एशिया फाउन्डेशन द्वारा किन-किन पत्रकारों तथा संवाददाताओं या उनके निकट रिश्तेदारों को अधिछात्र वृत्तियां तथा यात्रा अनुदान देकर संरक्षण दिया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एशिया फाउन्डेशन धीरे-धीरे करके भारत में अपने कार्यालय को बन्द कर रहा है। इस काम के पूरा होने में अभी कुछ महीने और लग जायेंगे।

(ख) भारत सरकार को स्थानीय जन एवं प्रेस सम्पर्क के लिये किसी व्यक्ति की नियुक्ति के विषय में सरकार को कोई सूभग नहीं है।

(ग) और (घ) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें इस फाउन्डेशन द्वारा पत्रकारों, अखबार वालों तथा प्रेस इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया को और दूसरों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में सूचना दी गई है। बहरहाल, इतना कह देना चाहिए कि प्रेस इंस्टीट्यूट ने 1967 में यह बात मालूम पड़ने पर कि एशिया फाउन्डेशन को सी० आइ० ए० से धन मिलता है 75,000/- रुपये की रकम वापस लौटा दी थी।

श्री क० नारायण राव : अध्यक्ष महोदय, सूची से स्पष्ट है कि कई शिक्षा संस्थानों को एशिया फाउन्डेशन से वित्तीय सहायता मिलती रही है। चूंकि अब एशिया फाउन्डेशन ने अपनी वित्तीय सहायता में कटौती कर दी है तो इनमें से अधिकतर संस्थानों के सम्मुख गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस बात को देखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस संकट के कारण इन संस्थानों के काम को क्षति ने हो और यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें कोई वित्तीय सहायता देगी और यदि हां, तो उसका मानदण्ड क्या होगा ?

श्री ब० रा० भगत : इस बात पर मंत्रिमंडल में विचार हुआ था और मंत्रिमंडल ने यह निर्देश दिया था कि सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सभी शोध कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था करने के लिए 50 लाख रुपये की निधि बनायी जाय और अब इस मामले पर शिक्षा मन्त्रालय योजना आयोग के परामर्श से विचार कर रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : यहां फाउन्डेशन के कार्यालय कब बन्द हुए और इन संस्थाओं को किन अभिकरणों द्वारा सहायता दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : कितने कार्यालय ?

श्री स० चं० सामन्त : मेरे मूल प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि फाउन्डेशन के कार्यालय बन्द हो गये हैं।

श्री ब० रा० भगत : एशिया फाउन्डेशन से अनुदान मिलने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । उन्होंने धन वितरण करना बन्द कर दिया है । उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दी जायेगी ।

श्री स० चं० सामन्त : चूंकि कई कार्यालय बन्द किये जा चुके हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन संस्थाओं को सहायता किस प्रकार दी जायेगी ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अभी मामले पर विचार किया जा रहा है लेकिन मेरा अनुमान है कि यह सहायता शिक्षा मन्त्रालय द्वारा दी जायेगी ।

श्री रा० की अमीन : यह देखते हुए कि एशिया फाउन्डेशन को धन सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहा था—यह सच है कि उन्हें सी० आइ० ए० से पैसा मिल रहा था जो अब बन्द हो गया है—क्या मैं जान सकता हूं कि इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ लॉ, जिसके महा सचिव शायद श्री नारायण राव हैं और जिसके संस्थापक श्री मेनन थे, को भी सी० आइ० ए० का पैसा मिल रहा है और यदि हां, तो उस धन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री क० नारायण राव : उनका मतलब इंडियन लॉ इन्स्टीट्यूट से है लेकिन वह इंडियन सोसायटी आफ इन्टरनेशनल ला है ।

श्री रा० की० अमीन : हां, क्या इसको सी० आइ० ए० से पैसा मिलता है और यदि हां, तो क्या अब वह बन्द हो गया ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने उन संस्थाओं की सूची दी है जिन्हें 1965, 1966 और 1967 में धन मिलता रहा है । माननीय सदस्य इसको ध्यानपूर्वक देखें और पता करें कि उन्हें कितना धन मिल रहा था ;

Shri Devan Sen : May I know whether Asia Foundation is working under different names and whether it is functioning in these names or not ?

American Council of R.M. Mission in Kedagaon,
Labeeb Literary Fund in Calcutta and Bihar,
Sisters of Noterdem in Bihar,
Womens Union Society, Jhansi Fatehpur and Kanpur.
American Emergency Committee on Tibetan Refugees
Maharashtra Bible Mission.

Shri B. R. Bhagat : The question of giving grant by Asia Foundation under another name does not arise because the Asia Foundation cannot give grant to any such institution or to these institutions through other institutions. We have stopped it.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या यह सच है कि कई शिक्षा संस्थाएं जो ये अनुदान लेती रही हैं उन्हें यह पता नहीं था कि फाउन्डेशन को सी० आई० ए० से पैसा मिल रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है क्योंकि एक संस्था, प्रेस इन्स्टीट्यूट, से जैसे ही यह पता चला कि उन्हें पैसा सी० आइ० ए० से मिलता है तो उन्होंने फौरन पैसा वापस कर दिया, कुछ बहुत अच्छे शोध कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था, विशेषकर सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में, फाउन्डेशन द्वारा की जा रही थी उन्हें हमने लेने का निर्णय कर लिया है ताकि अच्छा काम चलता रहे ।

श्री हेम बरुआ : एशिया फाउन्डेशन के प्रतिनिधि ने कहा है कि फाउन्डेशन को अब सी० आइ० ए० से पैसा नहीं मिल रहा है। चूंकि भारत की जिन कई शिक्षा और शोध संस्थाओं जैसे गांधी अध्ययन संस्थान को फाउन्डेशन से सहायता मिल रही थी वे अब संकट का सामना कर रही हैं और चूंकि फाउन्डेशन द्वारा जो भी सहायता दी जाती थी और वह केन्द्र सरकार के माध्यम से दी जाती थी और अभी भी 4 लाख डालर के आवेदन पत्र फाउन्डेशन के पास पड़े हुए हैं तो क्या सरकार अपने आदेशों को बदलने का विचार कर रही है चूंकि एशिया फाउन्डेशन को सी० आर० ए० से सहायता नहीं मिल रही है ।

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यद्यपि यह सच है कि एशिया फाउन्डेशन के इन सब अनुदानों को बन्द कर दिया गया है और यह स्वीकार करते हुए भी कि जिनको अनुदान प्राप्त हुए हैं उन्हें यह पता नहीं था कि यह पैसा कहां से आता है, अन्ततोगत्वा यह स्पष्ट है कि यह धन जन कल्याण के लिए नहीं आता था बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से आता था, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह धन प्राप्त करने वालों ने देश के अहित में प्रयोग नहीं किया है ?

श्री ब० रा० भगत : क्या आपका तात्पर्य एशिया फाउन्डेशन के धन से है ? गृह-कार्य मंत्रालय विदेशी धन के उपयोग के प्रश्न पर विचार कर रहा है और निश्चित रूप से वे इन मामलों की जांच कर रहे हैं लेकिन अब हमने इस फाउन्डेशन से वितरण को रोक दिया है अतः यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है ? मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा हैं। कई संस्थाओं को जब दान मिल रहा था तो पता रहा होगा कि पैसा कहां से आता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह रोक दिया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब उन्हें फाउन्डेशन से पैसा मिलता था तो वे अपनी कार्यवाइयाँ चलाते थे। लेकिन अब वह साधन बन्द हो गया है तो उनकी कार्यवाइयों का क्या होगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा है कि गृह मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कब तक ?

Shri Madhu Limaye: They are making fool of us for the last fourteen months. No reply has been received so far.

Shri B. R. Bhagat: The Hon'ble Member should realize that action has been taken. Their activities have been stopped.

Shri Madhu Limaye: The Ministry of **Home Affairs** have adopted these dilatory tactics.

श्री बलराज मधोक : मैं एशिया फाउन्डेंशन से मिलने वाले अनुदानों के बन्द करने के निश्चय का स्वागत करता हूं पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि एशिया फाउन्डेशन के अलावा ऐसे और कई फाउन्डेशन हैं जो भारतीय व्यक्तियों और संस्थाओं को तदर्थ अनुदान देते हैं। वह धन चाहे सी० आइ० ए० हो या नहीं, पर तब भी इसका व्यक्तियों और संस्थाओं पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक व्यक्तियों का सवाल है वह उनके मास्तिष्क में बौद्धिक दासता का

सृजन करता है और देश विदेश के प्रति उनका लगाव बनाता है जिससे उनकी विचार धारा दूषित हो जाती है। संस्थायें इस धन का उपयोग करती है क्योंकि उनको यह सरलता से ही सुलभ हो जाता है। इसलिये वे अपनी इमारतें बनाते हैं और अपना व्यय बढ़ा लेते हैं लेकिन जब अनुदान बन्द हो जाता है तब वे उन संस्थाओं को नहीं चला सकते। इस प्रकार एक कठिनाई पैदा हो जाती है। क्या सरकार ऐसी नीति बना रही है कि कोई भी विदेशी संस्था या फाउन्डेशन किसी भी व्यक्ति और संस्था को शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार से परामर्श किये बिना कोई अनुदान न दे ताकि धन का उपयोग वहां किया जा सके जहां वास्तव में उसकी आवश्यकता है या जहां भारतीय मुद्रा या जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : इस बड़े सवाल पर गृह मन्त्री विचार कर रहे हैं। यह ठीक है कि हमें विदेशों से कोई धन यहां नहीं आने देना चाहिये जिससे हमारी स्वतन्त्रता और सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़े। इस सवाल पर विचार किया जा रहा है।

External Broadcast on Ancient Indian History and Civilization

***1559. Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Information aud Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the children of Indians living abroad are ignorant of ancient Indian history and civilization and they are anxious to have that knowledge ;

(b) if so, whether Government have made any arrangements to broadcast programmes throwing light on Indian histcry and culture in the External Service of All India Radio;

(c) if so, nature thereof; and

(d) if not, the reasons therefor and when such arrangements are proposed to be made ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : आकाशवाणी की विदेशी सेवा के कार्यक्रमों के अन्तर्गत वार्त्ताओं, संवादों, रूपकों आदि में भारतीय जीवन, विकार संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डाला जाता है। इन कार्यक्रमों में नियमित रूप से भारतीय संगीत भी प्रसारित किया जाता है।

Shri O.P. Tyagi : Is the Government aware that the Veda is the oldest book of the World and its philosophy teaches the welfare of the human being and from this point of view it is propogated in countries like Germany, Indonesia etc. If so, whether the Government proposes to utilize the media of All India Radio for its propagation : and if not, the reasons therefor ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भारतीय जीवन दर्शन, संस्कृति और सभ्यता से सम्बन्धित वार्ताएं आकाशवाणी की विदेश सेवा कार्यक्रमों में प्रसारित की जाती हैं। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि ऋग्वेद उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रन्थों का पाठ प्रसारित किया जाता है। भारतीय संस्कृति और इतिहास पर भी वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं।

Shri O.P. Tyagi : I have asked a specific question. Vedas do not relate to any country, time, caste etc. They preach the welfare of all. Its philosophy is broadcast by Germany and Indonesia. I want to know the reason for its non broadcast on the All India Radio.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जब माननीय सदस्य जर्मन और अन्य देशों से प्रसारित होने वाले दर्शन की बात करते हैं; तो क्या वे बतायेंगे कि उनका तात्पर्य किस दर्शन से है ?

श्री बलराज मधोक : प्रश्न यह है कि भारयीय मूल के बहुत से व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय संस्कृति और इतिहास के विषय में कुछ नहीं जानते और वे कुछ जानना चाहते हैं। हमारी आकाशवाणी की विदेश सेवा भारतीय इतिहास, संस्कृति आदि सम्बन्धी कार्यक्रमों में कुछ वार्ताएं प्रसारित की जानी चाहिए।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैंने यही कहा है। हम भारतीय इतिहास संस्कृति आदि पर वार्ताएं प्रसारित करते हैं। प्राचीन ग्रंथों पर भी वार्ताएं होती हैं और विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों आदि से पाठ प्रसारित किये जाते हैं।

Shri O.P. Tyagi : Whether the Government is aware that the people of Indian origin who have settled in Guinea, British Guinea, Maritius are forgetting the language, religion, culture, literature and history ? Whether the Government is also aware that our classics like Ramayan and Mahabharata give a glimpse of our ancient history and culture ? If so, whether the Government propose to propagate Ramayana and Mahabharata through the All India Radio and if not the reasons thereof ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी हां, आकाशवाणी से रामायण और महाभारत पर वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने सरकार को आकाशवाणी से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कहा है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

Shri Ramgopal Shalwale : One direct reason of neglecting the Indians living abroad is the neglect of A.I.R. programmes on ancient history, philosophy and culture. Will the Government reduce the latest communal and immoral cinema-like programmes and guide the Indians abroad by the ancient culture based on the Vedas ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : आकाशवाणी के विदेश सेवा कार्यक्रमों का मुख्य कारण विदेशी श्रोताओं को भारतीय दृष्टिकोण बतलाना और भारत की तसवीर पेश करना है। हमारे साधन बहुत सीमित हैं और हम उनके होते हुए भी विदेशियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने देश की संस्कृति, इतिहास आदि की जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Sheo Narain : Will the Members of Parliament, authority on Vedas, the scholars of culture and history get an opportunity to broadcast on the All India Radio ?

Mr. Speaker : You will get the invitation.

Shri Sheo Narain : Mine is a straight question and the Hon'ble Minister should reply to it.

Shri Hukam Chand Kachwai : It is a wonderful question.

Shri Sheo Narain : Will those Members of Parliament who are Professors or Acharyas be invited for talks ?

अध्यक्ष महोदय : इस विचार पर सुझाव किया जाना चाहिये।

काठमान्डू कोदरी सड़क

*1560. **श्री श्रद्धाकर :**

श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 26 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 736 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों को नेपाल में काठमान्डू कोदरी सड़क पर जाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में और क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : माननीय सदस्यों का ध्यान 17 जुलाई, 1967 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 1196 के उत्तर में बताए गए तथ्यों की ओर दिलाया जाता है। तब से भारत सरकार के देखने में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें कि कोई भारतीय राष्ट्रिक अपात्र ठहराया गया हो । इस कारण, कोई और कार्यवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : बारा बिसा और काठमान्डू के बीच कितना अन्तर है जिससे परे भारतीय मूल के लोग नहीं जा सकते ? और बारा बिसा और चीनी सीमान्त के बीच कितना अन्तर है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : बारा बिसा और काठमान्डू के बीच लगभग 80 किलो मीटर का अन्तर है। बारा बिसा से नेपाली और चीनी सीमान्त लगभग 25 किलोमीटर दूर है । यह कहना ठीक नहीं है कि भारतीय राष्ट्रिक बारा बिसा से परे नहीं जा सकते । वास्तव में, जब कभी उन्होंने बारा बिसा से परे जाने की आज्ञा मांगी- तो हमेशा आज्ञा दी गयी ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सड़क के परे सीमान्त पर सेना का जमाव है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सड़क के सम्बन्ध में है ।

श्रीमती तारा सप्रे : क्या नेपाल में रहने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिक नये बिसा से परे जा सकते हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : आज्ञा-पत्र के बिना लाये बिसा से परे कोई भी विदेशी राष्ट्रिक नहीं जा सकता ।

बर्मा के आदिम जातीय लोगों द्वारा विद्रोही नागाओं को सहायता

*1561. **श्री श्रीधरन :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा और बर्मा के कुछ आदिम जातीय लोग विद्रोही नागाओं की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की सहायता कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो आदिम जातीय लोगों और विद्रोही नागाओं के इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या इसके बारे में बर्मा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार छिपे नागाओं को बर्मा में रहने वाले तंगसा नागाओं से और काचिनों से कुछ सहायता मिली है।

(ख) गैर-कानूनी तरीके से कोई सीमा के पार न आने जाने पावे इसके लिए समुचित उपाय बरते गये हैं।

(ग) बर्मा सरकार को इन संपर्कों के बारे में मालूम है।

श्री श्रीधरन : महोदय, सरकार ने स्वतन्त्रता के पहले वर्षों में सीमा क्षेत्रों की अत्यधिक उपेक्षा की जिसके कारण समय के साथ-साथ वे अंतरराष्ट्रीय दावपेच जासूसी और तोड़फोड़ के अड्डे बन गये हैं। उत्तर-पूर्वी सीमा पर इस समय बहुत बुरी स्थिति है। जब कभी हम कोई प्रश्न पूछते हैं सरकार केवल एक ही घिसा-पिटा उत्तर देती है कि उचित कार्यवाई कर ली गई है। चीन ने हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़ा भाग हड़प लिया और इसी प्रकार पाकिस्तान ने कच्छ में हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात का स्पष्ट उत्तर दे—प्रधानमंत्री तो इन समस्याओं पर सदा अत्यधिक उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं—कि क्या उचित कार्यवाही की गई है, हम यह कैसे पता लगा रहे हैं कि वहां कुछ जासूसी हो रही है और क्या सरकार के पास गड़बड़ी वाले इस क्षेत्र में नये उपायों का भंडाफोड़ करने के लिए कोई असैनिक या सैनिक गुप्तचर्या अभिकरण हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह बताना बहुत कठिन है कि सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं। हमने सदन को कई बार बताया है कि उचित उपाय कर लिए गए हैं। और स्थिति का समय-समय पर अध्ययन किया जाता है। इस मामले की सतत जांच की जाती है और अवैधानिक घुसपैठ को रोकने के लिए सभी आवश्यक कारवाई की जाती है।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं केवल इतना कह दूं कि हम कोई उपेक्षा नहीं बरतते।

श्री श्रीधरन : जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है सदा उन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है।

श्री स्वैल : अवैधानिक घुसपैठ क्या होती है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं आपको फिर बुलाऊंगा।

श्री श्रीधरन : वहां दो अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां काम कर रही हैं। एक शक्ति चीन है जो इस क्षेत्र में घुसपैठ कर कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही हैं। दूसरी शक्ति पश्चिमी देशों की हैं जो बर्फ के माध्यम से काम कर रही हैं। ये दोनों शक्तियां इस क्षेत्र में बड़ा संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या भूमिगत नागाओं का अपर बर्मा के करेनों से कोई सम्बन्ध है जो बर्मा में एक स्वतन्त्र राज्य की मांग कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह पहले कहा जा चुका है और सरकार ने स्वीकार किया है कि कुछ उग्रवादी भूमिगत नागाओं ने चीन के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया है और वे बर्मा से

चीन गये हैं। कचिनों ने उनकी सहायता की है। यह भी सच है कि बर्मा में रहने वाले कचिन या नागा भारत के भूमिगत नागाओं का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनकी वृहत् और स्वतन्त्र नागालैंड की साझी आकांक्षा है।

श्री स्वेल : माननीय उप-मंत्री महोदय ने मेरे माननीय साथी श्री श्रीधरन के प्रश्न का उत्तर देते हुए एक अद्भुत बात कही। उन्होंने "अवैधानिक घुसपैठ" कहा। जहाँ तक मुझे मालूम है, स्थिति नागाओं के भारत से बाहर जाने की है न कि बाहर से लोगों की नागालैंड में आने की, खैर मैं यह प्रश्न नहीं पूछना चाहता, समय-समय पर समाचार-पत्रों से हमें यह रिपोर्ट मिलती रहती है कि बर्मा की सीमा में प्रवेश करने के बाद, नागाओं को बर्मा के बड़े-बड़े ट्रकों द्वारा ले जाया जाता है। क्या यह सच है ? क्या उत्तर बर्मा में सड़कें हैं विशेष रूप से क्या पुरानी लेडो-उनान सड़क उत्तर बर्मा से गुजरती है ? क्या सरकार का ध्यान आज के समाचार-पत्र में छपे इस समाचार की ओर गया है कि श्री क़ैटो, जिन्होंने नागालैंड में एक सैनिक सरकार बना ली है, चीन गये हुए नागाओं से वापस आने पर लड़ने की पेशकश की है ? और यदि हां तो क्या सरकार इसका लाभ उठाकर श्री कैटो के हाथों में हथियार देगी ताकि वे चीन गये हुए नागाओं से लड़ सकें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वहाँ कोई सड़क नहीं है और हमें पता है कि कचिन भूमिगत नागाओं की सहायता कर रहे हैं। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमने समाचार पत्र की रिपोर्टें देखी हैं और हमें समाचार मिले हैं कि उग्रवादी नागाओं के बीच मतभेद हो गया-है। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए इससे अधिक कहना उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि प्रोफेसर स्वैल स्थिति को समझते हैं। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि हम स्थिति को निकट से देख रहे हैं और जो भी सर्वाधिक हित में होगा, वह करेंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों के विषय में जब भी कभी प्रश्न पूछा गया है, यही उत्तर रहा है "हम स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं, हम लोग, जो इस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, यह नहीं समझ सकते कि नागा समस्या और नीति वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन क्यों हैं ? क्या नागा भारतीय हैं ? क्या वह भूमि जिसमें वे रहते हैं, भारत की है ? यदि हाँ, तो उन उग्र लोगों और देशघाती लोगों की समस्या को गृह मत्रालय क्यों नहीं सुलझाता। यह कहने के बजाय "हम स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं" अधिक जानकारी देना जनहित में नहीं है हम चाहते हैं कि बात स्पष्ट कर दी जाय। हम जानकारी नहीं चाहते, कार्रवाई चाहते हैं। क्या कार्रवाई की गई है ? यदि कार्रवाई की गई है तो मंत्री महोदय यह क्यों कहते हैं कि उन्होंने (नागाओं ने) सीमान्त पार कर लिया है, वे वापस आ गये हैं, वे फिर चले गये हैं और आ गये हैं ? लोक-सभा को इस प्रकार बरगलाया जा रहा है। इसका अन्त होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस प्रश्न पर लोक-सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। प्रश्न का पहला भाग है कि इन प्रश्नों का उत्तर वैदेशिक कार्य-मंत्रालय द्वारा क्यों दिया जाता है, इस का भी उत्तर दिया जा चुका है और वह यह है कि नागाओं के साथ ऐसा समझौता हुआ है कि यह क्षेत्र इस मत्रालय के अधीन रहे। मैंने सदन को बताया है कि इस प्रश्न पर हम नागालैंड सरकार से बातचीत करेंगे। यह जटिल समस्या है पर बिगड़ती हुई समस्या नहीं है। मेरा विचार

है कि हमें नागालैंड सरकार का समर्थन करना चाहिये और उन्हें स्थिति का मुकाबला करने के लिये मजबूत बनाना चाहिए। हम उनसे निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं।

हर समय कार्रवाई की जा रही है, मैंने पहले भी इसका उत्तर दिया है और मुझे विश्वास है कि अन्य मंत्रियों ने भी बताया होगा कि पहले कुछ नागा बाहर चले गये थे। हम सीमा क्षेत्र को मजबूत बनाने के काम में तेजी ला रहे हैं ताकि वे सीमा पार न कर सकें। लेकिन इससे पूर्ण रूप से बन्द करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि वहां बहुत घने जंगल हैं और बहुत कठिनाइयों वाला क्षेत्र है। परन्तु मेरा विचार है कि उनके सीमान्त पार करने की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है अर्थात उन्हें रोका जा रहा है।

Shri Onkarlal Bohra : There is a rule that we should not only uproot the evil but also the forces behind it. Is this really a problem of Naga rebels or tribals of Burma or this is the problem created by the Western Powers who have fanned the revolution by conversion for the last so many years because of which our Eastern Frontier is in danger? Have the British imperialism according to their tradition, not created anti-Indian feelings through such people like Father Scott?

Shrimati Indira Gandhi : They might have exerted some influence earlier but at the moment there are no foreign elements in that area.

Shri Kanwar Lal Gupta : Just now the Honourable Prime Minister has stated that the suitable action has been taken but the action taken does not suit in the present circumstances of the area. It is said time and again in the Parliament that the action taken is proving effective but it has not proved so far. I want to inform the House that the situation is deteriorating day by day, the rebel Nagas are increasing the area of their influence, arms are being supplied rapidly and that they are in collusion with Pakistan and China. Will the Prime Minister be pleased to state whether the rebel Naga leaders or so called Ministers, who have disassociated themselves from rebel Nagas have stated at any time from the stage that they are prepared to live within India and if so, whether it does not tantamount to the failure of the present policy, and whether the Government would revise the policy so that the country might be saved?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से बहुत दूर जा रहे हैं। यह प्रश्न बर्मा के लोगों द्वारा सीमा पार करने वाले नागाओं को दी गई सहायता के बारे में है। किन्तु यदि माननीय मन्त्री इसका उत्तर दे रहे हैं तो मुझे इसके लिये कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है।

Shri Kanwar Lal Gupta : But I have said about Nagaland.

Shrimati Indira Gandhi : He had said that our policy is wrong. The question asked by Prof. Swell proves that our policy is not wrong. If we say anything here in this connection, we shall have to see as to what would be its effect there.

Shri Balraj Madhok : May I know whether they have ever said that they are ready to settle in India?

Shrimati Indira Gandhi : It is not such a simple question and it would not be proper to reply it publicly.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, she is making a very dangerous statement.

Shri Bal Raj Madhok : She always takes shelter like this. The other day she had said that she would hold a meeting to discuss this point with the leaders of the opposition.

Shrimati Indira Gandhi : Yes, we are very soon fixing a date for such a meeting.

श्री धीरेश्वर कलिता : भारत, बर्मा और चीन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। अब ऐसा लगता है कि उस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को एक फुटबाल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां लोग अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। किन्तु हमारी सरकार ने स्वीकार किया है कि हजारों छिपे नागा चीन और बर्मा जाते हैं वहां प्रशिक्षण लेते हैं और वापस आ जाते हैं। इस सरकार ने छिपे विद्रोहियों के साथ कुछ समझौता किया है और वहाँ युद्ध विराम है। क्या युद्ध विराम समझौते में यह दिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाले लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए ? यदि नहीं तो सरकार उन लोगों को क्यों नहीं रोक पाती ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सीमा पार करना समझौते का उल्लंघन करना है। हम इन लोगों को सीमा पार करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किन्तु यह सच है कि कुछ दल वहां पहले चले गये हैं।

श्री हेम बरुआ : 21 अप्रैल को दीमापुर में हुए सम्मेलन में भी छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों ने कह दिया था कि नागा लोग चीन हथियार लेने जाते हैं। हमारी सरकार ने हमें बताया है कि उन्होंने एक परमिट प्रणाली शुरू की है ताकि विद्रोही चीन जा सकें और आसाम और नागालैंड के नये राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने आदेश दे दिया है कि चीन से हथियार लेकर आने वाले छिपे नागाओं को देखते ही गोली मार दी जाये। क्या हमारी सरकार ने भी नागालैंड में तैनात अपनी सुरक्षा सेनाओं को कोई आदेश दिया है कि चीन से हथियार लेकर आने वाले नागाओं को देखते ही गोली मार दी जाये ? कहा जा रहा है कि कुछ चीनी लोग तिब्बती शरणार्थीयों के भेष में नेफा में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्राप्त समाचार है। यदि हो तो नेफा में चीनी लोगों का प्रवेश रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या मैं अपनी पहले कही गई बात में थोड़ी शुद्धि कर सकती हूं ? सीमा पार करना युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन नहीं हैं किन्तु यह कानून का उल्लघन है।

श्री हेम बरुआ : सो यह उस समझौते के अन्तर्गत नहीं आता।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हथियार लेकर आना समझौते का उल्लंघन है।

श्री धीरेश्वर कलिता : खाली सीसा पार करना उल्लंघन नहीं है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, समझौते के अन्तर्गत नहीं।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा पहला प्रश्न यह था कि क्या छिपे नागा नेताओं के प्रतिनिधियों ने 21 अप्रैल को हुए दीमापुर सम्मेलन में यह स्पष्ट कर दिया था कि छिपे नागा चीन जाकर हथियार लायेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा दूसरा प्रश्न तिब्बती शरणार्थियों के भेष में नेफा में कब्जा करने वाले चीनी लोगों के बारे में था ? दोनों प्रश्नों का ही उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक अतिवादी ग्रुप यह रवैया अपना रहा है और दूसरा ग्रुप, उपद्रवियों में भी, चीन के साथ किसी भी सम्पर्क का विरोध कर रहा है।

श्री हेम बरुआ : किन्तु चीन के साथ सम्पर्क जारी है। हमें इस बात से सन्तुष्ट नहीं होना

चाहिए कि उपद्रवियों का एक गुट चीन जाने का विरोध करता है क्योंकि वे चीन जा रहे हैं और वहाँ से अस्त्र-शस्त्र भी ला रहे हैं ।

श्री क० नारायण राव : राष्ट्र सोहार्द के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को चाहिये कि वह अपने राष्ट्रिकों को दूसरे देशों के असैनिक संघर्ष में भाग लेने से रोके । माननीय उप मंत्री ने बताया है कि बर्मा की सरकार को इसका पता है ? किन्तु क्या सरकार ने इन तथ्यों से बर्मा की सरकार को अवगत करा दिया है और यदि हाँ तो बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारतीय सीमा पर जो स्थिति है उसका बर्मा की सरकार को पूरी तरह पता है और वे हमारे साथ इन लोगों को बाहर जाने या अन्दर आने से रोकने में सहयोग कर रही है ।

Funds for Uttar Pradesh

***1565. Shri Molahu Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state ;

(a) whether the Uttar Pradesh Government have received some funds from the Central Government on the basis of the recommendations of Sample Survey by the Patel Commission and the Uttar Pradesh Government have spent some amount on the development works in Eastern Uttar Pradesh ;

(b) if so, the amount allocated by the Central Government and the amount contributed by the State Government in this regard so far; and

(c) the names of the Districts in which the said amount will be spent in Eastern Uttar Pradesh in accordance with the recommendations of Patel Commission and the amount apportioned to Gorakhpur out of the total allocations?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library. See. No. LT—1113/68]**

Shri Molahu Prasad : In the statement laid on the table of the House it has been stated that the Centre spent Rs. 4 crores in 1964-65 and Rs. 4.5 crores in 1965-66 and the State Government spent 7.04 crores of rupees in 1964-65 and Rs. 7.52 crores in 1965-66. I would like to know the names of the items on which these amounts have been spent and the name of the items on which Rs. 13.97 crores which are estimated to be spent during 1967-68, would be spent ?

Shri B.R.Bhagat : These amounts would be spent on agriculture production, minor irrigation, soil-conservation, animal husbandry, cooperatives, and community development etc.

Shri Molahu Prasad : According to the recommendations of sample survey by the Patel Commission, four districts of Ghazipur, Azamgarh, Deoria and Jaunpur had been included but on the recommendation of the State Government two more districts of Ballia and Basti had also been added. May I know the reasons for not including Gorakhpur and other districts of the Eastern Uttar Pradesh ?

Shri B.R. Bhagat : There is no doubt that there are many other under-developed or undeveloped districts but this work had been done specially on experimental basis. In the beginning only four districts had been included but the State Government had included two districts more. Now in the Fourth Plan integrated development on district basis would be undertaken and all these districts would be included therein.

Shri Molahu Prasad : At present there is no Government in Uttar Pradesh and the administration of that State is in your hands. Therefore, I would like to know whether you are prepared to implement the recommendations of the Patel Commission in these districts.

Shri B.R. Bhagat : There is a Government in Uttar Pradesh. The Government is not in the hands of any party. There is President's rule. In the draft of the Fourth Plan, efforts are being made to remove the problems of the districts and to prepare the plan with a view to achieving the economic development of those districts.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश सारे देश में सबसे कम रहा है, और उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की अपेक्षा, एक योजना पीछे है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में सबसे अधिक है और यह भी ध्यान में रखते हुये कि देश की अर्थ-व्यवस्था सभी राज्यों में एक साथ ही प्रगति करे ।

क्या सरकार उत्तर प्रदेश को पटेल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सभी सम्भव सहायता देने के बारे मे विचार करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय केन्द्रीय सहायता से है तो केन्द्रीय सहायता देते समय जनसंख्या, प्रति व्यक्ति उपभोग और निवेश पर भी विचार किया जाता है । किन्तु किसी राज्य को आर्थिक पिछड़ेपन से निकालने में केन्द्रीय सहायता का योगदान बहुत कम रहता है और अधिक प्रयत्न राज्यो को ही करने होंगे ।

Shri Ramji Ram : I would like to know whether the district Faizabad would also be covered by the recommendations of the Patel Commission because the condition of Faizabad is worse than the eastern districts.

Shri B.R. Bhagat : As I said, Patel Commission had recommended certain ways and means for the economic development of the undeveloped districts. In the beginning 6 districts have been included and from the Fourth Plan other districts would also be covered.

Shri B.N. Kureel : May I know whether it is a fact that the Governor of Uttar Pradesh had sent a report to the Prime Minister on the 12th April, stating therein that the economic condition of Uttar Pradesh is very bad ? If so, what action is being taken thereon ?

Shri B.R. Bhagat : Yes Sir. The report has been received and is under consideration.

Shri Sheo Narain : I would like to say that no work has been done in those 6 districts. Sir, the President's rule has been imposed there. So it is the responsibility of the Government to start that work there. That area is very poor and has been totally neglected. Therefore, immediate action should be taken there and a firm assurance should be given by the Government because the work of the minor irrigation has come to a standstill there.

Shri B.R. Bhagat : It is not true that the work there has come to a standstill. In 1967-68, Rs. 14 crores have been spent. But it is a fact that the work is not being carried on with the speed with which it should have been carried on. All the plans there are of the State Government and where the Capital could not get accumulated, there the plan was reduced.

श्री रा० कृ० सिंह : चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है । जब तक चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के काम में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जायेगा तब तक मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पहले की तरह ही औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ रहेगा । क्या सरकार संसद के लिये राज्यपाल की मंत्रणा परिषद में नाम निर्देशित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के लिये चौथी योजना को अन्तिम रूप देने के काम में शामिल कर सकेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक अच्छा सुझाव है जिस पर हम विचार करेंगे ।

Shri Jageshwar Yadav : Bundelkhand area of U.P., Jhansi, Jalaun, Hamirpur and Banda are not being developed. May I know whether Government have any scheme to develop these districts also ?

Shri B.R. Bhagat : Yes Sir, in the State Plan of Uttar Pradesh, there is a scheme in regard to the development of the districts of Bundelkhand.

Firearms for Members of Parliament

***1566. Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme for making some weapons available to Members of Parliament at concessional rates for the purpose of their personal protection;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, the scheme proposed to be drawn up in this regard?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Shri Onkarlal Berwa : A person is first elected to the Lok Sabha and thereafter he becomes the Minister. Police guards with guns are provided for the protection of all Ministers at the Government expenses but not even a dog is provided at the residence of a Member of Parliament and the Government have not drawn up any scheme for the protection of M. Ps. An M.P. was deprived of his wrist watch and some currency notes, while he was travelling in a railway compartment. A certain doctor was threatened to be killed. Therefore I would like to know whether Government have drawn up any scheme to provide weapons at fixed prices to M.Ps ? They would purchase at their own expense.

श्री म० र० कृष्ण : यह सच नहीं है कि प्रत्येक मन्त्री की रक्षा के लिये बन्दूक लिये पहरेदार की व्यवस्था की जाती है । यदि संसदीय कार्य मन्त्री और आप महसूस करते हैं कि संसद सदस्य अपनी रक्षा स्वयं नही कर सकते तो जो सुविधायें आप संसद-सदस्यों को देने का विचार कर रहे हैं उनमें सदस्यों को हथियार देने की व्यवस्था करने की बात को भी शामिल किया जा सकता है । फिर बाद में गृह मंत्रालय आसानी से इस पर विचार कर सकता है ।

Shri Onkar Lal Berwa : M. P.'s are not week but the Gernment is week. In the market a cartridge worth eight annas is sold at Rs. 1.25. Therefore I would like to know whether Government propose to draw up any scheme to supply weapons to M.Ps. at fixed rat s

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यदि कोई संसद सदस्य जिसके पास लाइसेंस है । वह कोई हथियार खरीदना चाहता है तो हम उसे कारखाना-द्वारा मूल्य पर हथियार सप्लाई कर सकेंगे ।

Shri Onkarlal Berwa : We would obtain licence but we should be given weapons etc. at controlled rates.

Shri Swaran Singh : I reiterate that we will be glad to provide weapons to them at ex-factory price ?

अमरीकी पैटन टैंकों का पाकिस्तान को हस्तांतरण

*** 1567 श्री योगेन्द्र झा :** **श्री टी० पी०शाह**

श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री भारत सिंह चौहान :

वैदेशिक-कार्य मन्त्री : 3 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6264 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी पैटन टैंकों को पाकिस्तान के नाम हस्तान्तरित न होने देने के लिये किये गये प्रयासों का क्या परिणाम निकला है ।

(ख) क्या पाकिस्तान को पैटन टैंक मिल चुके हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्याप्रति क्रिया है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत सरकार पाकिस्तान को इस तरह के शस्त्रास्त्र बेचने में निहित खतरे की ओर संयुक्त राज्य अमरीका का बराबर ध्यान दिलाती रही है ।

(ख) और (ग) : हमारे पास इस समय जो सूचना सुलभ है, उसके अनुसार, वे अमरीकी सरकार की इजाजत से पाकिस्तान को 100 टैंक बेचेंगे, लेकिन इस सौदे की शर्तें अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुई हैं । भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने में पाकिस्तान की हिचकिचाहट को देखते हुये और इस उपमहाद्वीप के सैनिक संघर्ष में चीन की दिलचस्पी को देखते हुये, पाकिस्तान द्वारा टैंक लेने से दोनों देशों के बीच तनाव और अविश्वास ही बढ़ेगा ।

Shri Bhogendra Jha : We have been requesting America for a very long time not to create tension by increasing the arms supply to this sub-continent. Inspite of this America have created unrest here by supplying tanks, jets etc. to Pakistan and this is in accordance with their policy. I would therefore, like to know whether the Government have received any reply from America in response to their request and if not, till when the Government would await their reply and whether any time limit has been fixed for America to reply to our aforesaid request.

Shri B R. Bhagat : There is no question of making any request. We have in very categorical terms told America that it is a very bad thing on their part. As I said, this increases tension and such an action on the part of America runs counter to their policy of solving such disputes through peaceful methods. The reply received from America is not satisfactory. It is a very serious matter. America says that they are supplying 100 Patton tanks to Pakistan and they would dismantle the old tanks of Pakistan and thus their military force would not be strengthened.

The second plea taken by America is that if they do not help Pakistan, Pakistan would go to China. I have brought everything to their notice. If old weapons are replaced by new ones, this would upset the military balance. Pakistan is taking help from every country and even from China and, therefore, this would have no effect on them. But the reply given by America is not satisfactory. We have been continuously bringing all these facts to the notice of America.

Shri Bhogendra Jha : Previously Pakistan used to say that she needs arms and ammunitions to defend herself against China and America used to say that they have a military pact against China or other Communist countries. Now it has become clear that they have friendship with the present leadership of China in certain matters, even in regard to the supply of arms. In these circumstances the old tanks there, are not for the progress of the factories in Pakistan or for agricultural purposes but they are there for the purpose of launching attacks. In view of this, I would like to know whether the Government of India have the courage to ask America not to give any such weapons to this sub-continent which may help in launching the attack and if America does so, then we would treat it as an

unfriendly act and in that case we would take steps to severe our relations with America. Do the Government of India have the courage to say so or not and if not, what are the reasons therefor ?

Shri B.R. Bhagat : Our severing relations with America is dependent on many factors. But I would like to assure the Hon'ble Member that we are conscious of any danger to our country and we would not compromise with any body in this regard.

Shri Kanwar Lal Gupta : Pakistan has considerably strengthened her Air Force, Navy and Army after 1965 and she has received sophisticated arms not only from China but other Western Powers. Pakistan has received 100, M-47 and 47 tanks NATO surplus through Italy. Besides this, she has purchased Air Jet fighters, bombers etc. from France. Pakistan has already received 15 jet planes and by the end of the next year, they are likely to receive 50 jet planes. She has received submarines also from France. Russia has also offered to supply them spare parts. China is also supplying spare parts to Pakistan. In the olden times, Kings used to help one another in the hour of crisis. We were happy that Italy would not oppose us as we have had relations with that country. Have you asked Italy not to supply tanks etc. to Pakistan because thereby our defence would be endangered ? Have you also asked Russia as to why they are supplying spare parts to Pakistan ?

Shri B.R. Bhagat : We know the military strength of Pakistan and the extent to which it has been increased and our Defence Minister has said that we always bear in mind all these things at the time of drawing up any plan from the strategic point of view. Therefore, the Members should not feel worried about it. As far as other countries are concerned, we are taking up this matter with them. We have informed Russia about the manner in which Pakistan is getting arms from the other countries. We have told Russia that because of this supply of arms to Pakistan, we are finding it difficult to settle our issues peacefully with Pakistan in accordance with the Tashkent Agreement. They are already aware of these facts and we have also brought these facts to their notice.

श्री हिम्मतसिंहका : पेशावर में अमरीकी इलैक्ट्रानिक सर्वेक्षण प्रणाली के रख रखाव के लिये पाकिस्तान के साथ एक समझौता है और पाकिस्तान उसके बहाने अमरीका से ज्यादा से ज्यादा मदद ले रहा है जबकि वह चीन से भी मदद ले रहा है । क्या हमारी सरकार अमरीका को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि वह पाकिस्तान के शब्दों और कार्यों पर निर्भर न रहे और उसे हथियार सप्लाई करना बन्द कर दे ।

श्री ब० रा० भगत : यह बात सर्वविदित है । मेरे विचार में वे अपने हितों को अच्छी तरह समझते हैं ।

Shri Prakashvir Shastri : The Government of India have lodged a protest with the Government of America against the supply of Patton tanks and weapons to Pakistan. But, has the Government also enquired about the fact that Russia has also assured Pakistan to supply small and new weapons to her ? Has the Government of India lodged any protest with the Government of Russia because after the supply of arms to Pakistan, World peace would again be endangered ?

Shri B.R. Bhagat : We have no information about any military aid given by Russia to Pakistan.

दिल्ली में आकाशवाणी के ट्रांसमिशन स्टेशन के निकट झाड़ियों में आग लगने की घटना

अ.सू.प्र. *28. श्री म० ला० सोंधी : **श्री रवि राय :**

श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री दी० चं० शर्मा :**

सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 अप्रैल, 1968 को हुये अग्निकाण्ड के कारणों की जांच की है,

जिससे दिल्ली के निकट, आकाशवाणी के शक्तिशाली ट्रांसमिटिंग स्टेशन को खतरा उत्पन्न हो गया था ?

(ख) क्या 9—10 घण्टों के बाद आग पर काबू पाया जा सका था;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में अनेक बार आग लगी है और फसलों को क्षति पहुंची है ।

(घ) यदि हाँ, तो भविष्य में ट्रांसमिशन स्टेशन, फसलों तथा जीवन की रक्षा के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (घ) तक : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1114/68]**

Shri Kanwar Lal Gupta : Fire broke out many times there in the past also. I would like to know the extent of the loss suffered as a result thereof and whether it is also a fact that there is no arrangement for water near that place, and the steps being taken to prevent the breaking out of the fire there in future ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह सच है कि वहां 1965, 1966 और 1967 में भी आग लगी थी किन्तु वहां पर किसी सरकारी सम्पत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ । यह भी सच है कि वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । 550 एकड़ के बड़े क्षेत्र में पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है और इस सम्बन्ध में चीफ आफ फायर आफिसर से भी बातचीत की गई है कि वह पानी के लिये भूमिगत जलाशयों के निर्माण की कुछ व्यवस्था करें ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a very big transmitting station of A.I.R. It is true that no damage has been caused to this transmitting station but in view of the fact that there remains good crops near that station and the fire has broken out a number of times there, I would like to know whether any arrangement has been made to see that the fire does not break out there in future and if so, the nature of the measures adopted in this regard ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी सम्पत्ति, या फसल आदि को कोई नुकसान नहीं हुआ है । उस क्षेत्र में कोई फसल नहीं थी । इसलिये नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता । 550 एकड़ के बड़े क्षेत्र में कुछ नहीं किया जा सकता । ट्रांसमिटर क्षेत्र के बचाव के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । पानी के बारे में भी मैंने बता दिया है कि चीफ फायर आफिसर के साथ परामर्श किया जा रहा हैं और इसके बारे में कुछ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्होंने एहतियात के तौर पर कोई कदम नहीं उठाये हैं और उठाये हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कदम उठाये गये हैं ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : घास के बड़े क्षेत्र में आग गर्मी के या किसी दुर्घटना के कारण लग जाती है । ट्रांसमीटर के क्षेत्र की देखभाल करने के लिये चौकीदार होता है और जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है जो इंजीनियर ड्यूटी पर था । उसने इसे देख लिया था और तुरन्त कार्यवाही की गई थी । फायर ब्रिगेड को बुलाया गया । ट्रांसमीटर क्षेत्र की देखभाल करने वाले लोगों ने आग बुझाने के लिये पहले ही कोशिश की थी ।

श्री दी० चं० शर्मा : दुर्भाग्य से कुछ बातें संसद सदस्यों के ध्यान में भी आ जाती हैं । कुछ बातों का मंत्रियों को पता भी नहीं चलता क्योंकि वे दफ्तरशाही के वातावरण में रहते हैं ।

मुझे पता लगा है कि इन आग लगने की घटनाओं के लिये कुछ साम्प्रदायिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। क्या सरकार देखेगी कि भविष्य में साम्प्रदायवादियों की आंतरिक तथा बाह्य तोड़-फोड़ के कारण वहां पर आग की दुर्घटनायें न हों ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम इसकी छानबीन कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चौथी योजना

***1558. श्री सीताराम केसरी :**
श्री अबचेजियान :
श्री रविराय :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी योजना के लिये, जो तैयार की जा रही है, 4 प्रतिशत से कम विकास दर का लक्ष्य निश्चित करने का निर्णय किया है ?

(ख) योजना आयोग ने किन कारणों से इतना कम लक्ष्य निश्चित किया; और

(ग) क्या इस निर्धारित लक्ष्य से इस ध्येय की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पांचवी योजना के अन्त तक प्रत्येक भारतीय की औसत आय प्रतिमास 20 रुपये हो जानी चाहिये।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

फिल्म निर्माताओं द्वारा धोखा दिया जाना

***1562. श्री बाबूराव पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय फिल्म निर्माताओं तथा विज्ञापन अभिकरणों के नाम क्या हैं जिन्होंने श्री लंका के रेडियो विज्ञापनों के बारे में सरकार को धोखा दिया था;

(ख) प्रत्येक धोखाधड़ी के मामले में कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) प्रत्येक मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों को सजा देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : मामले की प्रवर्त्तन निर्देशालय, वित्त मन्त्रालय, राजस्व और बीमा विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) जांच के परिणाम स्वरूप यदि कोई व्यक्ति ऐसे पाये गये जिन्होंने विदेशी मुद्रा नियमित अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

Development of Electronics

***1563. Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Bhabha Committee on the Development of Electronics has recommended that utmost attention should be paid to the fundamental and applied research and designing capacity in the field of electronics and if so, the action taken by Government in this connection;

(b) whether it has also recommended that development of Electronics techniques on modern lines should be undertaken; and

(c) if so, the details of the programme chalked out in this regard?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. **(Placed in Library See. No. LT—1115/68)**

सशस्त्र सेनाओं में गुरखा सिपाही

***1564. श्री शिवचन्द झा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कितने गुरखा सिपाही हैं ;

(ख) उन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं में किन शर्तों पर भर्ती किया गया था;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में और गुरखा सिपाही भर्ती करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सदन में यह सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है ।

(ख) वह नियुक्ति की उन्हीं शर्तों पर भर्ती किए जा रहे हैं, जो अन्य भारतीय राष्ट्रिकों पर लागू हैं ·

(ग) प्रति वर्ष गोरखों की यथा आवश्यक भर्ती की जाएगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत सैनिक अधिकारी

***1568. श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्त सैनिकों तथा सैनिक अधिकारियों की पृथक पृथक संख्या क्या है और उन्हें प्रतिमास कितनी पेंशन दी जाती है ;

(ख) क्या देश की सुरक्षा के हित में सरकार का विचार ऐसे सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों को देश के सीमांत क्षेत्रों में बसने की अनुमति देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) आवश्यक सूचना सहज प्राप्य नहीं है । पेन्शन पाने वालों की विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में आडिट अधिकरण पेन्शन की अदायगी के अलग अलग रिकार्ड नहीं रखते । आडिट अधिकरणों के पास यथा संभव प्राप्य सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) : सेवानिवृत्त सेवा सेविवर्ग को कई सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाने की एक योजना है कि जहां भूमि के संहत ब्लाक प्राप्य हैं ।

Films on Nationalism

1569. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to produce such fiilms which will help in achieving the objective of national integrity and national values and may arouse national feelings among the common man;

(b) whether it is a fact that Government propose to set up a national studio in Delhi which would give a new direction to the Indian film producers in the field of techniques and production of films in India;

(c) whether Government propose to seek export advice and aid from some foreign countries in setting up such studio; and

(d) when this studio is likely to be set up?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Feature film industry is in the private sector. Govt. however has been encouraging through the institution of National Awards the production of good films including those on national integrity and with national values. As regards documentary films, the Films Division has, on their production programme, the following films projecting the ideas of national integrity in hand with national values meant for the Indian public as a whole;

1. Unity and Discipline.
2. The Language Issue.
3. You are not alone.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Does not arise.

Pakistan-Cooch-Behar Border

***1570. Shri Hardayal Devgun**: Will the **Minister of Defence** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Pakistan have constructed two major roads near Cooch-Behar border;

(b) whether it is also a fact that Pakistan can enter Assam through these roads and cut off Assam from the rest of India; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Pakistan has of late carried out some road constrution as well as some imporvement of existing roads in East Pakistan, across tha border of Cooch-Behar District in West Bengal.

(b) and (c) Plans exist to foil any threat to the security of the country arising from Pakistani activity across our borders.

भूत-पूर्व सैनिकों की पेंशनों कां पुनरीक्षण

***1571. श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री तेन्नेटी विश्वनाथम् :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 6 अप्रैल, 1968 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय भूतपूर्व सैनिकों कीं लीग के प्रधान ने वर्ल्ड वैटेरन फैडरेशन की बैठक में बोलते हुए कहा है कि उनकी लीग ने भारत सरकार को भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के पुनरीक्षण के बारे में कई अभ्यावेदन दिये हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि इस समय सेवा करने वाले सैनिक अधिकारियों के वेतनमान इस बीच में बढ़ा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशनों के पुनरीक्षण न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) सेवा से निवृत्त सेविवर्ग की पेंशन के दर उन द्वारा सेवा से निवृत्ति पर प्राप्त किये

गये वेतन, और उस समय उन पर लागू नियमों और आदेशों पर निर्भर है। यह एक मूल सिद्धांत है, जिसमें परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। तदपि, समय-समय पर भूतपूर्व सैनिकों को कुछ राहत दी गई है। 1945 में 100 रुपये तक पेन्शन पाने वाले सभी के लिए अस्थायी बढ़ौती स्वीकार की गई थी। 1958 में उन व्यक्तियों के लिए अस्थायी बढ़ौती में वृद्धि की गई थी जो पुराने पेन्शन कोड़ के अधीन रहे। पुनः 1963 में उन व्यक्तियों के लिए तदर्थ बढ़ौती स्वीकार की गई थी, जो 200 रुपये तक पेन्शन पाते थे, चाहे वह पुराने पेन्शन कोड द्वारा शासित थे, या नये पेन्शन कोड द्वारा। पुराने पेन्शन कोड द्वारा शासित पेन्शनरों की हालत में तदर्थ बढ़ौती अस्थायी बड़ौती के अतिरिक्त है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर से बिजली

*1572. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न सम्बन्धित राज्यों को अक्टूबर, 1968 में चालू होने वाले तारापुर परमाणु बिजलीघर से प्राप्त होने वाली बिजली की स्पलाई की दरें निश्चित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है ; तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : तारापुर परमाणु बिजलीघर में पैदा होने वाली बिजली की कीमत निकालने के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए जा चुके हैं। इस बिजली घर में पैदा हुई बिजली महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य बिजली बोर्डों को किस कीमत पर बेची जाये, इस बारे में दोनों बोर्डों तथा सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन के बीच बातचीत हो रही है।

वियतनाम

*1573. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने उत्तरी वियतनाम में बमबारी बन्द करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए वियतनाम में शान्ति स्थापित करने के लिए भारत द्वारा नये सिरे से क्या प्रयास किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) (क) राष्ट्रपति जानसन ने 31 मार्च 1968 को वियतनाम लोक गणराज्य में बमबारी कुछ इलाकों तक सीमित कर देने की घोषणा की थी।

(ख) भारत सरकार ने अमरीकी राष्ट्रपति की इस घोषणा का और इस पर हनोई की अनुकूल प्रतिक्रिया का स्वागत किया।

(ग) भारत सरकार अमरीका और वियतनाम लोक गणराज्य की सरकारों से और दूसरे संवद्ध देशों से सम्पर्क बनाए हुए है। भारत सरकार को उम्मीद है कि अमरीका और वियतनाम लोक गणराज्य में प्रारम्भिक संपर्क के स्थान के बारे में जल्दी समझौता हो जायगा और फिर इन संपर्कों से वियतनाम समस्या के शांतिपूर्ण निपटारे के बारे में अधिक तात्विक बातचीत हो सकेगी।

लन्दन में श्री जय प्रकाश नारायण की श्री फिजो तथा पादरी माइकल स्टाक के साथ भेंट

*1574. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी हाल की लन्दन यात्रा के दौरान श्री जय प्रकाश नारायण श्री फिजो तथा पादरी माइकल स्टाक से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने नागालैंड समस्या पर चर्चा की थी और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) सरकार के पास ऐसी किसी बैठक का समाचार नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Experts Coming to U.S.A. from Under-Developed Countries

***1575. Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a Committee of U.S. Congress (House of Representatives) has submitted a report in regard to the number of experts and scientists coming to U.S.A. from undeveloped countries;

(b) if so, whether a copy thereof would be procured and kept in Parliament Library for the information of Members;

(c) the number of such experts who went to U.S.A. during the last twelve years;

(d) the profit to U.S.A. and loss to India in dollars thereby; and

(e) the proposals with Government to give honour, opportunities and employment to such experts in India ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B.R. Bhagat) : (a) Yes, Sir. The report referred to is presumably the one submitted on March 28th to the 19th Congress on "Scientiffic Brain Drain from Developing Countries" by the Research and Technical Programmes Sub-Committee.

(b) Yes, Sir, A copy of the report is awaited from our Embassy in Washington and will be supplied to the Parliament Library.

(c) and (d) : No precise data are available with the Government.

(e) A number of steps have been taken to facilitate the return of Scientific and Technical personnel to India. A statement regarding this is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1116/68]**

Properties of Indians in Ceylon and Burma

***1576. Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the facilities provided by the Governments of Burma and Ceylon to the Indian citizens in those countries for migrating to India and for bringing their property and cash;

(b) the efforts being made by Government to solve difficulties, if any, in the way of the said Indians; and

(c) the help extended by Government for the safety of the property of Indians settled in Burma ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Governments of Burma and Ceylon permit Indian citizens to live if they so desire and permit them to take with them certain assets and household goods according to the rules prevailing at the time of their departure.

(b) Our Missions in those countries assist in resolving the difficulties which may be encountered at the time of departure.

(c) Our Embassy in Rangoon looks into all complaints that may be received by them regarding this matter and approach the local authorities for suitable action.

भारतीय समाचार एजेंसियों के लिये विदेशी मुद्रा

*1578. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचार एजेंसियां तथा समाचार पत्र विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं तथा उन्हें विदेशों में व्यय करने के लिये विदेशी मुद्रा भी दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मान्यता प्राप्त विभिन्न समाचार तथा लेख एजेंसियों और सिन्डिकट की विदेशी मुद्रा और विदेशी आय के 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े सभा पटल पर रखने का है ;

(ग) क्या गत पाँच वर्षों में सेवायें और सामग्री खरीदने के लिये विभिन्न भारतीय समाचार एजेंसियों तथा भारतीय समाचार-पत्रों को दी गई विदेशी मुद्रा की राशि दर्शाने वाले एक विवरण भी सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ; और

(घ) एक ओर भारतीय एजेंसियों और दूसरी ओर विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच कौन-कौन से करार हुए हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में वस्तुओं का निर्माण

*1579 **श्री लकप्पा .** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में बनी वस्तुओं के बहुत बड़े भंडार की ओर गया है जो वहां बिना बिका पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो जिस सामान का निर्माण किया गया है तथा इस समय जो बिना बिका पड़ा है उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) यह कहना ठीक है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में बनी वस्तुओं का एक बड़ा भडार बिना बिका पड़ा हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी दूतावास में भारतीय कर्मचारियों के बारे में चीन सरकार द्वारा दिया गया विरोध पत्र

*1580. **श्री चित्तिबाबू :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने चीन में भारतीय कार्यवाहक राजदूत को बुलाया था और 3 अप्रैल, 1968 को दिल्ली में चीनी दूतावास के दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बारे में कड़ा विरोध पत्र दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) चीन के विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल को चीन में हमारे कार्यनायक को बुलाया था और नई दिल्ली-स्थित चीनी राजदूतावास के दो स्थानीय कर्मचारियों की गिरफ्तारी का प्रश्न उठाया था ।

(ख) चीन के नई दिल्ली-स्थित राजदूतावास और चीन के विदेश कार्यालय, दोनों को यह साफ बता दिया गया है कि चीनी राजदूतावास के दो कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 6 मार्च को एक भारतीय कान्स्टेबल को गलत तरीके से रोकने के सिलसिले में की गई थी। इस कार्यवाही के खिलाफ शिकायत की गई थी। और भारतीय कानून के अनुसार इस पर विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध जैसी तैयारियां

*1581. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काश्मीर में सुन्दरबानु स्थान पर 10 अप्रैल, 1968 को काश्मीर के मुख्य मंत्री के भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर एक और आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संभावित आक्रमण के बारे में भारत सरकार को कोई विशेष सूचना प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ से बात की है ; और

(घ) क्या इस संबंध में पाकिस्तान को कोई औपचारिक चेतावनी दी गई है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों की जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री से संबंधित रिपोर्ट देखी हैं कि पाकिस्तान उस राज्य पर एक और आक्रमण करने की योजनाएं बना रहा था। समाचार पत्रों की रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर पर पुनः आक्रमण किया तो उसे अच्छी शिक्षा दी जाएगी।

(ख) जो कुछ मुख्य मंत्री ने कहा है वह इस तथ्य को सामने रखते समझने योग्य है कि पाकिस्तान ने ताशकंद घोषणा के पश्चात भी अपने लोगों में घृणा का प्रचार, अपनी सशस्त्र सेनाओं में वृद्धि, और भारी राशियों में सैनिक सामान प्राप्त रखना जारी रखा है, जो भारत के लिए संकट बन सकता है।

(ग) और (घ) : हमारी योजनाएं इस पाकिस्तानी सैनिक संकट को ध्यान में रखती है। सुझाव दिए गए अन्य उपायों पर भी उपयुक्त अवसर पर विचार किया जा सकता है।

चंदा समिति का प्रतिवेदन

*1582. **श्री जुगल मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को चन्दा समिति के कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं और क्या इन प्रतिवेदनों के सभी खण्ड छाप कर प्रकाशित किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन प्रतिवेदनों की देश में तथा विदेशों में बहुत मांग है : और

(ग) इन प्रतिवेदनों की प्रतियों को तथा भगवन्तम समिति के प्रतिवेदनों की जिनकी प्रतियां सरकारी प्रकाशन डिपुओं में उपलब्ध नहीं हैं प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) : पांच, इनमें से केवल पहली रिपोर्ट जो 'रेडियो और टेलीविजन' पर थे, छपी थी। शेष रिपोर्ट साईकलोस्टाईल की गई हैं। पाँचों रिपोर्टों की प्रतियां बड़े पैमाने पर मुफ्त बांटी गई हैं।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) : चन्दा समिति की रिपोर्टों के बारे में तो प्रश्न ही नहीं उठता । भगवन्तम समिति एक तकनीकी समिति थी जो सरकार को निम्नलिखित बातों पर सलाह देने के लिये बनाई गई थी:... (1) टेलीविजन के विकास के तकनीकी पहलुओं पर और (2) उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुसार टेलीविजन सेवा देने के नये तरीके एवं प्रविधियां । यह रिपोर्ट केवल सरकारी इस्तेमाल के लिए थी और इसे साधारण जनता के लिये बिक्री पर या अन्य तरीके से उपलब्ध करने का विचार नहीं था ।

News in Russian, Chinese. Japanese and Portuguese Languages.

***1583. Shri Hukam Chand Kachawai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2892 on the 4th December, 1967 and state :

(a) the reasons for not broadcasting news from A.I.R. in Russian, Chinese, Japanese and Portuguese languages;

(b) whether Government have under consideration any proposal to broadcast news in the above languages;

(c) if so, since when broadcasting in the above languages would be undertaken

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah)

(a) (i) A daily news bulletin is broadcast in the Chinese (Cantonese/Kuoyu) service.

(ii) There is no service at present in Russian, Japanese and Portuguese, and as such no news bulletin in these languages is broadcast,

(b) and (c) (i) It is proposed to start a service in Russian soon and necessary staff is being recruited. When the service starts a news bulletin will be included in it

(ii) There is no proposal at present to have a service in Japanese or Portuguese.

(d) Does not ariie.

Help for Victims of War in Vietnam

***1584. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have sent Rs. 10,000 as aid to the victims of war in South Vietnam;

(b) if so, whether Government propose to give this type of aid to the people of North Vietnam also; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B.R. Bhagat) : (a) In response to a request from the Republic of Vietnam the Red Cross of India have arranged the supply of medicines and powdered-milk worth Rs. 10,000 to the Red Cross of South Vietnam.

(b) and (c) : Even though the Government of Democratic Republic of Vietnam did not make any request, the Red Cross Society of India has sent medicines worth Rs. 6,000/- to the DRVN Red Cross and the National Liberation Front for relief to the victims of the Vietnam coflict.

एच० जे० टी-टी 6 ट्रेलर विमानों के निर्माण के लिए भारत-संयुक्त अरब गणराज्य परियोजना

*1585. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच० टी० टी०-टी 6 ट्रेलर विमानों के निर्माण के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य से सहयोग सम्बन्धी समझौता किया है;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य के इन इंजिनों का अभी परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि यह पहली बार निर्माणाधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इनके निर्माण के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य के साथ समझौता करने का क्या औचित्य है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान द्वारा सैनिक कार्यों के लिए बांध का निर्माण

*1586. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने दीपालपुर नहर के पूर्वी किनारे पर सैनिक कार्यों के लिये एक सात मील लम्बा बांध बनाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा निर्माण करना भारत और पाकिस्तान के बीच हुए भूमि नियमों का उल्लंघन है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कोई विरोधपत्र भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) दीपालपुर नहर के साथ, जो कि पाकिस्तानी प्रदेश में काफी भीतर है,एक ऊंचा बांध बनाने की रिपोर्ट सरकार के देखने में आई है । इसके निर्माण का उद्देश्य मालूम नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Demonstration by Indians in London

9142. Shri O.P. Tyagi : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item published in the "Evening News" of the 5th April, 1968, to the effect that a leader of the Sikh Community in U.K. has alleged that the Indian High Commission had organised the demonstration of Indians in London against the passage of Immigration Bill by U.K. Government in regard to Indians in Kenya and that it was detrimental to the interests of the Sikh Community there; and

(b) if so, whether Government have looked into the matter and their reaction thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Planning and External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) There is absolutely no truth in the report that the High Commission had organised or had anything to do with the demonstration.

सैनिक स्कूल, काजाकोडत्तम

9143 श्री श्रीधरन:

श्री क० लकप्पा:

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल में काजाकोडत्तम में सैनिक स्कूल के अभिभावक संघ ने उस समय जब प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री उस स्कूल में गये थे स्कूल में विद्यमान अनियमितताओं के बारे में कुछ अभ्यावेदन दिये थे;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है, और

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं।

प्रति रक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) से (ग) : जब रक्षा उपमन्त्री मार्च 1968 में त्रिवन्दुम के भ्रमण पर थे, कुछ माता पिताओं ने उन्हें सैनिक स्कूल काज्हाकूरम में दिये जाने वाले भोजन के सम्बन्ध में तथा उपयुक्त चिकित्सा निरीक्षण के अभाव की शिकायत की थी। रक्षा उपमन्त्री ने अचानक स्कूल का भ्रमण किया और उन्हें पता चला कि भोजन उच्च कोटि का था और बच्चे सन्तुष्ट थे, तथा आवधिक चिकित्सा निरीक्षण आयोजित किये जाते थे, और माता पिता को सूचित किया जाता था जब भी लड़के किसी गम्भीर रोग से रुग्ण होते थे।

मन्त्रियों की आस्तियां और दायित्व

9144 श्री क० लकप्पा: क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के मन्त्री तथा उप-मन्त्री अपनी अपनी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत करते रहे हैं, जो 18 नवम्बर 1964 को सभा पटल पर रखी गई आचार संहिता के अन्तर्गत अपेक्षित है; और

(ख) किन किन मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों ने अपनी अपनी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) केन्द्रिय मन्त्री, जिनमें उप-मन्त्री भी शामिल हैं, अपनी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत करते रहें हैं।

तिब्बती शरणार्थियों के साथ काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजन

9145 श्री बाबूराव पटेल: क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में तिब्बती शरणार्थियों के साथ विशेषज्ञों या तकनीशियनों के रूप में काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और ये विदेशी राष्ट्रजन किन किन स्थानों में काम कर रहे हैं ;

(ख) वेतन, आवास तथा अन्य प्रासंगिक व्यय के रूप में इन विदेशी राष्ट्रजनों पर सरकार कितना व्यय करती है;

(ग) क्या यह सच है कि तिब्बती शरणार्थियों के बीच राष्ट्र विरोधी कार्य करने के कारण श्री कीथ सैटर्थवेट को देश से निकल जाने के लिये कहा गया था; और

(घ) यदि हां, तो अन्य विदेशी राष्ट्रजन ऐसे राष्ट्र--विरोधी कार्य न करने पायें, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु–शक्तिमंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) संलग्न सूची में यह सूचना दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1117/68]**

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) जी नहीं । श्री कीथ सैटर्थवेट को सलाह दी गई थी कि वे तिब्बती शरणार्थियों के साथ काम करना बन्द कर दें क्योंकि कृषि सलाहकार के रूप में उनकी सेवाएं आवश्यक नहीं समझी जाती । 18 दिसम्बर 1967 को लोकसभा में तारांकित प्रश्न सं० 723 के उत्तर की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार की प्रवजन नीति

9146. श्री बाबूराव पटेल: क्या **वैदेशिक--कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारतीयों को अपने यहां बसने की अनुमति नहीं देते और प्रत्येक मामले में कारण क्या हैं ?

(ख) भारत सरकार किन--किन देशों को प्रवजन की अनुमति नहीं देती और प्रत्येक मामले में कारण क्या हैं; और

(ग) भारतीयों के प्रवजन तथा उस देश को, जहां प्रवजन किया गया हो, आस्तियों का स्थानान्तरण करने से सम्बन्धित भारत सरकार की नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु–शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक--कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अधिकांश देश अपने यहां के विनियमों के अनुसार उन भारतीयों को अपने यहां बसने की इजाजत दे देते हैं जो विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं । विभिन्न देशों के बारे में अद्यतन सूचना का पक्का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) सरकार की नीति उत्प्रवास को प्रोत्साहन देने की नहीं है, लेकिन जहाँ भारतीय पहले ही जाकर बस गये हैं वहाँ सरकार स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग करने में रुचि लेती है, ताकि ये भारतीय अपने वरण के देशों के उपयोगी और अच्छे नागरिक बन सकें ।

वर्तमान नीति के अनुसार, विदेशों को जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी आस्तियां भारत से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती । किन्तु, ऐसे बहुत खास और उचित मामलों में जब कि कोई देश आप्रवासी को एक कम से कम निर्धारित रकम के साथ ही आने की अनुमति देता हो, उत्प्रवासी से यह वचन लेने के बाद उसे वाँछित कम से कम राशि की विदेशी मुद्रा दे दी जाती है कि वह एक वर्ष के भीतर--भीतर इस रकम को भारत वापस भेज देगा । बहरहाल, गुण-दोषों के आधार पर भी कुछ मामलों पर विचार किया जाता है और बहुत सीमित विदेशी मुद्रा की सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में धन का गबन

9147. श्री बाबूराव पटेल: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के उस अधिकारी का पदनाम क्या है, जिसने माँग पत्र द्वारा, जिस पर स्टेशन कमाँडर के प्रति हस्ताक्षर नहीं थे, जो नियमों के अनुसार होने चाहियें, 70,000 रुपये निकाले थे, और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस काम में उसकी सहायता की;

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और प्रत्येक मामले में क्या परिणाम निकला; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार से धन का गबन न होने पाये, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) मुख्य अपराधी अफसर मेजर पद का 96 फील्ड-कम्पनी इन्जीनियर्ज़ का कमान अफसर था । उसी यूनिट का एक कैप्टेन, 2 लेफ्टिनेंट और 3 कनिष्ठायुक्त अफसर और एक अनायुक्त अफसर इम्प्रैस्ट निधि के बाद दुरुपयोग में विभिन्न स्तर पर उसके सहायी थे ।

(ख) मुख्य अपराधी को कैशियर किये जाने, दो वर्ष के घोर कारावास और बकाया उन समस्त वेतन तथा भत्तों और अन्य राशियों के जब्त कर लिये जाने का दण्ड दिया गया था, जो जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा उसे कैशियर किए जाते समय उसे दिये थे । अन्य अफसरों और कनिष्ठायुक्त अफसरों को सख्त फटकार दी गई थी, और अनायुक्त अफसर को सावधान कर दिया गया था ।

(ग) निम्न प्रतिकारी उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं:—

(1) इम्प्रेस्ट धारकों द्वारा इम्प्रेस्ट का हिसाब न देने सम्बन्धी शिकायतों की प्रशासनिक अधिकरणों की तुरन्त जांच करने को निर्दिष्ट किया गया है । ऐसे मामलों को जहां भारी हिसाब सम्बन्धित हो, और जहां इम्प्रेस्ट का हिसाब एक मास से अधिक तक न भेजे गये हों, और जहां एक्विटेंसरोल भी न भेजे गये हों, विशेषतौर पर गम्भीर माना जाएगा ।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिये आदेश जारी किये जाने वाले हैं कि इम्प्रेस्ट हिसाब का अचानक निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किये गये अफसरों को तसल्ली कर लेना चाहिये कि पिछले मास का इम्प्रेस्ट हिसाब और एक्विटेंसरोल पी० ए० ओ० को भेजे जा चुके हैं, और पिछले मास के शेष को ठीक तौर पर आगे लाया गया है ।

(3) निम्न उपाय किये गये हैं कि इम्प्रेस्ट धारक अधिक राशि न निकाल सके : लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा कमान की जाने वाली यूनिटों में नियन्त्रण सीधे होता है । नगदी की मांगों पर आरम्भिक वेतन हिसाब तथा तदनु एविवटेंसरोलों के उचित निरीक्षण के पश्चात् उस द्वार हस्ताक्षर की जाती है । मेजरों और निम्न पदों के अफसरों द्वारा कमान की जाने वाली यूनिटों में नकदी की मागों पर ले० कर्नल पद के अफसरों द्वारा भी हस्ताक्षर किये जाते हैं ।

भारतीय नौ सेना में मछुवे

9148. श्री लौवो प्रभु: क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना में कितने प्रतिशत मछुवे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि मछुवे, समुद्र में काम करते हैं तथा पानी से नही डरते

हैं, वे भारतीय नौसेना तथा वणिक्--पोत में सेवा करने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं ;

(ग) क्या मछुवों के लिये जो अब तक मुख्य रूप से अपना वंश परम्परागत व्यवसाय ही करते हैं, रोजगार देने हेतु, अधिकतर नौसेना में तथा वणिक्--पोत में सभी स्तरों पर नौकरी में अधिक प्रतिशतता निर्धारित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या नौसेना तथा वणिक्--पोत के उपयुक्त पाठ्यक्रमों के लिये मछुवों के स्कूलों को राजसहायता देने का सरकार का विचार हैं, ताकि वे इस प्रकार के आरक्षित रोजगार के लिये उपयुक्त हो सके ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) परम्परागत व्यवसायों के आधार पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) इस प्रकार की पृष्ठभूमि से कुछ फायदे हो सकते हैं ।

(ग) भारतीय नौसेना और व्यापारिक नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थापनों में रोजगार देने के लिये परम्परागत व्यवसायों के आधार पर स्थान--आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता ।

Recruitment of Scheduled Castes and Aboriginals in Armed Forces

9149. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether there is any prescribed formula for the recruitment of officers and recruits from the Scheduled Castes and aboriginals in the Army, Navy and Air Force.

(b) if so, the details thereof? and

(c) the present nnmber of the Scheduled Castes and aboriginal officers and recruits in them ?

The Minister of Defence (Skri Swaran Singh) ; (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Not available.

तमिल समाचार पत्रों का विज्ञापन

9150. श्री मुरासोली मारन: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तमिल समाचार पत्रों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं; और

(ख) मद्रास से प्रकाशित होने वाले (1) नवशक्ति, (2) मुरासोली और (3) नामनाडू समाचारपत्रों को वर्ष 1960 से 1967 तक की अवधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के लिये सरकार द्वारा कितना धन दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह): (क) 31 दिसम्बर, 1966 को देश में छपने वाले तमिल समाचार--पत्रों और पत्रिकाओं की कुल संख्या 414 थी । इनमें से 65, जो विज्ञापन और दृश्यप्रचार निर्देशालय द्वारा निर्धारित कसौटी के आधार पर योग्यता रखते थे, को केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन दिये गये ।

(ग) भिन्न भिन्न समाचार-पत्रों को दिए गये विज्ञापनों और उनको दी गई धन--राशि के

ब्यौरे के बारे में जो सूचना है वह विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय और सम्बन्धित पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है। सम्बन्धित पत्रों की पूर्व सहमति के बिना इस बारे में इकतरफा सूचना देना अच्छी व्यापारिक नैतिकता नहीं है ।

Aid for Swai Madhopur District

9151. Shri Meetha Lal Meena : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have not given any financial assistance for the Sawai Madhopur District in Raasthan inspite of its being declared as backward area by the Central Government;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the amount allocated for the development of the said district during 1968-69;

(d) the items on which the said amount would be spent; and

(e) whether the alloeation has not been made so far and if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Planning and External Affairs : (a) and (b) The Central assistance is related to the outlay under the State Plan and not to any specific area. The provision for accelerated development of backward areas is made within the State Plan.

(c) and (d) This has not yet been finalised by the State Government.

(e) The work on the districtwise distribution of the State Plan outlay 1968-69 was taken in hand by the State Government immediately after the State budget was passed by the State Legislature and is expected to be completed shortly.

आणविक ऊर्जा विभाग में इंजीनियर

9152. श्री गा० शं० मिश्र: क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के आणविक ऊर्जा कार्यक्रम के सम्बन्ध में कितने इंजीनियर/वैज्ञानिक काम कर रहे हैं;

(ख) कितने वैज्ञानिक/इंजीनियर उच्च प्रशिक्षण के हेतु विदेशों में भेजे गये हैं;

(ग) यह इंजीनियर/तकनीशियन किन-किन विशेष विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं और किन-किन देशों में भेजे गये हैं;

(घ) इन इंजीनियरों/वैज्ञानिकों का वार्षिक मूल वेतन कितना है और उन्हें कुल उपलब्धियां कितनी मिलती हैं;

(ङ) इन कर्मचारियों को समय वेतनमान न देने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या इन कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने, पदोन्नति के अधिक अवसर दिये जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु--शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक--कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न यूनिटों में लगभग 2400 वैज्ञानिक/इंजीनियर काम कर रहे हैं ।

(ख) इस समय 113 वैज्ञानिक/इंजीनियर विदेशों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(ग) उच्च प्रशिक्षण के विषय परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोगों से सम्बद्ध तकनीक तथा विज्ञान की मूल शाखायें हैं । ये वैज्ञानिक/इंजीनियर यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के देशों में प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

(घ) विदेशों में डेप्युटेशन पर भेजे गये वैज्ञानिकों/इंजिनियरों को वेतन तथा भत्ते मिलने चाहिये वे भारत में मिलते हैं। अगर वे डेप्युटेशन की शर्तों पर बाहर भेजे जाते हैं तो उन्हें हार्ल्टिग अलाउन्स मिलता है तथा यदि उन्हें विशिष्ट छुट्टी दी जाती है तो उन्हें छुट्टी का वेतन दिया जाता है। यदि भारत में काम कर रहे या विदेशों को भेजे गए वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के वेतन आदि के बारे में किसी अवधि विशेष के लिये जानकारी चाहिये तो वह दी जा सकती है।

(ङ) सब वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को वेतन का समयमान दिया जाता है।

(च) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुध कारखानों के महा निर्देशालय में आशुलिपिकों की अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नति

9153. श्री हेम बरूआ :

श्री हेम राज :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के महा निर्देशालय की कर्मचारी संस्था द्वारा न्यायालय में दायर किये गये मामले का निर्णय आशुलिपिकों को अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नत करने के पक्ष में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सभी आशुलिपिकों को, जिनके पद का नाम दिसम्बर, 1964 में बदल कर असिस्टैंट कर दिया गया था, इस बीच पदोन्नत करके अधीक्षकों के पदों पर नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कब पदोन्नत किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में (प्रति रक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह मामले सम्बन्धित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से तैयार किये जाते हैं, जो इन पर पहले ही विचार कर चुकी है। समिति की सिफारिशों की अन्तिम रूप रेखा और प्राप्ति पर सरकार इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करेगी।

दिल्ली में किंग्जवे शक्तिशाली ट्रांसमीटर में एसिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर

9154. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में किंग्जवे शक्तिशाली ट्रांसमीटर में 1956 से 1962 तक की अवधि में एसिस्टेंट स्टेशन इंजीनियरों के दो पद थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई नया ट्रांसमीटर नहीं लगाया गया है और इस स्टेशन में वर्कलोड भी नहीं बढ़ा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस ट्रांसमीटिंग स्टेशन में 1962 से 1967 तक की अवधि में एसिस्टेंट स्टेशन इंजीनियरों के पद 2 से बढ़ाकर 5 कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। तथापि, अतिरिक्त कार्यक्रम देने और उपकरणों के पुराने होने, जिनके लगातार अनुरक्षण की आवश्यकता रहती है, के कारण कार्य--भार बढ़ गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पदों की संख्या, वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण दल द्वारा कार्य–भार की विधिवत जाँच करने और सहायक इंजीनियर संवर्ग की संख्या में फिर से समंजन करने के बाद बढ़ानी आवश्यक हो गई है।

नागाओं की चीन से सहायता

9155. श्री अंवचेजियान :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए नागाओं के प्रेजिडेंट तथा उसकी नागालैंड की संघीय सरकार ने अन्तिम रूप में निर्णय किया है कि नागालैंड को भारतीय संघ से पृथक करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुनः सशस्त्र विद्रोह आरम्भ करने के लिये चीन से मदद ली जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी भारत विरोधी गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार नागालैंड की ऐसी किसी संघीय सरकार को मान्यता नहीं देती, और न ही उसे ऐसे किसी निर्णय के बारे में मालूम है जो छिपे नागाओं ने गुप्त रूप से लिया हो। बहरहाल, चीन के साथ छिपे नागाओं के सम्पर्क के बारे में सदन को समय-समय पर सूचना दी जाती रही है। इस बारे में सदन में पिछली बार 24-4-1968 को लोक सभा, तारांकित प्रश्न संख्या 1409 के पूरक प्रश्नों के दौरान विचार किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार ऐसे सम्पर्कों को रोकने के लिये और छिपे नागाओं की गैर-कानूनी गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए समुचित उपाय बरत रही है :

Training for Rani Guidalo's Policemen

9156. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the name of the State and the training centre in which arrangements for the training of Naga Rani Guidalo's Policemen who were recruited in Nagaland Police were made by the Central Government; and

(b) whether their training has since been completed ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi : (a) and (b) : Most of the followers of Rani Gaidilieu who surrendered along with her, were recruited to the Nagaland Armed Police and have been trained alongwith other members of the Armed Police in Nagaland. The issue raised, relates to a subject which is primarily the concern of State Government of Nagaland.

दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की भारत-यात्रा

9157. श्री कामेश्वर सिंह :

श्री श्रीधरन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं, श्री एल्फ्रेड नाजों और श्री मनीदी मसीमांगी ने, जो इस समय भारत में यात्रा कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीकी लोगों को उनके स्वतन्त्रता अभियान के लिये मदद देने के लिये सरकार से अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : श्री एल्फ्रेड एंज़ो और उनके साथी सलाह और सहायता के लिए भारत सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं। भारत सरकार ने न सिर्फ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का दफ्तर नई दिल्ली में खोलने में ही मदद दी है, जिसके नेता ऐल्फ्रेड एंज़ो हैं, बल्कि वह दक्षिणी अफ्रीका के स्वतन्त्रता सेनानियों को तकनीकी और भौतिक सहायता भी प्रदान करती रही है।

पाकिस्तान द्वारा निकाले गये भारतीय राजनयिक

9158. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में पाकिस्तान से निकाले गये भारतीय राजनयिकों की संख्या, उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

(ख) क्या पाकिस्तानी पुलिस ने इन राजनयिकों को नजरबन्द रखा था, पीटा था तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया था और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किये गये दुर्व्यवहार का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजने के अतिरिक्त पाकिस्तानी राजनयिकों के विरुद्ध सरकार ने कोई बदले की कार्यवाही की थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई थी और किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध की गई ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन के तीन सदस्यों को अगस्त, 1967 में निष्कासित कर दिया गया था। उनके नाम और पदनाम नीचे दिये जा रहे हैं।

(1) श्री महाराज स्वरूप, प्रथम सचिव।

(2) श्री आर० पी० वधवा, निजी सहायक।

(3) श्री एस० के० बनर्जी, सहायक।

(ख) पाकिस्तान की पुलिस ने इन लोगों को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया था और इन्हें अनुचित रूप से रोके रखा था तथा इनके साथ दुर्व्यवहार किया था।

(ग) और (घ) पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय कर्मचारियों को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने, रोकने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया था। भारत सरकार ने कोई जवाबी कार्यवाही नहीं की।

Technical Research Laboratories

9159. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Technical Directorates out number Technical Research Laboratories in the country;

(b) whether it is a fact that the number of Scientists working in the Research Laboratories is equal to the number of Scientists working in offices for maintaining liaison with Government; and

(c) whether it is also a fact that more pay and allowances are paid to to the Scientists working in Offices as compared to the Scientists possessing equivalent qualifications in Research Laboratories ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra) : (a) No, Sir. There are 6 Technical Directorates, and 35 Research & Development Establishments/Laboratories and Detachments of R & D Organisation.

(b) No, Sir. There are 80 Technologists/Scientists of gazetted ranks in the Technical Directorates against 1315 similar officers in the Establishments/Laboratories and detachments.

(c) Scientific officers in the Technical Directorates get the same pay and allowances as admissible to similar categories of officers in the Research Laboratories and detachments, the only variation being in the rates of city compensatory allowances which depends on location.

प्रधान मन्त्री की दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा

9160. श्री शिव चन्द्र झा :

श्री स्वैल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा का निमन्त्रण प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किन-किन देशों ने निमन्त्रण भेजा है ; और

(ग) उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सिंगापुर, मलेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों के प्रमुखों के निमन्त्रण पर प्रधान मन्त्री 19 मई से 1 जून 1968 तक इन देशों का दौरा करेंगी। प्रधान मन्त्री ने वर्मा और इंडोनेशिया की सरकारों के अध्यक्षों के निमन्त्रण भी स्वीकार कर लिए हैं और इस वर्ष के आखिर में वे इन देशों का दौरा करने की बात सोच रही हैं। इस क्षेत्र के कुछ अन्य देशों से भी अनौपचारिक रूप से ऐसे संकेत मिले हैं कि वे चाहते हैं कि प्रधान मंत्री उनके यहां का दौरा करें। और इन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इन यात्राओं का उद्देश्य उनके साथ मैत्री के सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करना और उनके नेताओं के साथ आपसी हित के मामलों पर और आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक क्षेत्रों आदि में भावी सहयोग की गुंजाइश पर विचार-विमर्श करना होगा।

राडार की व्यवस्था

9161 श्री शिव चन्द्र झा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में पालम हवाई अड्डे में राडार व्यवस्था स्थापित करने की योजना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा की दृष्टि से इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में इस समय कितनी राडार व्यवस्थाएं हैं और किन-किन स्थानों में और उनसे प्रतिरक्षा सम्बन्धी क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : टूरिज़्म तथा सिविल एवीएशन मंत्रालय में पालम हवाई अड्डे में एक एयर पोर्ट सर्वीलिन्स रडार की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) रक्षा दृष्टिकोण से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।

(ग) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

Agricultural Colonies for Tibetan Refugees

9162. Shri Y.S. Kushwah :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the State-wise locations of the Agricultural colonies set up to rehabilitate the refugees from Tibet and the names of the industries being run by them, the names of the places and also of the States in which they are running these industries ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : A statement giving the required information is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1118/68]**

राष्ट्रीय विकास परिषद

9163. श्री रविराय : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक मई, 1968 में किसी समय होने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो उस परिषद की कार्यसूची क्या होगी ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 17 और 18 मई, 1968 को होगी।

(ख) बैठक की मुख्य विचारणीय मदें हैं; (1) चौथी पंचवर्षीय योजना का मार्ग-निर्धारण, और (2) राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के सिद्धान्तों का निश्चय।

Manufacture of Ammunition in India for Civilian Use

9164. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rifles, pistols and guns of various types are manufactured in India for civilian use; and

(b) is so, the type of weapons manufactured in India and their prices ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra) : (a) and (b) : A statement regarding the weapons manufactured in Ordnance Factories is given below:—

Statement

Type	Price
12 Bore Double Barrel Breech Loading Shot Gun	
1. Non-Ejector Pattern 2.3/4" Chamber (Non-Engraved)	Rs. 950/- each
2. Non-Ejector Pattern 2.3/4" Chamber (Engraved)	Rs. 1,150/- each

*3.	Ejector Pattern	2.3/4"	Chamber	Rs.	1,150/— each
*4.	Ejector Pattern (Engraved)	2.3/4"	Chamber	Rs,	1,350/— each

Visit by Sikh Pilgrims to Pakistan

9165. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jamna Lal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two thousand Sikhs went to Pakistan on the 10th April, 1968 on the eve of Baisakhi Fair;

(b) if so, the steps taken by Government for their safety; and

(c) the facilities provided to them by the Pakistan Government ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Arrangement were made for 2000 Sikh pilgrims to visit Pakistan on the occasion of Baisakhi Fair, but according to available information, some 1759 persons visited Pakistan for this pilgrimage.

(b) and (c) : Necessary arrangements for the safety of the pilgrims in Pakistan were as usual made by the Pakistan Government. Facilities for travel, accommodation and food were also provided by them for the pilgrims, on payment.

Nationalisation of Cinemas in Punjab

9166. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Punjab Government has already taken over or propose to take over the Cinemas in the State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : (a) A report appearing in the Press that the Punjab Government propose to nationalise the Cinemas in the State has come to Government's notice.

(b) Cinema is a State subject and the State Governments are entitled to take action in regard to matters affecting the Cinema. They will, no doubt, exercise such powers with the full realisation of the implications of their action.

Publications of Cabinet Secretariat

9167. Shri R. S. Vidyarthi : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 23 **adhoc** publications are brought out by the Cabinet Secretariat;

(b) if so, whether it is also a fact that Hindi versions of the said publications are not published; and

(c) if so, when the Hindi versions of the said publications are likely to be published?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Miniter of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi); (a) 30 **ad-hoc** publications have been brought out by the Central Statistical Organisation so far.

(b) and (c) : The possibility of bringing out Hindi versions of these publications, all of which are technical in nature, is being explored.

National Cinema House

9168. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a Scheme for the constructing a National

*Manufactured on request.

Cinema House to exhibit those world famous films of foreign countries which cannot be exhibited by the proprietors of Private Cinema Houses due to financial difficulties; and

(b) if so, when such a Cinema is likely to be constructed?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) No, Sir, Eut, in the absence of Art Theatres, Goverrment has been giving assistance to the Film Soeieties in India who have been arranging shoows of world cinema classics.

(b) Does not arise.

Film on National Unity

9169. Shri Shashibushan Bajpai: Wili the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any film for promoting the idea of national unity and patriotism has been produced with the funds provided by the Film Finance Corporation; and

(b) whether Government have instructed the Film Finance Corporation to invest capital in the production of such films only as may help in promoting national interest and instilling the feelings of patriotism among the people?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): Yes, Sir, Nine such films in Hindi and other regional languages have been produced so far.

(b) No. Sir. The basic objective of the Corporation is to promote the production of Films of g ood standard and quality with a view to raising the standard of Films.

Advertisements to Language Papers

9170. Shri Shashibhushan Bajpai: Will the Minister of **Information and Broadcating** be pleased to state:

(a) whether Government have made any modification in their policy of giving advertisement to News Papers with a view to give maximum advertiscments to Hindi and other language newspapers;

(b) the ratio fixed by Government for giving advertisments to English News papers and the language newspapers; and

(c) the ratio fixed for the last year and the ratio fixed for the current year?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) Yes. Sir. Several measures have been taken to augment the share of Hindi and other language newspapers. Attention in this connection is invited to the reply given to part (b) of Unst. arred Question No. 6822 on 10. 4. 1968.

Government have also accepted the recommendation of the Enquiry Committee on Small Newspapers that at least 50 per cent of the expenditure on display advertisments should be allocated to small newspapers and periodicals, which are by and large published in Indian languages, and that, in the case of classified advertisements, the small papers may be utilised to the maximum extent possible to suit the needs of a particular release.

(b) and (c): No ratio is fixed for the release of advertisements to newspapers brought out in English and in Indian languages but the media lists for release of advertisements are drawn up having due regard to Government's policy of making increasing use of small and medium papers, particularly those published in Indian languages.

The percentages of space taken by D. A. V. P. for advertisements in English and Indian language newspapers and of the expenidure incurred thereon, during 1967-68 are given below :—

	English Newspapers		Indian language Newspapers	
	Space	Cost	Space	Cost
Classified advertisements	42.32	62.39	57.68	37.61
Display Advertisements	18.24	36.90	81.76	63.10

युद्ध से प्रभावित भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

9171. श्री मणिभाई जे० पटेल :

श्री तेन्निटि विश्वनाथन् :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध से प्रभावित (मानसिक तथा शारीरिक रूप से) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) सेवाओं के अस्पतालों द्वारा निर्योग्य घोषित किये जाने पर सेवा से विमुक्ति के पश्चात सर्वथा निर्योग्य हो चुके भूतपूर्व सैनिकों की, देखभाल के लिए, बंगलौर के वर्तमान रेडक्रास होम के अतिरिक्त एक पैराप्लेजिक होने की स्थापना की एक योजना विचाराधीन है।

(ख) इस पर लगभग 9 लाख रुपये गैर पुनरावृत्त खर्च आने की आशा है और 3 लाख रुपये पुनरावृत्त खर्च की। पैराप्लेजिक होम के निवासियों के उनकी दशा के सुस्थिर होने पर या बनावटी अंग फिट किये जाने के बाद विशेष चिकित्सा तथा अन्य उपचार किये जायेंगे। किसी तकनीकी व्यवसाय का उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा, और उस होम के पास-पड़ौस में उनके लिए किसी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

Defence Purchase

9172. Shri Nihal Singh : Will the **Minister of Defence** he pleased to state :

(a) the details of the goods purchased by his Ministery from the various firms and Companies during the last five years as also the names of those companies;

(b) the names of the companies with which orders had been placed but they failed to supply the goods in time and and have also not returned the advance money paid to them; and

(c) the action taken by Government against those companies?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministery of Defcnce (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) Defence stores are purchased from thousands of parties directly by Defence authorities at various levels nnd also through DGS&D. Compilation of this information will be time consuming and will not be commensurate with the results likely to be achieved. It will also not be in public interest to disclose some of this information.

Purchases of stores for meetiug Defence requirements are made by and large through the DGS&D. According to the purchase proccdure followed by the DGS&D, no advances are paid to the firms and companies on whom orders are placed. However. 95% of the price of the stores is paid on proof of desptach to the consignee and on production of inspection notes issued by the Inspector. The balance 5% is paid after the stores are received in good condition by the consignee in accordance with the terms of the contract. In the case of local purchases made direct by defence authorities, no advance payment is made.

In cases of non-compliance with the terms of the contract, such as delay in supplies, the remendy available according to thc contract and law is availed of.

9173. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of military agricultural farms in the country and the details there of ;

(b) the names of the products of these farms during the last three years and their respective quantities;

(c) whether these products are sold in the market or are used for jawans; and

(d) the measures taken to ensure that they are actually used for the jawans and not misappropriated by high militay officers ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (d) ; The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Civilians working in Ordnance Factories

9174. Shri Nihal Singh : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the number of civilians working in Ordnance Factories;

(b) the number of temporary employees among them who are working on daily wages for the last two years and the number of employees among them who have been confirmed and also of those who have not been confirmed; and

(c) the number of temporary employees killed in accident during the last two years and the financial assistance given to the families of each of them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Muradnagar Ordnance Factory

9175. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of temporary and permanent employees in the Muradnagar Ordnance Factory;

(b) whether Government recruit some students and engineers also in these ordnance factories for imparitng training to them;

(c) if so, the basis thereof; and

(d) the present number of such trainees and the basis on which monthly scholarships are paid to them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Temporary employees as on 25-4-1968 1,867

Permanent employees as on 25-4-1968 1,966

(b) and (c) : Subject to availability of the required training facilities, students of various Technical Institutions are imparted practical training for short periods during their vacations, when their applications are received through the Heads of their institutions.

Graduates and Diploma Holders sponsored by the Ministry of Education are also imparted practical training in these factories for a period of about one year under the Practical Training Stipend Scheme of the Ministry of Education.

(d) The number of students for whom sanction has been issued for practical training during vacations is 121. No scholarship is paid to such students during their training.

15 seats for Graduates and 85 seats for Diploma Holders were allocated in various Ordnance Factories during the year 1967-68. No seats has so far been allocated for the current financial year. The Graduates are paid stipend @ Rs. 250.00 per month and Diploma Holders @ Rs. 150.00 per month by the Ministry of Education.

सोवियत संघ के प्रशान्त सागर नौसैनिक बेड़े के एडमिरल का भारत आगमन

9176. श्री मधु लिमये : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के प्रशान्त सागर नौसैनिक बेड़े के एडमिरल

(दारिया मारांग) भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिये शीघ्र ही भारत आ रहें हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का प्रयोजन क्या है ;

(ग) क्या उस बातचीत के दौरान हिन्द महासागर क्षेत्र में पाकिस्तानी नौसेना के आक्रमण की सम्भावना पर भी विचार किया जायेगा; और

(घ) क्या ब्रिटेन के अड्डे उठाये जाने से हुई तथाकथित 'शून्यता' के बारे में भी तब बातचीत की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। सोवियत संघ के प्रशान्त सागर नौसैनिक बेड़े के कमांडर इन चीफ एडमिरल अमेल्सी सोवियत संघ की नौसेना के उन तीन जहाजों में से एक में थे जो हाल ही में भारत की सद्भावना यात्रा पर आये थे। इस यात्रा के दौरान, एडमिरल ने केवल कुछ शिष्टाचार युक्त मुलाकातें की थीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

A. I. R. Programme "Today in Parliament"

9178. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a mention is made of a few selected persons only by the All India Radio in their programme "To-day in Parliament" and in the News Bulletins;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reasons for not pursuing a balanced and uniform policy in this regard during these broadcasts ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Assistance to Language Newspapers

9179. Shri Onkar Lal Bohra Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government so far to encourage language news-papers and to help them financially;

(b) the amounts paid to the language news-papers and foreign language papers, respectively, for the advertisements iserted therein last year; and

(c) the steps taken to raise the standard of language newspapers ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) As a matter of policy, no financial assistance is given to newspapers. However systematic encouragement and assistance is given to small newspapers by way of suitable advertisement support, preferential allocation of newsprint, sustained supply of press releases, feature articles, photographs, ebonoid blocks etc.

(b) The following amount was paid to the newspapers during the year 1967-68:—

	English newspapers.	**Language newspapers**
	Rs.	**Rs.**
Classified advertisements	27,36,073.31	16,49,485.71
Display advertisements	11,14,481.00	19,05,569.00

(c) One of the objects of the Press Council of India set up by the Government is to preserve the freedom of the Press and to maintain and improve the standards of newspapers in India. For this purpose, they have been empowered to formulate a code of conduct for newspapers and journalists consistent with high professional standards.

परमाणु केन्द्रों के निकट कृषि औद्योगिक कारखाने

9180. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार परमाणु केन्द्रों के समीप कृषि औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का है ताकि इन कारखानों के विकास के लिये अणु-शक्ति का उपयोग किया जा सके ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि नमूना सर्वेक्षण के लिये स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ग) क्या योजनाएं तैयार कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) किसी बड़े परमाणु बिजलीघर के इर्द-गिर्द कृषि-औद्योगिक कारखाने लगाने से सम्बद्ध पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में रेडियो सेट

9181. श्री गं० चं० दीक्षित : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1967 के अन्त तक मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कितने रेडियो सेट अलाट किये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : राज्य सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार दिसम्बर, 1967 के अन्त तक मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 11,945 रेडियो सेट अलाट किये गये।

Employment to Ex-servicemen

9182. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) The total number of ex-servicemen in Madhya Pradesh at present;

(b) The steps taken by Government to provide employment to them; and

(c) The number of those who have not been provided employment so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) According to approximate statistics available with the State Soldiers, Sailors and Airmen's Board, the number of ex-servicemen in Madhya Pradesh is about 53,383.

(b) Ex-servicemen in Madhya Pradesh enjoy the following facilities and concessions for civil employment, in common with ex-servicemen in other States ;

For Direct Employment :

1. Permission for registration in an Employment Exchange of their own choice six months before their release from the Armed Forces.
2. Grant of priority III for Civil employment by Employment Exchanges.
3. Age relaxation to the extent of service in the Armed Forces **plus** a grace period of 3 years, whenever necessary.

4. Relaxation of minimum educational qualifications for appointment to Class IV posts.
5. Preference for jobs in Defence installations and in security posts for which they have special background.
6. Reservation of vacancies in permanent and temporary vacancies of long or indefinite duration to the extent of 10% and 20% respectively initially for a period of 2 years from 1-7-1966.

For Training in order to Improve Employment Prospects :

7. Vocational training at the Industrial Training Institutes for which 5% seats have been reserved for ex-servicemen with stipends.
8. Preference for teacher's training.
9. Tractor and Agricultural Farm Machinery Training.

(c) The Employment Exchanges in Madhya Pradesh had 1292 un-employed ex-servicemen on their rolls as on 31-12-1967. The number of ex-servicemen actually employed is not available.

Development Projects in Madhya Pradesh

9183. Shri G. C. Dixit : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the details in regard to the development projects of Madhya Pradesh which were included in the First, Second and Third Five Year Plans;

(b) the names and number of such schemes which have been completed;

(c) whether all those schemes were completed in time; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) A statement relating to irrigation, power and industrial sectors schemes is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T.—1119/68]**

(c) and (d) Information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as this is received.

दिल्ली के लिये उच्च-शक्तिशाली ट्रांसमीटर

9184. श्री चित्तिबाबु : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक उच्च शक्तिशाली शार्ट ट्रांसमीटर लगाया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब लगाया जायेगा; और

(ग) इस पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू साल के मध्य तक ।

(ग) 60 लाख रुपये ।

आकाशवाणी केन्द्र, मद्रास से व्यापारिक प्रसारण सेवा आरम्भ करना

9185. श्री चित्तिबाबु : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र मद्रास से व्यापारिक प्रसारण सेवा आरम्भ करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ; और

(ख) इस परियोजना से प्रति वर्ष कितनी आय होने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): वाणिज्यिक प्रसारण मद्रास से शीघ्र ही चालू किये जाने की सम्भावना है। क्योंकि प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, अतः इसके चालू होने में कितना समय लगेगा यह फिलहाल बताना सम्भव नहीं।

(ख) वार्षिक अनुमानित आय लगभग 15 लाख रुपये है।

Issue of Passports

9186. Shri Shri Chand Goel : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of passports issued during 1966, 1967 and 1968 to date; and

(b) the amount of foreign exchange sanctioned during the said period to the persons to whom passports were issued ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning, and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a)

Year	No. of passports issued.
1966	76,070
1967	99,912
1968	26,575 (Upto 31st March)

(b) Information in the form called for is not available with the Government.

International Passports Issued to M.Ps.

9187. Shri Shri Chand Goel : Shri J.B. Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number and the names of the Members of Parliament to whom International Passports have been issued since November, 1967 to date;

(b) the total amount of foreign exchange sanctioned to travellers under this head; and

(c) the names of the countries for which the said passports had been endorsed ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister, of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

लन्दन इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक भूतपूर्व छात्र को सौंपा गया कार्य

9188. श्री जुगल मंडल : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लन्दन इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक भूतपूर्व छात्र श्री सिसिर गुप्त को पश्चिम एशिया में हुऐ हाल के संकट के दौरान सरकार की नीति तथा कार्यवाही के समर्थन में पुस्तकें तथा लेख लिखने का काम सौंपा है;

(ख) क्या उनका ध्यान 'आर्गेनाइज़र' तथा पश्चिमी देशों के समर्थक कई अन्य प्रकाशनों में श्री गुप्त के लेखों की ओर दिलायां गया है जिनमें केन्द्रीय सरकार की नीतियों की विशेषकर विदेशी तथा अन्य विषयों के बारे में आलोचना की गई है ;

(ग) क्या श्री गुप्त ने 1965 और 1966 में अमरीका से लौटते समय दो बार इसरायल का दौरा किया था; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय के नीति आयोजन विभाग तथा सप्रू हाउस में भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के प्रशिक्षण से इस व्यक्ति का निकट का सम्बन्ध है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 'भारत फिलिस्तीन-एक नीति का विकास' नामक एक पुस्तिका का सम्पादन करने में श्री सिसिर गुप्ता की सहायता ली गई थी। यह किताब उन्होंने नहीं लिखी है और न ही उन्होंने सरकार के कहने पर कोई लेख लिखा है।

(ख) सरकार को मालूम है कि 18 अगस्त 1967 के 'आर्गेनाइज़र' के एक लेख में श्री सिसिर गुप्ता द्वारा परमाणु हथियार बनाने की वकालत की थी।

(ग) यह सम्भव है कि श्री गुप्ता 1965 और 1966 में इसराइल गये हों, लेकिन सरकार के पास उनकी यात्रा का कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि सरकार विदेशों में गैर-सरकारी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण नहीं रखती।

(घ) विदेश मंत्रालय के नीति एवं आयोजन प्रभाग से श्री सिसिर गुप्ता का कोई सरोकार नहीं है और न ही भारतीय विदेश सेवा के परख-पर अधिकारियों के प्रशिक्षण से ही उनका कोई सम्बन्ध है, सिवाय इसके कि, दूसरे शिक्षा-शास्त्रियों के समान ही- उन्होंने भी भारतीय विदेश सेवा के परख-पर अधिकारियों के सम्मुख व्याख्यान दिये हैं जिन्हें कि इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज में प्रशिक्षण लेना होता है।

Recovery of Cartridges from the House of Army Personnel

9189. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that 500 cartridges were recovered from the house of an army personnel in Banda District in a raid conducted on his house by Manikpur Railway Security force as reported in the 'Vir-Arjun' of the 11th April, 1968; and

(b) if so, the action taken against the said individual in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir; the reported recovery of cartridges was made from the house of a Railway employee, not an Army person.

(b) He has been arrested; further necessary action is being taken.

Violation of Indian Territory by Chinese Soldiers

9190. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Chinese soldiers have been arrested for violating Indian Territory on Indo-China border areas recently; and

(b) if so, the number of Chinese soldiers arrested for violating the border during the last three years ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) One Chinese soldier who intruded on to the Sikkim side of the Sikkim-Tibet border was arrested recently.

(b) It is not in public interest to answer this Question.

News in Sanskrit

9191. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2892 on the 4th December, 1967 and state :

(a) the names of All India Radio Stations from where Government propose to broadcast news in Sanskrit;

(b) when it is proposed to be undertaken; and

(c) the estimated duration of news broadcast in Sanskrit language ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) It has not been found feasible to introduce daily news bulletins in Sanskrit from All India Radio. A fortnightly news review in Sanskrit is, however, broadcast from the Bombay, Jaipur, Bhopal, Indore, Poona, Patna and Ranchi Stations.

(b) and (c) Do not arise.

नेफा में हवाई जहाज से माल गिराना

9192. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी ऐजेंसी द्वारा नेफा में हवाई जहाज से माल गिराने पर प्रतिमास औसतन कितना व्यय होता है; और

(ख) जब यह काम पहले कलिंग एयरलाइन्स को सौंपा गया था उस समय होने वाले मासिक व्यय की तुलना में यह व्यय कितना कम या अधिक है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) अपने प्रशिक्षण और अन्य उड़ानों के अतिरिक्त विभिन्न ऐजेंसियों की ओर से भारतीय वायु सेना द्वारा हस्तगत किये गये कार्यों के बाहुल्य के कारण, इस समय निम्न अस्थायी दर नियत किये गये हैं :—

डकोटा 939 रुपये प्रति उड़ान घण्टा ।

कारिबो 2305 रुपये प्रति उड़ान घण्टा ।

डकोटा के लिए 1 फरवरी 1967 से प्रति उड़ान के लिऐ कलिंगा एयर लाईन्ज़ द्वारा प्राप्त किया गया दर 920.41 रुपये था ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में प्रचार अनुभाग

9193. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में पृथक प्रचार अनुभाग स्थापित किये गये हैं और अधिकारी नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मिशनों की कुल संख्या तथा नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । विदेश स्थित हमारे अधिकांश मिशनों में अलग प्रचार विभाग खोले गये हैं ।

(ख) ऐसे मिशन जहां प्रचार विभाग हैं उनकी कुल संख्या 61 है । एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1120/68]**

भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार

9194. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती विनियमों तथा उनके लिये आरक्षित रिक्त पदों की संख्या के अनुसार नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय विदेश सेवा में 1962 से आज तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने प्रतिशत लोग भर्ती किये गये ;

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं। भरती विशुद्ध रूप से विनियमों के अनुसार की जाती है और सुरक्षित स्थानों की संख्या के अनुसार भी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1962 से 1967 के बीच भरती की प्रतिशत संख्या 14.7 अनुसूचित जातियों के लिये और 7.3 अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रही है जबकि विनियमानुसार इनकी प्रतिशत संख्या क्रमशः 12.5 और 5 है। विस्तृत ब्यौरा संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1121/68)**

एच० एफ०–24 जेट विमान

9195. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में एच० एफ०–24 लड़ाकू विमानों का उत्पादन निर्धारित समय के अनुसार नहीं चल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या मुख्य रुकावटें हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल०ना० मिश्र): (क) और (ख) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

पाकिस्तान में गुरद्वारों के दानपात्र खोले जाने की घटना

9196. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा छः गुरुद्वारों के दानपात्रों को जबरदस्ती खोले जाने तथा उनके द्वारा उनसे धन निकाले जाने के बारे में सरकार द्वारा किये गये विरोध के बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार पकिस्तानी सरकार प्राधिकारियों द्वारा गुरुद्वारो से निकाले गये धन और ली गई सम्पत्ति को वापिस दे देने और सिख सोत को गुरुद्वारों का पूरा प्रबन्ध सौंप देने के लिये सहमत हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) इस विषय पर सरकार को पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में उनको याद दिलाया गया है। इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाई इस बात पर निर्भर करती है कि पाकिस्तान सरकार से क्या उत्तर प्राप्त होता है।

Foreign Countries Visited by the Prime Minister

9197. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries visited by the Prime Minister since she assumed the said office;

(b) whether it is a fact that persons other than Government officials also accompanied her on her foreign tours to assist her;

(c) if so, the names thereof;

(d) whether their expenses were borne by Government; and

(e) if so, the total amount spent by Government thereon so far ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) (i) France, UK, USA (March-April 1966).

(ii) UAR, Yugoslavia, USSR (July 1966).

(iii) Nepal (October 1666).

(iv) Ceylon (September 1967)

(v) USSR, Poland, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, UAR (October 1967).

(vi) Moscow (November 1967)

(b) to (d) : It is not correct that persons other than Government officials accompanied the Prime Minister on her foreign tours to assist her. However, a certain number of press correspondents were accommodated in the special 'plane when Prime Minister travelled to USSR, Poland, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania and UAR in October 1967. On one occassion, Prime Minister's sons travelled with her from Paris to New York and back in a special aircraft placed at her dissposal by the U. S. Government to transport her during her visit to USA in March-April 1966. No expenditure was incurred by the Government on their account. One of the sons accompanied the Prime Minister during a tour of some East European countries and the UAR in July 1966. The journeys were performed by Air India and fares amounting to Rs, 4,921/— were paid by the Prime Minister personally.

(e) Does not arise.

सेना कमाण्डरों का सम्मेलन

9198. श्री दामानी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए सेना कमाण्डरों के सम्मेलन में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई तथा क्या-क्या निर्णय किये गये;

(ख) यह सम्मेलन कितनी अवधि के बाद हुआ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह निश्चित करने का है कि ऐसे सम्मेलन कितनी-कितनी अवधि के बाद हुआ करेंगे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सेना कमाण्डरों का सम्मेलन सामान्य रूप से वर्ष में दो बार होता है । अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वह उससे पिछले सम्मेलन के पांच महीने बाद हुआ था । इन सम्मेलनों में सेना से सम्बन्धित संगठनात्मक, प्रशासकीय, प्रशिक्षण और संक्रियात्मक मामलों पर विचार विमर्श किया जाता है ।

कुआला लूमपुर में क्षेत्रीय राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन

9199. श्री स्वैल :

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुआला लूमपुर में शीघ्र ही एक क्षेत्रीय राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन होगा जो उस क्षेत्र से ब्रिटिश सेनाओं के हटाए जाने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए नई प्रतिरक्षा व्यवस्था के बारे में निर्णय करेगा ?

(ख) क्या भारत को इस सम्मेलन में बुलाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) निकट भविष्य में मलेशिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, इन पांच राष्ट्रों के कुआला लूमपुर में एक सम्मेलन होने की आशा है किन्तु यह सम्मेलन क्षेत्रीय राष्ट्र मण्डल सम्मेलन नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास के लिये अनुसचिवीय सम्मेलन

9200. श्री स्वैल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास के लिए सिंगापुर में हाल में हुए अनुसचिवीय सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय दल के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ग) क्या भारत ने सम्मेलन की कार्यवाही में कोई योगदान दिया था ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी : (क) जी हां ।

(ख) एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रेक्षक की हैसियत से दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक विकास के लिए मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया था । इस प्रतिनिधिमण्डल में सिंगापुर में हमारे हाई कमिशनर (नेता) थे, और विदेश मंत्रालय का एक सह सचिव तथा वित्त मंत्रालय का एक निदेशक सलाहकार के रूप में था ।

(ग) प्रेक्षक के रूप में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमण्डल से सम्मेलन में हिस्सा लेने की प्रत्याशा नहीं की जाती । बहरहाल, प्रेक्षक प्रतिनिधिमण्डल को दस्तावेज नहीं दिये गये थे ।

नागाओं द्वारा लेडो-यूनान सड़क का प्रयोग

9201. श्री स्वैल : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं को उत्तरी बर्मा से होकर मोटर गाड़ियों द्वारा चीन ले जाने के लिए पुरानी लेडो-यूनान सड़क को प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या इस बारे में बर्मा सरकार से बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में बर्मा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की क्षेत्रीय संधि

9202. **श्री स्वैल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में से, जिनकी यात्रा करने का प्रधान मंत्री का विचार है, किसी देश ने भारत से औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से यह अनुरोध किया है कि दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की एक क्षेत्रीय संधि स्थापित की जाय, जिसमें भारत भी सम्मिलित हो; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी

9203. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सेवा मुक्त एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को लोक सेवा के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एम० आर० कृष्ण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारी

9204. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को सरकारी सेवा में वरिष्ठता के अनुसार नहीं लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के अधीन राजपत्रित सेवाओं तथा नियुक्तियों में रिक्त स्थान इण्टरव्यू के आधार पर चयन द्वारा या प्रार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं या विचाराधीन स्थानों के लिए अर्ह तथा उपयुक्त अफसरों द्वारा पूर्ण किये जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए ई० सी० ओ० के तौर पर सेवा के आधार पर वरिठष्ता उपयुक्त कसौटी न होगी।

एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारी

9205. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी राज्य सरकार ने अब तक किसी भी सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी को उपयुक्त पद पर नियुक्त नहीं किया है; और

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को राज्य सरकारों और संघीय प्रदेश प्रशासनों के अधीन पदों पर नियुक्त किया गया है।

वाणिज्यिक फर्मों में सैनिक अधिकारी

9206. श्री जुगल मंडल : क्या **प्रतिरक्षा** मत्री 10 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6873 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वाणिज्यिक फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं, जिनमें सैनिक अधिकारी प्रबन्धकों के रूप में नियुक्त हैं अथवा सम्बन्धित हैं, तथा प्रत्येक के वेतन क्या हैं; और

(ख) क्या अपनी सरकारी सेवा के दौरान इन अधिकारियों का अपने वर्तमान मालिकों से कोई सम्बन्ध रहा था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1122/68]**

(ख) जी नहीं ।

चलचित्र गृह

9207. श्री सु० कु० तापड़िया . क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 10 अप्रैल, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न सख्या 19 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्षवार, चलचित्र गृह बनाने के लिये विभिन्न राज्यों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ग) कितते लाइसेंसों का उपयोग किया गया; कितने लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया और कितने लाइसेंस विचाराधीन हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) यह मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । उनसे सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

आकाशवाणी के संगीत और नाटक डिवीजन में कारें

9208. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1968 तक आकाशवाणी के संगीत तथा नाटक प्रभाग में कुल कितनी कारें थी ?

(ख) 1 फरवरी, 1968 को उनमें से कितनी कारें चलाने लायक थीं; और

(ग) 1 फरवरी, 1968 से 29 फरवरी, 1968 तक मीटरों वाली टैक्सियों तथा बिना मीटर वाली टैक्सियों को कुल कितना किराया दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग में कोई कार नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली में तथा बाहर 1 फरवरी, 1968 से 29 फरवरी, 1968 तक की अवधि के दौरान टैक्सियों का 4,126 रुपये किराया दिया गया ।

आकाशवाणी के हिन्दी अनाउन्सरों की स्वर परीक्षा

9209. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में हिन्दी अनाउंसरों की नवीनतम स्वर परीक्षा कब हुई थी;

(ख) क्या उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के के० शाह) : (क) 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी, 1968 का।

(ख) जी, हां।

(ग) सवाल नहीं उठता।

आकाशवाणी में चीफ प्रोड्यूसरों का तदर्थ वेतन वृद्धियों का दिया जाना

9210. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों में सबसे अधिक वेतन पाने वाले चीफ प्रोड्यूसरों को अन्तरिम सहायता के रूप में पिछले वर्ष किसी समय दो तदर्थ वेतन बृद्धियां दी गई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टाफ आर्टिस्टों में सब कम वेतन पाने वाले तानपुरा प्लेयरों का, जिन्हें उसी समय अन्तिरिम सहायता के रूप में दो वेतन वृद्धियां देने का वचन दिया था, अभी तक कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। अधिकांश मुख्य प्रोड्यूसरों को दो-दो अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां उनके अपने-अपने क्षेत्रों में उनकी योग्यता और उच्च ख्याति का विचार करते हुए दी गई थी।

(ख) तानपुरा कलाकारों को दो वृद्धियां देने के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर विचार-विमर्श हो रहा है और मामला विचाराधीन है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों के पिछड़े हुए क्षेत्र

9211. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों के पिछड़े हुए क्षेत्र जिनमें अधिकतर आदिमजातियों के लोग रहते हैं, खाद्य उत्पादन के मामले में हमेशा कमी के क्षेत्र रहे हैं जिसके परिणासस्वरूप बहुत संख्या में आदिम जाति के लोग असाम तथा पश्चिमी बंगाल के चाय के बागानों में चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यातायात, सिंचाई तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के बारे में विशेष कार्यवाही करने का विचार रखती है ताकि यह क्षेत्र खाद्य के बारे में आत्मनिर्भर हो जायें तथा शिक्षा के बारे में अच्छी तरह विकसित हो जायें; और

(ग) प्रधान मंत्री को सूखा सहायता निधि में से बिहार को दी गई राशि में से छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के लोगों को कितनी राशि दी गई ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री: योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि वह इस बात से अवगत है कि जहां तक अन्न उत्पादन का सम्बन्ध है छोटा नागपुर तथा संथाल परगनों के क्षेत्र अधिकतर कमीवाले क्षेत्र रहे हैं। पर वह इस बात से अवगत नहीं है कि अन्न उत्पादन की कमी के परिणामस्वरूप आदिम जातियों के लोग बहुत संख्या में असम और पश्चिमी बंगाल के बागानों में चाय बागानों में चले गये हैं। यह बात ज्ञात है कि जिन दिनों खेती का काम कम रहता है खेतीहर मजदूर काम की तलाश में इधर-उधर जाते हैं।

(ख) जी, हां। राज्य सरकार का आयोजना और विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय आयोजना मण्डल इस विषय में कार्यवाही कर रहा है।

(ग) हाल में पड़े सूखे के दौरान प्रधान मंत्री की सहायता निधि में से 1.45 लाख रुपये प्राप्त हुए थे जो बिहार पुण्यार्थ निधि में जमा किये गये और उसमें से सूखापीड़ित क्षेत्रों के लोगों को जिसमें इन क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं सामान्य रूप से सहायता दी गई थी, यह बताना संभव नहीं है कि छोटा नागपुर और संथाल परगनों के लोगों को इस सहायता का ठीक कितना अंश दिया गया था।

जालंधर के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर

9212. श्री गाडिलिंगन गौड़ :

श्री मुत्तुस्वामी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये जालन्धर में एक शक्तिशाली मध्य तरंग ट्रांसमीटर के कब तक लगाये जाने की सम्भावना है ? **(क) और (ख)**

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : जालन्धर में उच्च शक्ति का एक अतिरिक्त मीडियम वेव ट्रांसमीटर 21 अप्रैल 1968 से चालू हो गया है।

मैसूर राज्य के समाचार पत्रों में विज्ञापन

9213. श्री क० लकप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार दक्कन हैरेल्ड ब्रजावणी, जैनाडु, संयुक्त करनाटक तथा करनाटक प्रभा जैसे मैसूर राज्य के दैनिक समाचार-पत्रों को विज्ञापन देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में मैसूर राज्य के प्रत्येक समाचार पत्र को कुल कितने विज्ञापन दिये गये हैं तथा प्रत्येक पत्र को कितना धन दिया गया है; और

(ग) क्या समाचार पत्रों के मालिकों द्वारा इस बारे कोई अभ्यावेदन पेश किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। कर्नाटक प्रभा के अतिरिक्त।

(ख) भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों और उनको दी गई धन राशि के ब्यौरे के बारे में जो सूचना है वह विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और सम्बन्धित पत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है। सम्बन्धित पत्रों की पूर्व सहमति के बिना इस बारे में इकतरफा सूचना देना अच्छी व्यापारिक नैतिकता नहीं होगी।

(ग) मैसूर राज्य में छपने वाले 12 अन्य दैनिक पत्रों की विज्ञापनों को रिलीज करने की प्रार्थनायें विचाराधीन है।

टेलीविजन में निमार्ताओं तथा वाचकों (एनाउन्सर्स) के वेतन-क्रम

9214 श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन में काम कर रहे कुछ स्टाफ आर्टिस्टों यथा निर्माताओं तथा वाचकों के वेतन-क्रम 1 मार्च, 1968 से क्रियान्वित किये जाने के लिये हाल में मंजूर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इनकी क्रियान्वित में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) टेलोंविजन केन्द्र, दिल्ली के वर्तमान स्टाफ आर्टिस्टों को छांटने और वह पद्धति जिससे उनमें से प्रत्येक को इन फीस स्केलों पर लाया जा सके, सुझाने के लिए एक विभागीय समिति बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की समिति गठित करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और नये फीस स्केलों को इन स्टाफ आर्टिस्टों के छांटने के बाद, लागू किया जायेगा।

पिछड़े क्षेत्र

9215 श्री किरुत्तिनन : क्या **प्रधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में क्या कसौटी मानी गई है ;

(ख) योजना आयोग द्वारा तमिलनाद में किन-किन क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों के रूप में माना गया है ;

(ग) क्या यह यह सच है कि तामिलनाद में शिवगंगा तालुक को पिछड़े क्षेत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) दिनांक 20 जुलाई 1967 के प्रश्न संख्या 1265 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) दिनांक 11 दिसम्बर, 1167 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3668 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) और (घ) विकास के विशिष्ट सूचकों के आधार पर, राज्य सरकार ने शिवगंगा तालुक को उल्लेखनीय पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित करना आवश्यक नहीं नहीं समझा।

स्टाफ आर्टिस्टों को धन का वितरण

9216. श्री धीरेन्द्रनाथ देव :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष के अन्त में अपने कलाकार कर्मचारियों को वेतन के अलावा काफी राशि बांटी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी को कितना लाभ हुआ है और कितनी कला वस्तुओं के लिये और किस आय-व्यय अनुदान से; और

(ग) सरकार का विचार इन चित्रों (पेटिंग्ज) का, जो अब कीमती हैं, उपयोग किस तरह करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : हाल ही में सरकार ने मन्त्रालय के 30 कलाकारों **[सूची पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1123/68 है]** की कला कृतियों में से 40 कलाकृतियों की 18,765,00 रुपये की कीमत पर चयन किया है। यह खर्चा विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के अनुदान में से किया गया, कुछ 1967-68 के बजट में से और कुछ 1968-69 के बजट से। वे सृजनात्मक कलाकृतियाँ हैं जो कलाकारों ने अपने खर्चे पर कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में बनाई हैं। इन कलाकृतियों का प्रतिक्षालय तथा अन्य ऐसे स्थानों, जहां जनता की पहुँच है, में प्रदर्शन के अतिरिक्त सरकारी प्रकाशनों, कलेन्डरों, डायरियां, डाक्टरों, फील्डरों इत्यादि के लिए उपयोग किया जायेगा।

दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय की प्रदर्शनी शाखा द्वारा व्यय

9217. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दृश्य तथा श्रव्य प्रचार निदेशालय विशेषत: प्रदर्शनी स्कन्ध द्वारा प्रतिवर्ष यात्रा दैनिक भत्तों पर और कभी-कभी परिहाये दौरों पर भारी राशि खर्च की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में आज तक प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी पर कुल कितना व्यय हुआ और विमान/रेल यात्रा पर कितना-कितना खर्च आया;

(ग) सरकार का विचार इस शीर्षक के अन्तर्गत, जिसमें विमान यात्रा शामिल है, खर्च को किस प्रकार कम से कम करने का है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में दौरे पर भेजे गये प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी ने क्या विशिष्ट काम किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री० के० के० शाह) : (क) से (ग) : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अधिकारी तभी दौरे पर जाते हैं जबकि काम हित में आवश्यक हो। निदेशालय का प्रदर्शनी प्रभाग सारे देश में प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी है और अधिकारियों को अपने कर्तव्य-पूर्ति के लिये दौरे करने पड़ते हैं। वायुयान से यात्रा करने की अनुमति बचत की आवश्यकता और इस बात को ध्यान में रख कर विशेष अवस्था में ही दी जाती

है कि यात्रा कितनी जरूरी है। प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी पर पिछले तीन वर्षों में यात्रा-भत्तों और दैनिक भत्तों पर कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1124/68]**

(घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अधिकारी प्रायः जिन कामों के लिये दौरा करते हैं वे नीचे दिये गये हैं:—

(1) बैठकों में भाग लेना; (2) छपाई के काम की देखभाल करना; (3) प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना; (4) बड़ी प्रदर्शनियों से सम्बन्धित समारोहों की व्यवस्था करना; (5) विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी एककों, प्रादेशिक कार्यालयों आदि का निरीक्षण करना।

अफ्रीकी एशियाई देशों का फिल्म समारोह

9218. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1968 में किसी समय अफ्रीकी एशियाई देशों का एक फिल्म समारोह मास्को में होने वाला है; और

(ख) उस सम्मेलन में भारत जो फिल्में भेजना चाहता है उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : सरकार ने अखबार में यह समाचार देखा है कि अक्तूबर, 1968 में ताशकन्द में अफ्रीकी-एशियाई फिल्म समारोह आयोजित किया जा रहा है, परन्तु इस समारोह में भाग लेने के बारे में कोई सरकारी निमंत्रण या नियम प्राप्त नहीं हुए हैं। समारोह में भारत के भाग लेने सम्बन्धी प्रश्न पर निमंत्रण प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।

पूर्वी पाकिस्तान में स्थित धार्मिक स्थानों को यात्रा के लिए जाने के लिए हिन्दुओं को अनुमति का नहीं दिया जाना

9219. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की यात्रा पर जाने वाले हिन्दुओं को अनुमति नहीं दी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हिन्दुओं को ये सुविधायें देने के लिये पाकिस्तान सरकार से कहा है;

(ग) इस वर्ष में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (घ) : कलकत्ता को 'वोगरा सम्मिलनी' के एक दल को पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की यात्रा की अनुमति इस कारण नहीं दी कि यात्रा की सूचना अल्पकालिक थी। पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया गया है।

भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों की बैठक

9220. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों की जो बैठक 12 अप्रैल, 1968 को होनी निश्चित हुई थी वह नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारी नहीं आये

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इसकी सूचना दे दी है;

(ग) क्या उस बैठक को निकट भविष्य में किसी समय बुलाने के बारे में पाकिस्तान सरकार से भारत सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर सीमांकन कार्य फिर शुरू करने के बारे में पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशकों की बैठक 12 अप्रैल 1968 को नहीं हो सकी क्योंकि पत्रों के मिलने में कुछ समय की गड़बड़ी हो गई थी ।

अब मई के तीसरे सप्ताह में बैठक होना तय हुआ है, और सरकार इस बात का सुनिश्चय करने के लिये पाकिस्तान के प्राधिकारियों से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं कि सीमांकन का कार्य फिर शुरू हो जाए ।

उपग्रह संचार केन्द्र, अहमदाबाद

9221. श्री स० चं० सामन्त : क्या **प्रधान** मंत्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद के निकट स्थापित किये गये उपग्रह संचार केन्द्र को चलाने के लिए वर्ष 1968-69 के लिए कितना तथा आगामी दस वर्ष के लिये कितना खर्च करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) भारत में निर्मित उपग्रह टेलीविजन तथा आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण कब कर सकेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्ष 1968-69 के लिये लगभग 13 लाख रुपये का खर्च निर्धारित किया गया है । अगले दस वर्षों के लिये इस केन्द्र की विकास योजना तैयार की जा रही है ।

(ख) इस बारे में अध्ययन किया जा रहा है तथा कार्यक्रम कब तक प्रसारित किया जा सकेगा यह बता सकना अभी सम्भव नहीं है ।

जलगांव में आकाशवाणी केन्द्र

9222. श्री एस० एस० सैयद : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में जलगांव में आकाशवाणी का एक केन्द्र खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1966-67 से चालू होनी थी, के मसौद में औरंगाबाद जलगांव क्षेत्र में एक रेडियो

केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था थी। इस प्रस्ताव को साधनो के उपलब्ध होने पर कार्यान्वित किया जायेगा।

केन्द्रीय सूचना सेवा के ये अधिकारियों की "सिविल सूची"

9223. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की "सिविल सूची" जारी की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा के सब कर्मचारियों को आगामी सिविल सूची कब जारी की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : किफायत की दृष्टि से इस सूची के प्रकाशन की नियतकालिकता कम करने का निर्णय किया था। अगली 'सिविल सूची' 5 साल के अंतर के बाद अर्थात 1969 में प्रकाशित की जाए।

केन्द्रीय सूचना सेवा के स्थायी पद

9224. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के स्थायी पदों की संख्या कितनी है तथा वास्तव में कितने अधिकारियों को स्थायी घोषित किया गया है;

(ख) स्थायी तथा अस्थायी पदों में भारी विषमता होने के क्या कारण है; और

(ग) प्रत्येक स्थायी पद के लिये अधिकारियों को कब तक स्थायी घोषित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1125/68]**

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सेवा ग्रेड तीन और चार में भर्ती

9225. **श्री प्र० न० समर्लकी :**

श्री रा० कि० अमीन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के पदों के लिये भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन श्रेणियों के लिये वर्ष 1960 से अब तक कितनी परीक्षायें हुई हैं तथा उनके आधार पर कितने अधिकारियों को नियुक्त किया गया है; और

(ग) एक निश्चित अन्तरावधि के बाद ये परीक्षायें न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के०के० शाह) : (क)से(ग) ग्रेड 4 के सभी खाली स्थान संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाते हैं। ग्रेड 3 के 25 प्रतिशत खाली स्थान भी इस तरह 31 दिसम्बर, 1964 तक भरे गये थे। तथापि संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर इस ग्रेड में सीधीं भर्ती 1 जनवरी, 1965 से बंद कर दी गई है।

ग्रेड 4 में भर्ती के लिए दो परीक्षायें 1964 और 1965 में और ग्रेड 3 में भर्ती के लिये एक परीक्षा 1963 में हुई है। इन दोनों ग्रेडों में क्रमशः 106 और 13 अधिकारी नियुक्त किए गये थे।

ग्रेड 4 के लिये 1965 के बाद कोई परीक्षा लेना सम्भव नहीं हो पाया है, क्योंकि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के बारे में आयू में छूट देने और केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली में संशोधन करने के प्रश्न पर आयोग की सलाह से विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सूचना सेवा

9226. श्री नेजा गौडर :

श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक सूचना अधिकारी संवर्ग सेवाओं के माध्यम से तथा केन्द्रीय सूचना सेवा के वर्ग 4 से भर्ती किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कई वर्षों तक काम कर चुके सिद्ध पत्रकारों की अपेक्षा नये लोगों को ऊंचा दर्जा देने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें भिन्न-भिन्न वेतन-मान दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) : पत्र सूचना कार्यालय में सहायक सूचना अधिकारी के पद पर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड 2 (400-900 रुपये, श्रेणी 1) और ग्रैड 3 (350-800 रुपये, श्रेणी 2) के अधिकारी होते हैं। ग्रेड 3 में सभी खाली स्थान ग्रेड 4 (270-485 रुपये, श्रेणी 2) से पदोन्नति द्वारा भी जाते हैं। इसी प्रकार 50 प्रतिशत स्थायी खाली स्थानों के सिवाय, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और सम्बन्ध सेवाओं की परीक्षाओं के आधार पर भरे जाते हैं, सभी खाली स्थान, जिनमें ग्रेड 2 के सभी अस्थायी खाली स्थान भी शामिल हैं, ग्रेड 3 से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(ख) ग्रेड 2 के अधिकारियों की परस्पर प्रवरता गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती का नियमन करने वाले सामान्य अनुदेशों के अनुसार निश्चित की जाती हैं।

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थिति वही है जो अन्य केन्द्रीय सेवाओं में है। केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड 2 में सीधी भर्ती भी व्यवस्था संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर की गई है ताकि उच्च शैक्षिक रिकार्ड और बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्ति प्राप्त किये जा सकें।

केन्द्रीय सूचना सेवा में ठेके के आधार पर नियुक्तियां

9227. श्री नेजा गौडर :

श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1960 में केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन से पहले विभिन्न

श्रेणियों के अधिकारी/कर्मचारी ठेके के आधार पर नियुक्त किये जाते थे;

(ख) यदि हां, तो उनके ग्रेड क्या थे, प्रत्येक ग्रेड में कितने पद थे और ठेके की आम शर्तें क्या थीं;

(ग) ठेके के आधार पर नियुक्त किये गये इन अधिकारियों में से कितने अधिकारी किस आधार पर और किन-किन ग्रेडों में केन्द्रीय सूचना सेवा में खपाये गये; और

(घ) ऐसे कितने अधिकारी सेवा निवृत हो गये हैं और इन अधिकारियों को कुल कितनी पैंशन दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी, हां। 1960 में केन्द्रीय सूचना सेवा के बनने से पूर्व, नियुक्ति का अधिकार रखने वाले अधिकारियों द्वारा कुछ पद ठेके के आधार पर भरे गये।

(ख) और (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.** 1126/68] सम्बन्धित अधिकारियों पर फन्डैमेंटल एण्ड सप्लिमेंट्री रूल्ज के परिशिष्ट 27 में, समय समय पर, दिये गये नियम लागू होते थे।

ठेके पर नियुक्त इन अधिकारियों, जिनके पद अन्य पदों के साथ साथ केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्मिलित किये गये, का एक चयन-समिति, जिसका सभापतित्व संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य द्वारा किया गया, के द्वारा छटनी किये गये और जिनको उनकी अर्हताओं, पृष्टभूमि, अनुभव और कान्फीडैन्सल रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए योग्य पाया गया, आयोग की सिफारिश के अनुसार सेवा के उचित ग्रेडों में नियुक्त किया गया।

(घ) आठ अधिकारी सेवा निवृत हो गये। उनको जो मासिक पैंशन स्वीकृत हुई वह इस प्रकार हैं:—

(1)	243/—	रुपए
(2)	170/—	रुपए
(3)	537/—	रुपए
(4)	375.—	रुपए
(5)	435.40	रुपए
(6)	132.00	रुपए
(7)	275.70	रुपए
(8)	211.00	रुपए

फिल्मों का निर्यात

9228. श्री काशी नाथ पाण्डेय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में भारत में बनी (1) गाइड, (2) आई मिलन की बेला, (3) बूट पालिश (4) आवारा (5) श्री 420 (6) मुगले आजम (7) काला बाजार (8) टैक्सी ड्राइवर तथा (9) यादें नामक फिल्मों को विदेशों में दिखाये जाने के लिये भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में ये फिल्में किस किस वर्ष कौन कौन से देश में दिखाई गई;

(ग) उपरोक्त अवधि में यदि इन फिल्मों को कोई विदेशी मुद्रा दी गई तो कितनी; और

(घ) उपरोक्त फिल्मों के निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं और क्या इन फिल्मों के निर्माताओं ने इन फिल्मों को गैर-सरकारी तौर पर भेजा था अथवा सरकारी तौर पर और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों द्वारा टेलीविजन के लिये समाचारों का संकलन

9229. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के कितने अधिकारी टेलीविजन के लिये समाचार बुलेटिनों का संकलन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा में केवल श्रमजीवी पत्रकारों को भर्ती करने की वांछनीयता का विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन किन प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : टेलीविजन समाचार बुलेटिन एक सहायक समाचार सम्पादक और एक स्टाफ-आर्टिस्ट द्वारा साहाय्यित हिन्दी एकक के कार्य-भारी समाचार सम्पादक द्वारा संकलित किये जाते हैं ।

समाचार सम्पादक और सहायक समाचार सम्पादक दोनों केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं । इस काम के लिये उन्हें उनकी अर्हताओं, पृष्टभूमि और योग्यता का ध्यान रखते हुये बड़े सोच विचार कर चुना गया है ।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली में पहले ही सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सीधी भर्ती पत्रकारिता का अपेक्षित अनुभव और पृष्टभूमि रखने वाले व्यक्तियों की करने की व्यवस्था है । केवल ग्रेड 2 और ग्रेड 4 में, जहां भर्ती किये गये व्यक्तियों को ड्यूटी पर लगाये जाने से पहले जन सम्पर्क के साधनों में प्रगाढ़ प्रशिक्षण दिया जाता है कुछ अपवाद हैं ।

अनुसंधान तथा विकास स्थापनायें

9230. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान तथा विकास स्थापनाओं/प्रयोगशालाओं में ठीक तथा कार्यकुशलता से कार्य चलाने हेतु अनुसंधान तथा विकास स्थापनाओं तथा प्रयोगशालाओं का एक आदर्श संविधान सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक अपनाया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) : सरकार ने आदर्श संविधान के आधार पर अनुसंधान तथा विकास संस्थापनों और प्रयोगशालाओं के प्रशासन की मंजूरी देते हुए आदेश जारी किये है । यह व्यवस्था डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ वर्क स्टडी, लन्दौर और प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेंटल इस्टाब्लिशमेंट, बालासोर को छोड़कर, जिनके कि कार्यकलाप कुछ अलग ही किस्म के हैं, शेष सभी अनुसंधान तथा विकास संस्थापनों और प्रयोगशालाओं पर लागू होगी । शासी परिषदों को बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किये जाने की आशा है ।

रानी गायदेलु की प्रधान मंत्री से भेंट

9231. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर और नागालैंड की रानी गायदेलु ने हाल में प्रधान मंत्री से भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : (क) : जी हाँ। 24 अप्रैल, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 1409 पर पूरक प्रश्नों के दौरान यह सूचना दी जा चुकी है।

(ख) : रानी गायदेलु ने 16 अप्रैल, 1968 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी। उन्होंने नागालैंड राज्य के कुछ भगों में, केन्द्र शासन प्रदेश मणिपुर और आसाम के उत्तर कछार जिले में रहने वाले जेलियांगरोंग नागाओं के लिये एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रश्न उठाया था। प्रधान मंत्री ने उन्हें बताया कि इस समय उस क्षेत्र में जो गड़बड़ी की परिस्थितियां हैं उनमें इस तरह के प्रश्नों को उठाना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इस क्षेत्र में शांति की शक्तियों को मजबूत करने में रानी के कार्य की प्रधान मंत्री ने सराहना की।

Netaji Enquiry Committee Report

9232. **Shri Ram Avatar Sharma :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that immediately after the presentation of the Shah Nawaz Committee Report in 1955 in regard to Netaji Subhas Chandra Bose, a Buddhist monk was brought to India for interrogation as he was suspected to be Netaji ;

(b) if s o, whether the said monk wasi nterrogated ; and

(c) if so, the details there of ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में रूसी भाषा के दुभाषिया

9233: **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का नासिक डिविजन, जिसने रूसी भाषा के दुभाषिया के पदों के लिये बार-बार विज्ञापन दिया है, उन पदों के उम्मीदवारों को अपने मूल कार्यालयों में अपने स्थायी पदों पर अपना पूर्वाधिकार कायम रखने की अनुमति नहीं देता है तथा वह उन्हें अपने विभागों में से त्याग पत्र देने के लिए बाध्य करता है, जो इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया विद्यमान आदेशों के प्रतिकूल हैं ;

(ख) यह भी सच है कि इस उपक्रम में यह विषमता होने के कारण बहुत से उम्मीदवार जिनकी पहली सेवा कई वर्षों की है उक्त उपक्रम द्वारा चुने जाने पर अपने नये पद पर नहीं जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं तथा इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) राजकीय क्षेत्र के उपकरणों/स्वायत्त अर्ध-सरकारी संगठनों में स्थानों के लिए सरकारी सेवकों के प्रार्थना पत्र आगे भेजते समय मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। इन निर्देशों के अनुसार एक सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपने स्थायी स्थान पर दो वर्षों की अवधि के लिए लियन रख सकता है, परन्तु कई शर्तों का पालन किये जाने पर। केवल एक ही ऐसा मामला हुआ है कि जहां उम्मीदवार को नासिक डिवीजन में नियुक्ति स्वीकार करने से पहले सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने को कहा गया था, और इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई शर्तें पूरी नहीं की गई थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Appointment of defeated candidates in General Election as Indian Ambassadors

9234. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state;

(a) whether Government have decided to appoint Shri Alagesan, who was defeated in the last General Elections as Ambassdor of India in Ethiopia ; and

(b) the number and the names of such persons who were defeated in General Elections held so far and were appointed as Ambassadors thereafter ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Government have appointed Shri Alagesan, a formerly Minister of State for Petroleum and Chemicals, as the next Indian Ambassador to Ethiopia on grounds of his suitability for a diplomatic assignment.

(b) No such lists are maintained.

पंजाब में पत्रकारों को पुरस्कार

9235. श्री प्र० के० देव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने विभिन्न पत्रकारों का, उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में हाल में नकद पुरस्कार और अनुदान दिए हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न विभागों से इन पुरस्कारों और अनुदानों के दिये जाने पर आपत्ति की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे पुरस्कार अनुदान देने के बारे में परिणामों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रश्न के बारे में पंजाब सरकार के साथ बातचीत करने का सरकार का क्या विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। राज्य सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य राज्य में संस्कृति और कला के विकास और प्रगति की ओर गति देना है।

(ख) समाचार-पत्र की रिपोर्ट से पता लगता है कि योजना के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि योजना कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में शिकायतों पर विचार किया गया।

(ग) और (घ) क्योंकि प्रेस समवर्ती सूची में है, राज्य सरकारें इस विषय में कार्यवाही कर सकती हैं जिसको निसन्देह वे उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से कार्यवाही करेंगी। केन्द्रीय सरकार का इस बारे में आगे कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में प्रशासन का सुव्यवस्थीकरण

9236. श्री प्र० के० देव :

श्री एम० पी० राममूर्ति ।

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० आर० पिल्ले के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाये गये हैं।

(ख) क्या भविष्य में उच्च पदों पर पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर ही होंगी; और

(ग) प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका किस रूप में प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और क्या इस बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) भारतीय विदेश सेवा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं।

(ख) और (ग) सरकार की यह सुनिश्चित नीति है कि ऊंचे पदों पर योग्यता के आधार पर पदोन्नति हो। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से इस नीति के खिलाफ सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

चीन में बने पैराशूटों का बरामद किया जाना

9237. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दी० चं० शर्मा**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में बने कुछ पैराशूट हाल में केरल तट पर पाये गये थे;

(ख) क्या इस मामले में जांच की गई है;

(ग) क्या इस जांच से इस बात का पता लगा है कि केरल तट से होकर भारत को निरन्तर चीनी हथियारों की सप्लाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। तदापि जापानी तथा अंग्रेजी चिन्ह संकेतों समेत पैराशूट सिगनलों पर सम्मिलित एक संदूक केरल राज्य में कैंगनूर में पड़ा पाया गया था।

(ख) जांच तथा रिपोर्ट के लिए नमूने उपयुक्त अधिकरणों को भेजे गए हैं। ऐसा लगता है कि सन्दूक में डिस्ट्रेस राकेट फ्लेयर थे, जिन्हें किसी चलते पोत/मछली पकड़ने वाले पोत ने समुद्र में फेंक दिया क्योंकि जैसे कि चिन्ह संकेतों से पता चलता है, साज-सामान की उपयोगिता जून 1967 में समाप्त हो गई थी।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के साथ करार

9238. श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री देवेन सेन :**
श्री भगवान दास : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री हो० जा० मुकर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 23 नवम्बर 1964 को अथवा उसके आस-पास इस सभा में घोषित किया था कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को 1 अक्तूबर, 1964 से 5 वर्ष के ठेके पर रखा जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने आगे यह भी घोषणा की थी कि स्टाफ आर्टिस्टों को 60 वर्ष की उम्र तक काम करने दिया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस घोषणा को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

रूस की सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में परमाणु बिजली घर की स्थापना

9239. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पूर्वी पाकिस्तान में एक परमाणु बिजली घर बनाने सम्बन्धी योजना के बारे में रूस ने पाकिस्तान के साथ हाल में एक करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा भारत की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मन्त्री अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार, पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता नहीं है । यह करार वाणिज्यिक प्रबन्ध है जिसका सम्बन्ध शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करने से है ।

भूतपूर्व सैनिकों से ज्ञापन

9240. श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री गिरिराज शरण सिंह : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री हेमराज :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन भूतपूर्व सैनिकों की ओर से कोई ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ है; जिन्होंने हाल में दिल्ली में अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में उनसे भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भूतपूर्व सैनिकों के संघ से प्राप्त ज्ञापन पत्र में रक्षा मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को पहले से दिये गये सेवा सम्बन्धी वृहत् रियायतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है, और मंत्रालय के विचारार्थ कई सुझाव भी दिये हैं । यह सुझाव मुख्य इन विषय को आवृत्त करते हैं :—

(1) झण्डा दिवस निधि से भूतपूर्व सैनिक संघ के लिए हिस्सा ।

(2) मशीनीकृत फार्मों के लिए भूमि और निधि ।

(3) भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शनों में वृद्धि ।

(4) सेना मण्डल के साथ वित्तीय अनुदान ।

(5) रक्षा पुनरावास वित्त कार्पोरेशन ।

(6) सेवा से विमुक्त आभाती कमीशन प्राप्त अफसरों की पुनर्नियुक्ति ।

(7) युद्ध में या ड्यूटी पर मरने वाले सेवा से विवर्ग के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता ।

इन सुझावों को, जिनमें कुछ नई नहीं हैं, सरकार ने नोट कर लिया है, और जहाँ आवश्यक और सम्भव समझा जायेगा, कार्यवाही की जाएगी ।

भारतीय वायु सेना के डकोटा विमान की दुर्घटना

9241. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना का एक डकोटा विमान 17 अप्रैल, 1968 को लखनऊ के प्रतिरक्षा हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके फलस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारण की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दो ।

(ग) और (घ) : दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त की गई कोर्ट आफ इन्क्वायरी प्रगतिशील है ।

पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता

9242. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार इटली के माध्यम से पाकिस्तान को पहले सप्लाई किये गये 100 टैंकों के अलावा सब प्रकार की सैनिक सहायता दे रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान को अनेक जेट विमान, लड़ाकू विमान तथा पनडुब्बियां भी सप्लाई की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका सरकार को उनकी भारत विरोधी नीति के बारे में सूचित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अमरीका सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

डा० धर्म तेजा

9243. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० धर्म तेजा और उसकी पत्नी को भारत लौटने का नोटिस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि डा० धर्म तेजा ने इस नोटिस पर आपत्ति की है क्योंकि वह अंग्रेजी में है; और

(ग) यदि, हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) क्या सरकार ने डा० और श्रीमती धर्म तेजा के प्रत्यर्पण के लिए कोस्टारिक सरकार से आवश्यक दस्तावेजी के साथ औपचारिक रूप से अनुरोध करना ज्यादा उचित समझा जो कि उन्होंने अपने सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया है। उसके बाद तेजा दम्पति ने कोस्टारिक के सर्वोच्च न्यायालय में दस्तावेजों की भाषा के बारे में प्रारम्भिक आपत्ति की है । इस प्रारम्भिक विषय का शीघ्र निपटारा करने के लिए भारतीय वकील द्वारा दिये गये आवेदन पत्र समेत सारा मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

सेवा-निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों के पेन्शन के मामले

9244. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सेवा-निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों के मामले में वर्षवार, अभी तक पेंशन मंजूर नहीं की गई है;

(ख) क्या ये मामले वर्ष 1952 से विचाराधीन पड़े हैं;

(ग) यदि नहीं, तो वे मामले कब से विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1127/68**]

Film "Mera Nam Joker"

9245. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Shri Raj Kapur is producing a film entitled "Mera Nam Joker" in three parts and if so, whether he has sought the permission of Government in this connection;

(b) whether any film has previously been produced in three or four parts by any film producer and if so, the name thereof ? and

(c) if not, the reasons for permitting the producer of the said film to produce it in three parts ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Government is aware that the film entitled "Mera Nam Joker" is being produced in more than one part. No permission is necessary for shooting a film. Permission, however, has been accorded alongwith the release of the foreign exchange for shooting some of the sequences abroad in conformity with the prescribed procedure.

(b) Shri Satyajit Ray made the famous Apu trilogy in three parts but under three different titles. The producers of all the three films were different.

(c) Does not arise.

सेंसर द्वारा फिल्मों को काटकर पास किया जाना

9246. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में तथा मार्च, 1968 के अन्त तक हमारे फिल्म सेंसर कर्ताओं द्वारा काट कर पास की गई किसी भारतीय फिल्म को बिना तिकोन का प्रमाणपत्र दिया गया था जबकि तिकोंन का चिन्ह प्रायः उन फिल्मों में दिया जाता है जिनमें काट छांट की गई होती है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी बात की पुनरावृति न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1127/68]** जिसमें उन विदेशी फिल्मों के नाम दिये हैं जो 1967 की अवधि में और मार्च, 1968 के अन्त तक, बोर्ड द्वारा काट-छांट के बाद बिना त्रिकोण के निशान के, जो काट-छांट का सूचक है, प्रमाणित की गई । सरकार मामले में सचेत है और केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाई करने पर विचार करेगी :

चलचित्रों का मनोरंजन कर से छूट

9247. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित (1) उपकार (2) परिवार (3) दोस्ती (4) नई उमर की नई फसल तथा (5) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नामक चलचित्रों को मनोरन्जन कर से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उन्हें मनोरन्जन कर से मुक्त किया गया है; और

(ग) इस कर से छूट देने के चलचित्र वार क्या कारण हैं और प्रत्येक चलचित्र को किस वर्ष में तथा किस तारीख से मनोरन्जन कर से छूट दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : यह एक ऐसा मामला है जो राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । उनसे सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगीं ।

फिल्म उद्योग में विवादों का निपटारा

9248. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री शशि भूषण बाजपेयी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग के निर्माताओं वितरकों तथा प्रदर्शकों के बीच इस बीच कोई समझौता हो सका है; और

(ख) यदि नहीं, तो भविष्य में इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : जब कि बम्बई निर्माताओं और वितरकों और प्रदर्शकों के बीच समझौता हो गया है, अन्य संकटों में समझौते में की बातचीत अभी चल रही है ।

वीरगति प्राप्त सेनिकों की विधवाओं को पेंशन का लाभ

9249. **श्री क० लकप्पा :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री श्रीधरन : **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री गिरिराज शरण सिंह :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना लेखा परीक्षा विभाग ने वीरगति प्राप्त सेनिकों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन से लाभ न देने का आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आदेश को जारी करने का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यवाही के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) : जी नही । कन्ट्रोलर आफ डिफैंस अकाऊन्ट्स (पैंशन्ज) अलाहाबाद ने हाल ही में उन विधवाओं की विशेष कुटुम्ब पैंशन से कई कटौतिएं की थीं, जिनके बच्चों को सरकार द्वारा, उनके लारेन्स स्कूल, मिलिट्री स्कूलों और सैनिक स्कूलों में अध्ययन करते हुये छात्रवृतियां दी जाती थीं । ऐसा एक मिथ्या धारणा के कारण किया गया था; कन्ट्रोलर आफ डिफैंस अकाऊन्ट्स (पैंशन्ज) को पहले से निर्देशन जारी कर दिये गये हैं कि वह पूरी कुटुम्ब पैंशनें बहाल कर दे, और की गई कटौतियें अगर कोई हो तो लौटा दें ।

(ख) और (ग) यह विचाराधीन हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत के राष्ट्रपति द्वारा डाक तथा तार विभाग के लिए खरीदी गई भूमि का जम्मू तथा काश्मीर में उधमपुर के सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर करने से इंकार

Shri Mahant Digvijay Nath (Gorakhpur) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may kindly make a statement thereon;—

"Refusal of Sub Registrar of Udhampur in Jammu and Kashmir to register the land purchased by the President of India for the Post and Telegraphs Deptt."

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संविधान के अनुच्छेद 256 के अधीन राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिये भूमि अर्जित करती रही है और इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई पैदा होने का समाचार नहीं मिला है ।

जब डिविजनल इंजीनियर ने कर्मचारी क्वाटरों के लिये कनात जमीन रजिस्टरी कराने के लिए आवेदन दिया तो रजिस्टरार ने इन्कार कर दिया क्योंकि कानून के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था । डिविजनल इंजीनियर ने डिप्टी कमिश्नर को स्थिति से अवगत कराया जिसने राज्य सरकार को सूचित किया । अब यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । हम राज्य सरकार के साथ मामले पर आगे विचार करेंगे ।

Shri Mahant Digvijay Nath : What are the legal hurdles in acquiring land in J. & K. and whether it is constitutional ?

Shri Y. B. Chavan : संविधान और कानून के अधीन ही ऐसा किया जाता है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : ऐसी घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार अनुच्छेद 370 समाप्त करने पर विचार करेगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले पर सभा में अनेक बार विचार हुआ है और सरकार भी इस पर विचार करती रहती है । हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह कानूनी कठिनाई है न राजनीतिक कठिनाई और इसे राज्य सरकार की सलाह से दूर किया जा सकता है और किया जायेगा ।

Shri Kunwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The law relating to acquistion of property in J. & K. is the same as was prevalent there 50 years ago in other Indian States. I want to know when these laws would be made uniform with the rest of India so as to integrate the State with India in real sense of the term ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार वहां सीधे जमीन खरीद सकती है अथवा नहीं । तो जैसा मैंने पहले कहा हम राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं :

Shri Y. S. Kushwah : Whether the officer responsible for acquiring the land had any legal knowledge in the matter and if not, whether he would be pulled up for creating such an embarassing position ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है । एक अधिकारी ने इस तरीके को अच्छा समझा दूसरे को इसमें कुछ संदेह था । इसलिए मामला स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को सौपा गया है ।

श्री शिवाजीराव देशमुख (परभणी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह ध्यानाकर्षण सूचना इसलिये गृहीत की गई है क्योंकि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार राज्य के एक अधिकारी ने भूमि रजिस्ट्री करने से इंकार किया है । संसद और केन्द्रीय सरकार का क्या यह कर्तव्य नहीं है कि वह केन्द्रीय कानूनों को देश भर में लागू कराये ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Balraj Madhok (South-Delhi): Art. 370 was only a transitional provision, but it continues to be there for the past twenty years. I want to know when it would be abrogated ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर बाद में विचार करेगी। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The Minister's reply is not satisfactory. How is it that the President who has powers to dismiss the State Government cannot purchase land ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The Delhi police started their agitation in 1967 and some policemen were suspended and cases were registered against which are still pending. These are being considered in Old Police Lines where the atmosphere is not that of a Court of Law, The witnesses are threatened and they are pressurised. Therefore, they donot turn up to give evidence. Armed policemen are posted there. Therefore these cases are not being dealt there in accordance with Law and Constitution.

In reply to a question raised on 22nd March, 1968, it was said that this is not being done there. But it is not true. I went there personally and saw that armed policemen had been posted there. I asked the photographer acccompanying me to take their photographs so that these could be presented in the House as evidence but they were manhandled and their cameras were seized from them. Still, the photographer was able to save the film. Although the prints are not quite clear, still they are sufficient to prove that armed police had been posted there.

I went there in connection with the discharge of my functions as a Member of Parliament. Therefore, the conduct of police officials involves a breach of privilege of the House.

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : गृह मन्त्री के उत्तर से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस अधिकारियों का आचरण निन्दनीय है और मंत्री महोदय को इसकी छानबीन करनी चाहिए।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : क्योंकि पुरानी पुलिस लाइन को पुलिस थाने के सामने एक नये भवन में ले जाया गया है और कुछ अभियुक्तों को न्यायिक रक्षा में रखना पड़ता है, अतः वहां सशस्त्र गार्ड रखनी पड़ती है। वैसे न्यायालयों के लिए सशस्त्र गार्ड रखने का कोई प्रश्न नहीं है। यह एक आधारभूत तथ्य है। माननीय सदस्य के वहां जाने पर और जो भी जानकारी उन्होंने मांगी उन्हें दे दी गई और उनके साथ शिष्ट व्यवहार किया गया।

फोटोग्राफर के साथ हुई घटना की जांच के लिए मैंने इंस्पैक्टर जनरल को कहा था और और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सम्बन्धित व्यक्ति से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह पेशेवर फोटोग्राफर नहीं हैं, वास्तव में वह एक भूतपूर्व हैड कांस्टेबुल है पुलिस कर्मचारी संघ का सचिव है। यदि सदस्य महोदय की उपस्थिति में यह घटना घटी होती तो और बात थी किन्तु सदस्य महोदय किसी अन्य व्यक्ति की बातों के आधार पर ऐसा कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अभी मेरे विचाराधीन है । हाँ यदि मुझे किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हुई तो मैं मंत्री महोदय से प्राप्त कर लूंगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और विविध (तीसरा संशोधन) विनियम, 1968

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : मैं, नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (तीसरा संशोधन) विनियम, 1968, जो दिनांक 19 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 5-ई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1108/68]**

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह बताना है कि कार्य-मंत्रणा समिति ने सभा द्वारा आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के कथित वक्तव्य और कच्छ में कुछ संसद-सदस्यों को अवरुद्ध करने सम्बन्धी पत्रों में त्रुटियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये समय देने पर विचार किया । पहली चर्चा के बारे में गृह मंत्री के वक्तव्य के बाद फैसला किया जायेगा जो 6 मई के आस-पास होगा और दूसरी चर्चा के लिये अगले सप्ताह एक घण्टे का समय रखा गया है ।

सभापति तालिका
PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत मैंने सभापति तालिका में निम्न सदस्य नामजद किये हैं :

(1) श्री तिरूमल राव
(2) श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
(3) श्री आर० डी० भण्डारे
(4) श्री गाडिलंगन गौड़
(5) श्री वासुदेवन नायर तथा
(6) श्री हेम बरुआ

सदस्य की दोषसिद्धि
CONVICTION OF MEMBER

(श्री कामेश्वर सिंह)

अध्यक्ष महोदय : मुझे भुज के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न तार प्राप्त हुआ है :

"लोक सभा के सदस्य श्री कामेश्वर सिंह को भुज में 29 अप्रैल, 1968 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 और 145 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है और सात दिन की साधारण

कैद का दण्ड दिया गया है और धारा 188 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उन पर 25 रुपये जुर्माना किया गया है जिसे न देने पर 3 दिन की साधारण कैद का दण्ड दिया गया है।"

तारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION IN ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 282

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस सदन में 27 नवम्बर 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर में विभाजन के समय पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 1 करोड़ 84 लाख बताई गई थी। ठीक संख्या 1 करोड़ 81 लाख है।

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा नवतंत्र (गोरखपुर में रेलवे संचार सेवा के बारे में) और मंत्री मोहदय का उत्तर :–

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 (RE: RAILWAY COMMUNICATION SERVICE AT GORAKHPUR) AND RAILWAY MINISTER'S REPLY THERETO.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : In reply to the supplementaries on question No. 1384 on the 23rd April, 1968, the Railway Minister and the Minister of State in the Ministery of Railways have made certain misleading statements. I would like to draw the attention of the House towards them.

Tenders were called by the Telecommunication Department, Gorakhpur vide their letter No. K. N./TP/190 dated 28. 4. 1966. The final decision thereon was not taken in 1966. The Minister has knowingly misstated this fact.

The final decision on the tenders was not taken even by 30th November, 1967 and so the statement of Shri Parimal Ghosh that the final decision on the tenders was taken before he assumed the office of ministership is not correct and he has knowingly misled the House. The fact is that the contract was given one year after he took over as Minister.

It is wrong to say that it was the minimum tender. It was a negotiated tender.

The structural designs and foundation designs were modified from time to time by the tender Committee. It is a clear case of favouritism.

The contract was given to Shri B. C. Guha, Managing Director of M/S. SAAS Engineering Company, who is the real brother-in-law or Sir Parmil Ghosh. So it is wrong to say that the contract was given before he become a Minister.

Certain other irregularities were also committed while accepting this tender. First of all the contract was given against the D. G.S.&D. and Railway rules. Secondly the financial position of the Company was not examined befoe the acceptance of tender, which is essential under the rules. Thirdly the SAAS Engineering Company (P) Ltd. has never executed any work ragarding Microwave Tower on behalf of the Government of India. The hon. Minister has misled the House by saying that the Company had done such work in past also.

I would request the hon. Minister to correct his statement. The hon. Minister has misled the country and this House by giving a gross misleading statement. I demand his resignation.

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 23 अप्रैल, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 1384 के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में मैंने कुछ बातें कही थीं। चूंकि इस टेंडर को स्वीकार करना

पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर की शक्तियों के अंतर्गत था, इसलिए उत्तर देते समय, मेरे पास पूरी जानकारी न होने के कारण, मेरे उत्तरों में कुछ गलतबियानियां हो गई थी, जिन्हें मैं ठीक करना चाहता हूं।

मैंने कहा था कि निर्वाचन से पूर्व सारे मामले पर निर्णय कर दिया था। परन्तु वास्तविकता यह है कि टेंडरों को 1-10-1966 को खोला गया था तथा 6-10-1966 को टेंडर समिति द्वारा उनकी प्रारम्भिक जांच की गई थी। टेंडर जाँच समिति ने 18 मई, 17 जून, 20 जुलाई और 1 सितम्बर, 1967 को उनकी आगे जांच की थी तथा जनरल मैनेजर ने 4 नवम्बर, 1967 को टेंडर अन्तिम रूप से स्वीकार किया था और 6 नवम्बर, 1967 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था।

मैंने यह भी कहा था कि यह निगोशियेटिड टेंडर नहीं था। यद्यपि खुले टेंडर मांगे गये थे और 10 टेंडर प्राप्त हुये थे, तथापि उनमें केवल 3 टेंडर मुकम्मल थे। टेंडर समिति ने उन टेंडरों के विभिन्न तकनीकी तथा अन्य पहलुओं पर तीन बार विचार विमर्श किया था, जो कि 1 सितम्बर 1967 को खत्म हुआ था। इस सीमा तक यह सौदे बाजी का टेंडर था।

चूंकि टेंडरों को 1 जुलाई, 1966 को खोला गया था और उनकी प्रारम्भिक जांच अक्तूबर 1966 में की गई थी, इसलिये मैंने समझा था कि टेंडरों का निपटारा लगभग 6 महीने में कर लिया होगा, परन्तु जाँच करने पर पता लगा कि उनके निपटारे में बहुत विलम्ब है। उस विलम्ब के दो कारण थे एक तो संचार आदि के उपकरण जापान से आने थे, जो कि जून से सितम्बर, 1967 तक की अवधि में प्राप्त हुए। दूसरे गोरखपुर में टावर की ऊंचाई को असैनिक उड्डयन मंत्रालय तथा वायु सेना द्वारा कम किया जाना था, जो बहुत देर से की गई।

मैं कुछ अन्य बातों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। यह कहना ठीक नहीं कि टेंडर समिति ने समय समय पर स्ट्रक्चरल तथा फाउन्डेशन डिजाइनों में परिवर्तन किये थे। ये डिजाइन जापान द्वारा सप्लाई किये गये थे और टेंडर समिति ने उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया था।

श्री बी० सी० गुहा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वह मैसर्स सास इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक नहीं हैं। मुझे मैसर्स सास टावर (प्राइवेट) लि० के प्रबन्ध निदेशकों के नामों की जानकारी नहीं है, क्योंकि वे न तो इस ठेके में मुख्य ठेकेदार थे और न ही इससे सम्बद्ध थे। तथापि श्री बी० सी० गुहा मेसर्स गुहा एण्ड कम्पनी के जिस कम्पनी ने कि इस काम के करने में मैसर्स सास इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी के सहायक के रूप में काम किया था, एकमात्र नियोजक हैं तथा उन्होंने इस हैसियत से बातचीत में भाग लिया था। मेरे सहदोगी श्री परमित घोष का बातचीत से कोई सम्बन्ध नहीं था, इसलिये इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

ठेका देने से पहले रेलवे प्रशासन द्वारा मैसर्स सास इंजीनियरिंग कम्पनी की वित्तीय स्थिति की विधिवत जांच की गई थी।

जहां तक माननीय सदस्य की इस बात का सम्बन्ध है कि केवल मान्यताप्राप्त तथा पंजीकृत ठेकेदारों को ठेका देना चाहिए था, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस ठेके के लिए खुले टेंडर मांगे गये थे तथा इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि टेंडर को कुछ विशेष श्रेणी के ठेकेदारों के लिए ही सीमित रखा जाता।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली) : माननीय मंत्री ने बहुत सी बातों को स्वीकार किया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मामले को आगे जांच करने के लिए लोक लेखा समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद में विचार किया जायेगा। मंत्री महोदय स्वयं अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहते थे। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। श्री हुकमचन्द कछवाय भी मेरी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने गलती की ओर ध्यान दिलाया है। अब आगे क्या कर्यवाही करनी है, इस बात पर बाद में विचार किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has not answered my question. My allegation was that contract was awareded by Shri Parmil Ghosh to Shri B. C. Guha who is his brother-in-law in a systematic manner. He has not referred to that.

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, इस समय नहीं।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE
राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल (संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा संशोधित रूप में राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अधिनियम, 1948, की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उपरोक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन, राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति में, 17 जून, 1968 से प्रारम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिये, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल (संशोधन) अधिनियम, 1952 द्वारा संशोधित रूप में राष्ट्रीय सेना छात्र दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उपरोक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन, राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति में, 17 जून, 1968 के आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

वित्त विधेयक जारी
FINANCE BILL-CONTD.

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक की चर्चा के 4 घन्टे बाकी हैं। तीन घन्टे तक खण्डवार चर्चा होगी तथा उसके बाद तृतीय वाचन होगा। अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
The Deputy Speaker in the chair]

वित्त विधेयक—जारी
FINANCE BILL-CONTD

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी । खण्ड 2 से 4 तक के लिये कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं इन खण्डों को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ । प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खण्ड 5-नई धारा 35 ख और 35 ग का जोड़ा जाना

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 98, 99, 100 101 और 158 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ, 5,—28 से 34 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिख दिये जायें :

(i) fertilisers, seeds, pesticides, concentrates for cattle and poultry feed, tools or implements for use by such cultivator, grower or producer;

(ii) dissemination of information on, or demonstration of modern techniques or methods of agriculture, animal husbandry, or dairy or poultry farming, or advice on such techniques or methods;"

"(i) ऐसे किसान, उगाने वाले अथवा उत्पादक द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उर्वरक बीज, कीटनाशक औषधियां, पशुओं और मुर्गियों के लिये पोषाहार खाद्य तथा औजार अथवा उपकरण;

(ii) कृषि, पशु पालन अथवा डेरी अथवा मुर्गी पालन के सम्बन्ध में आधुनिक तरीकों और उपायों की सूचनाओं का प्रसारण, अथवा प्रदर्शन अथवा उनके सम्बन्ध में सलाह देना;"

(221)

[पृष्ठ 5, पंक्ति 35 में
for "(iv)" substitute "(iii)"
"(iv)" के स्थान पर "(iii)" रखिये] 222

श्री वैणी शंकर शर्मा (बंका) : मैं अपने संशोधन संख्या 239 और 240 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री देवकी नन्दन पटोदिया (जालौर) : मैं संशोधन संख्या 98, 99 और 159 के

सम्बन्ध में जो धारा 35 ख से और संशोधन संख्या 100 और 101 के सम्बन्ध में जो धारा 35 ग से सम्बन्धित है के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। धारा 35 ख में निर्यात बाजार विकास भत्ते लागू करने की बात कही गई है और इसमें खर्च की हुई रकम में से $1\frac{1}{3}$ के बराबर रकम कम करने का उपबन्ध किया गया है। मेरा सुझाव है कि इस धारा को अधिक व्यापक बनाया जाये, ताकि यह वास्तव में देश के निर्यात में सहायक हो सके।

मेरे संशोधन संख्या 98 का उद्देश्य यह है कि विज्ञापन और प्रचार सम्बन्धी खर्च के भारत से बाहर होने वाले खर्च तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए अपितु उस में निर्यात प्रोत्साहन सम्बन्धी विज्ञापन और प्रचार पर होने वाले खर्च को शामिल करने का भी उपबन्ध किया जाना चाहिए।

संशोधन संख्या 99 के द्वारा मैंने सुझाव दिया है कि निर्यात प्रोत्साहन के लिये मनोरंजन पर किया गया खर्च कटौती योग्य खर्च समझा जाना चाहिये।

वित्त मंत्री ने इस धारा को स्पष्ट रूप से देशी कम्पनियों तक ही सीमित रखा है। मैं मंत्री महोदय से इस उपबन्ध के बारे में सहमत नहीं हूँ। मेरा सुझाव है कि इस धारा को देशी या विदेशी सभी कम्पनियों पर लागू किया जाना चाहिये।

नई धारा 35 ख में वित्त मंत्री महोदय ने कुछ कृषि विकास भत्तों की व्यवस्था की है। इस खण्ड में प्रयुक्त शब्दों के अनुसार ये भत्ते कम्पनियों पर लागू होते हैं। किन्तु इन्हें कम्पनियों तथा व्यक्तियों दोनों पर लागू किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस खण्ड विशेष में जिन भत्तों का उपबन्ध किया गया है वे केवल उन निर्माताओं पर लागू होते हैं जो कृषि उत्पादों या पशुपालन केन्द्र या मुर्गीपालन केन्द्र में तैयार किये जाने वाले उत्पादों के लिये इनका उपयोग कच्चे सामान के रूप में करते हैं। यह भत्ता उर्वरक, बीज, पशुओं और मुर्गी के चारे, कीटनाशी दवाइयों, मशीनों खेती के उपयोग में आने वाले उपकरण, पशु-पालन, दुग्धशाला या मुर्गी पालन पर भी लागू किया जाना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : कीटनाशी दवाइयां इत्यादि के बारे में माननीय सदस्यों ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उन्हें पहले ही सरकारी संशोधन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

देश में किये गये खर्च को कटौती योग्य खर्च मानने की मांग अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से ही की गई है किन्तु मैं इस तरह के खर्च और नहीं बढ़ा सकता। हमने पहले ही 30,000 रुपये तक के खर्च की अनुमति दे रखी है। विज्ञापन देने से कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पत्रिकाओं में अभी भी विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। भविष्य में इस से अधिक और क्या दिया जाना चाहिये।

जहां तक कटौती योग्य खर्च का लाभ केवल कम्पनियों तक सीमित न रखकर व्यक्तियों को भी देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इन वस्तुओं का उत्पादन कम्पनियों द्वारा ही किया जायेगा, न कि व्यक्तियों द्वारा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 221 और 222 सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है।

पृष्ठ 5-28 से 34 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द लिख दिये जायें।

Page 5— for lines 26 to 34 substitute.....

[(i) fertilisers, seeds, pesticides, concentrates for cattle and poultry feeds tools or implements for use by such cultivator, grower or producer ;

(ii) dissemination of information on, or demonstration of modern techniques or methods of agriculture, animal husbandry, or diary or poultry farming or advice on such techniques or methods;"

"(i) ऐसे किसान, उगाने वाले अथवा उत्पादक द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उर्वरक, बीज, कीटनाशक औषधियां, पशुओं और मुर्गियों के लिये पोषाहार, खाद्य तथा औजार अथवा उपकरण;

(ii) कृषि, पशुपालन अथवा डेरी अथवा मुर्गी पालन के सम्बन्ध में आधुनिक तरीकों और उपायों की सूचनाओं का प्रसारण, अथवा प्रदर्शन अथवा उनके सम्बन्ध में सलाह देना;"] (221)

[पृष्ठ 5, पंक्ति 35 में :—

for "(iv)" substiute (iii)

(iv) के स्थान पर "(iii)" रखिये] (222)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The motion was adopted)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सब संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 as amended was added to the bill

खण्ड 6 (धारा 37 का संशोधन)

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी : मैं अपने संशोधन संख्या 33, 34 और 35 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 105, 106 और 107 प्रस्तुत करता हूं।

पृष्ठ 6, पंक्ति 14,—

[after "incurred" "(व्यय) की गई" शब्दों के पश्चात "after the 29th day of February, 1968" फरवरी की 29 तारीख के बाद" लिखिये] (107)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि निर्यात प्रोत्साहन पर मनोरंजन व्यय आय कर अधिनियम की धारा 37 (2क) में निर्धारित की गई सीमा लागू नहीं की जानी चाहिये। मनोरंजन व्यय पर एक सामान्य सीमा लागू की जा सकती है, ताकि अत्याधिक खर्च के कारण हानि न उठानी पड़े। निर्यात प्रोत्साहन के लिये किये जाने वाला खर्च एक दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आता है और उसे इस सीमा के बाहर छोड़ देना चाहिये।

श्री नारायण दांडेकर : मनोरंजन व्यय की प्रस्तावित व्यख्या की मद (i) को, जिस यह कहा गया है कि मनोरंजन व्यय में मनोरंजन भत्ते की इस राशि को भी शामिल किया जायेगा, जो कर दाता द्वारा किसी कर्मचारी या किसी और व्यक्ति को दी गई है, निकाल दिया जाना चाहिये । यह अनुमान बिल्कुल गलत है कि इस प्रकार का व्यय कर्मचारी के मनोरंजन भत्ते के रूप में मनोरंजन व्यय में व्यय की सीमा निर्धारित करने की दृष्टि से शामिल किया जायेगा, क्योंकि यह मनोरंजन खर्च वास्तव में मालिक द्वारा नहीं किया जाता है । यह बात कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में शामिल की गई है कि उस कम्पनी के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोरंजन की सुविधा दी जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं संशोधन संख्या 9 और 10 को स्वीकार करता हूं । मैं संशोधन संख्या 9 को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं, परन्तु इस में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये और granted "मंजूर" शब्द के स्थान पर paid "अदा" शब्द रखा जाना चाहिये । मैं संशोधन संख्या 10 को स्वीकार करता हूं, क्योंकि यह संशोधन वास्तव में संशोधन संख्या 107 जैसा ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं संशोधन संख्या 9 को संशोधित रूप में प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6 पंक्ति 9 और 10 में

'granted by the assessee to any employee or person"

करदाता द्वारा किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को मंजूर की गयी । शब्दों के स्थान पर

"paid by the assessee to any employee or other person after the 29th. day of February, 1968. "

कर दाता द्वारा किसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को फरवरी, 1968 की 29 तारीख के बाद अदा की गई राशि" शब्द रख दिये जाये] (9 क)

श्री मोरारजी देसाई : मैं संशोधन संख्या 107 और संशोधन संख्या 9 को उस के इस संशोधित रूप में स्वीकार करता हूं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागपुर) : निर्यात विकास की दृष्टि से हमें अपने ग्राहकों और प्रमुख मुवक्किलों को समुचित सुविधाये देनी चाहिये । अतः भारत में मूल्यों को देते हुये मनोरंजन भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में जो सीमायें निर्धारित की गई हैं, वे बहुत कम हैं । मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि उन सीमाओं को बढ़ाया जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : विदेशों में मनोरंजन के लिये हमने 30,000 रुपये की सीमा निर्धारित की है और इस सीमा को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ट 6, पंक्ति 9 से 10 में

"Granted by the assessee to any employee or other person".

करदाता द्वारा किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति को मंजूर की गयी । शब्दों के स्थान पर

"paid by the assessee to any employee or other person after the 29th day of February 1968".

"किसी करदाता द्वारा किसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को फरवरी, 1968 की 29 तारीख के बाद अदा की गई राशि" शब्द रख दिये जायें] (9क)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पृष्ठ 6, पंक्ति 14—में

"incurred" "(व्यय की गई)" शब्दों के पश्चात "after the 29th day of February, 1968"

"फरवरी, 1968 की 29 तारीख के बाद" शब्द रख दिये जायें] (107)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सब अन्य सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये र ख

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6, as amended, was added to the bill.

खण्ड 7

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपना सशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 108 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैं अपना संशोधन संख्या 159 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं अपना संशोधन संख्या 195 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपना संशोधन संख्या 196 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं कहना चाहता हूं कि आयकर अधिकारी की शक्तियों के बारे में एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । 5000 रुपये तक के खर्च के लिये आयकर अधिकारी को अस्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है । इससे अधिक खर्च के लिये आयकर अधिकारी को इंस्पेक्टिंग एसिस्टेंट कमिशनर से अनुमति ली जानी चाहिये ।

श्री मी० रु० मसानी : मैं इस सम्पूर्ण खण्ड का विरोध करता हूं । कानून के अधीन आयकर अधिकारी ऐसे खर्च की अनुमति देने से इन्कार कर सकता है जिसे वह व्यापारिक दृष्टि से आवश्यक नहीं समझता । इस खण्ड के द्वारा आयकर अधिकारी को असीमित स्वविवेकी अधिकार दिया जा रहा है । वित्त मन्त्री को यह महसूस करना चाहिये कि इस खण्ड के द्वारा कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है । कम्पनी अधिनियम के अधीन सरकार को कुछ सीमा तक निदेशकों और प्रबन्धकों के लिये पारिश्रमिक मंजूर करना होता है । जब कम्पनी कानून के अधीन ऐसा किया जा सकता है तो आयकर अधिकारी को स्वविवेकी अधिकार नहीं दिया जाना

चाहिये । सरकार के पास पारिश्रमिक के विनियमित करने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं । अतः यह खण्ड अनावश्यक है और वित्त मन्त्री को इसे वापिस ले लेना चाहिये ।

खण्ड के दूसरे भाग में 2,500 रुपये से ऊपर के व्यय का चैक द्वारा भुगतान किये जाने के बारे में जो उपबन्ध किया गया है, उसे ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें वर्तमान कानून की ओर ध्यान नहीं दिया गया । चैक वैध-प्रस्तुति नहीं है । ऐसी स्थिति में हम नकदी भुगतान के कानूनों के दायित्व से मुकर नहीं सकते । अतः इस खण्ड को निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंहका : इस खण्ड में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिये । इस खण्ड के द्वारा आयकर अधिकारी को व्यापक शक्तियां दी गई हैं । यह बात ठीक नहीं है कि कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद दी गई मंजूरी पर आयकर अधिकारी पारिश्रमिक निर्धारित करने के बारे में अपना निर्णय दें ।

इसी प्रकार इस खण्ड का दूसरा भाग, जैसा कि श्री मी० रु० मसानी जी ने कहा है, वर्तमान कानून के विरुद्ध है । वैध प्रस्तुति (लीगल टैंडर) नकद ही हो सकती है । अतः वित्त मंत्री को इस मामले पर विचार करना चाहिये क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को वह आसानी से समझ सकते हैं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं श्री हिम्मतसिंहका के इस बात से सहमत हूँ कि कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ...

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस बात का स्पष्टीकरण कर दूं । यह उस सब पर लागू नहीं होता, कम्पनी कानून प्रशासन द्वारा दी गई मंजूरी को आय कर अधिकारी द्वारा रद्द किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । कम्पनी कानून अन्य खर्चे की व्यवस्था नहीं करता । यह केवल उन चीजों पर लागू होता है जो इसके अन्दर आते हैं लेकिन पारिश्रमिक नहीं । इसलिये इन दोनों के बीच संघर्ष होने का कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मेरे ध्यान में ऐसे कई मामले आये हैं जहां आयकर अधिकारी ने यह कह कर वह कि बहुत ज्यादा है, पारिश्रमिक अस्वीकृत किया है ।

श्री मोरारजी देसाई : आयकर अधिकारी को ऐसा करने का कोई हक नहीं है । यदि उसने ऐसा किया है तो मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा ।

श्री नारायण दांडेकर : आयकर अधिकारी को सामान या सेवाओं के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान के बारे में विचार करना होगा और उसकी जांच करनी पड़ेगी, उसे इस बात पर विचार करना होगा कि सामान या सेवाओं अथवा सुविधाओं के लिये उचित बाजार मूल्य निर्धारित किये जायें और करदाताओं की उचित आवश्यकताओं को भी ध्यान मे रखा जाये । उसे इस बात से भी सन्तुष्ट होना है कि भुगतान की गई राशि पर जो लाभ दिखाया गया है, वह उसके अनुरूप है अथवा नहीं ।

मैंने इस बारे में इस विभाग में अपने कई मित्रों से विचार-विमर्श किया है और उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह असम्भव है । लेकिन यदि कोई आयकर अधिकारी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना चाहता है तो उसे दो वर्ष की समय-सीमा के अलावा कर-निर्धारण प्रक्रिया में उलझना पड़ता है और इस प्रकार दो वर्ष के अन्त में या तो अन्धाधुन्ध कर निर्धारित किया जायेगा या कर बिल्कुल ही नहीं लगाया जायेगा या फिर घूसखोरी

और भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ जायेगा।

जहाँ तक वैध प्रस्तुति (लीगल टैंडर) के बारे में खण्ड का सम्बन्ध है, सैद्धान्तिक दृष्टि से उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि कर-अपवंचन के मुख्य तरीकों का प्रयोग नकद भुगतान संबंधी मामलों में किया जाता है। लेकिन कठिनाई तब पैदा होती है जब कोई अपनी सेवाओं के लिए या खरीदे गये सामान के लिये नकद भुगतान की मांग करता है। यदि उसे नकद नहीं दिया गया और वह चैक लेने से इन्कार करता है तो वह सम्बन्धित पक्ष के विरुद्ध इस आधार पर दिवाला निकालने के लिये आवेदन दे सकता है कि वह लीगल टैंडर के अन्तर्गत ऋणों का भुगतान नहीं कर रहा है। इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना जरूरी है।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : मैं इस उक्ति से सहमत हूं कि कुछ रिश्तेदारों को दिये जाने वाले भत्ते और पारिश्रमिक के सम्बन्ध में देश में कदाचार के कुछ मामले हुए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि आयकर अधिकारी को इतनी असाधारण शक्तियाँ देना जरूरी है। वह यह भी निर्णय नहीं कर पायेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है क्योंकि व्यापार की शर्तें समय-समय पर और भिन्न-भिन्न स्थानों में अलग-अलग व्यापार में भिन्न-भिन्न होती हैं और उस पर किसी ठोस निर्णय पर पहुंचना किसी के लिये सम्भव नहीं है। अतः यह एक बिलकुल ही अनुचित विनियम होगा।

2,500 रुपये से अधिक रकम का भुगतान चैक से करने में बड़ी कठिनाई होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे कितनी ही राशि का लेन-देन या सौदा क्यों न हो, चैक कोई नहीं लेता और अधिकाँश भुगतान नकद ही होता है अतः मेरा सुझाव है कि इस खण्ड में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बंका) : मैं वित्त मंत्री की इस चिन्ता को समझता हूं कि कर निर्धारण सम्बन्धी त्रुटियों को किस प्रकार दूर किया जाये तथा अधिक से अधिक कर दाताओं का पता किस तरह लगाया जाये। ऐसे भी मामले होते हैं जहाँ भुगतान तो नकद किया जाता है लेकिन उसे दर्ज नहीं किया जाता। बिक्री-कर में पञ्जीयन की प्रथा है। इसी तरह यहां भी करदाताओं का पंजीकरण किया जाना चाहिये। ऐसे व्यापारियों को जिन्हें 2,500 रुपये से अधिक की रकम चुकानी होती है. पहले आय-कर विभाग में रजिस्टर किया जाना चाहिए, खण्ड 7 बिलकुल अवैध है और उसमें कई कठिनाइयां हैं। अतः चैक द्वारा भुगतान अनिवार्य करने की अपेक्षा हमें आय-कर के मामले में पंजीकरण के तरीके को अपनाना चाहिए ताकि लोग आय-कर विभाग में पंजीकृत व्यक्तियों से 'डील' कर सकें।

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त-मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : ग्रामीण क्षेत्रों तथा किसानों आदि के बीच आपस में लेन-देन के उदाहरण दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लेन-देन तथा बड़े सौदे होते हैं लेकिन वे कम्पनियों के बीच नहीं बल्कि किसानों के बीच ही होते हैं। क्या यह उपबन्ध किसान पर लागू होता है ? उसे बीच में लाकर तर्क देने का क्या लाभ है।

लीगल टैंडर के बारे में जो तर्क दिया गया है, उसे मैं भली-भांति समझता हूं और वह तर्क ठीक है। लेकिन हम इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध कर सकते हैं कि इन प्रयोजनों के लिये यह लीगल टैंडर होगा। आवश्यक होने पर ऐसी कार्यवाही करने का मेरा विचार भी है। ऐसा केवल चैक गारन्टी चैक के बारे में ही किया जा सकता है।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि कर-दाताओं केपंजीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन इससे स्थिति और भी कठिन हो जायेगी यहां तक कि लोगों को पंजीकरण के लिये बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिये जब वे किसी पार्टी से भुगतान करने का करार करते हैं, तो वे ऐसे करार कर सकते हैं कि चैक में भुगतान करेंगे, इसमें किसी व्यक्ति को आपत्ति नहीं हो सकती और उसका भुगतान किया जा सकता है।

यह कहना गलत है कि खण्ड 7 सेवाओं पर भी लागू होता है। कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा जो सेवाएं मंजूर की जाती हैं उन पर आय-कर अधिकारी सन्देह नहीं कर सकता। सेवाओं के लिए भुगतान के सम्बन्ध में इस बात को नियमों में शामिल किया जायेगा और नियमों को प्रकाशित किया जायेगा। इन नियमों पर आपत्तियां मांगी जायेंगी क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। 2,500 रुपये के चैक द्वारा भुगतान के मामले में भी मैं कुछ ऐसी श्रेणियां निर्धारित करना चाहता हूं जहां यह शर्त लागू नहीं होगी। लेकिन ऐसा सारे मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ही किया जायेगा।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : इस मामले पर फिर से विचार करने के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा भी शिवाजीराव शं० देशमुख को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ा गया :

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8 और 10 विधेयक में जोड़े गये :

Clauses 8 to 10 were added to the Bill

खण्ड 11

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 160 तथा 161 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वैजीशंकर शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या 242 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : वित्त मंत्री ने एक बहुत सराहनीय खण्ड पुरःस्थापित किया है कि आय-कर अधिकारी अस्थायी तौर पर कर निर्धारण करेगा यदि दी गई कर की राशि लौटाने का प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला हो । लेकिन स्वविवेकी अधिकार आयकर अधिकारी को दिया गया है कि "यदि उसकी राय यह हो कि कर दाता पर नियमित निर्धारण के मामले में विलम्ब हो सकता है," वास्तव में व्यवहार में यह होता है कि आय-कर अधिकारी उस राशि को कभी नहीं लौटायेगा जब तक कि अन्तिम निर्धारण पूरा नहीं हो जाता। इसलिए व्यवस्था यह की जानी चाहिए कि आय-कर अधिकारी अस्थायी निर्धारण करेगा और देय राशि लौटा देगा ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरा संशोधन भी लगभग इसी आशय का है। यह कहने के बजाये कि "**आय-कर अधिकारी ..... कर सकता है**" के स्थान पर मेरा सुझाव है "**आय-कर अधिकारी ..... करेगा**" रखा जाये इसके साथ-साथ यदि आय-कर अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करने में चार महीने से अधिक समय लगने की सम्भावना हो, तो व्यवस्था यह की जानी चाहिए कि ऐसी हालत में वह अस्थायी निर्धारण करेगा ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : करदाता द्वारा भुगतान किये गये कर को वापस करने के बारे में अस्थायी तौर पर कर निर्धारण के मामले में आय-कर अधिकारी को स्वविवेकी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए । इन शब्दों को "यदि उसकी राय यह हो कि करदाता पर नियमित कर निर्धारण के मामले में विलम्ब हो सकता है" निकाल दिया जाना चाहिए और "विवरणी भेजने की तारीख से एक महीने के अन्दर" शब्दों को जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि अस्थायी तौर पर कर निर्धारित करने के मामले के मान ही वह विवरणी दर्ज करने से एक महीने के अन्दर कर निर्धारित करेगा ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : जब भी राशि लौटानी होती है, कर-निर्धारण में सदा ही विलम्ब बर्ता जाता है और उसे टाला जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आयकर अधिकारी को एक निश्चित अवधि के अन्दर यह निर्धारण करने के लिए बाध्य करने का उपबन्ध रखा जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : वापसी के बारे में कुछ त्रुटियां रही हैं और हम उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । इनका निर्धारण करने के सम्बन्ध में भी हम प्रयत्नशील हैं कि कर-निर्धारण में विलम्ब न हो । अब एक परिवर्तन कर दिया गया है और इस अवधि को चार साल से घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है । वस्तुतः हम नहीं चाहते कि किसी भी निर्धारण पर छः महीने से अधिक लगे । लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ समय देना होगा। इसलिए हम समूची प्रणाली ही बदल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी करदाताओं की पूरी-पूरी छान-बीन न की जाये, हम चाहते हैं कि वे अपनी आय का विवरण दें और निर्धारण कर लें । उसके बाद उनमें से छांटकर कुछ करदाताओं के हिसाब की पूरी जांच की जायेगी और जहां कहीं गलती पाई जायेगी उन्हें कड़ा दण्ड दिया जायेगा । कड़े दण्ड की व्यवस्था इसी कारण से की गई है । इस प्रणाली से अन्तिम निर्धारण की आवश्यकता भी समाप्त हो जायेगी । साथ ही आय-कर अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि जहां आय विवरणों पर ही वापसी देय है उसे वापस कर दिया जाये और उसके लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं है । विभाग को वापसी के दावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और

वापसी तुरन्त की जानी चाहिए । इस मामले में नियम बनाये जा रहे हैं जिन्हें प्रकाशित किया जायेगा ताकि सारी जनता उन्हें जान सके । इस प्रकार हम दोनों ओर से इस समस्या का समाधान कर रहे हैं । जहां करदाता अपनी आय छिपायें, उन्हें भारी दण्ड दिया जाये, और जहां कोई आय कर अधिकारी जान-बूझकर किसी करदाता से गलत तरीके से कुछ लेता है, तो उसे भी कड़ा दण्ड दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस खण्ड पर सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12 धारा 153 का संशोधन

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपने संशोधन संख्या 38 और 39 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : पृष्ठ 10 –

पंक्ति 19 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

Day of April, 1967 अप्रैल, 1967, का दिन :

(ii) Three years from the end of the assessment year in which the income was first assessable, where such assessment year is the assessment year commencing on the Ist day April, 1968."

(दो) निर्धारण वर्ष जिसमें आय पहली बार निर्धार्य हो जहां ऐसा निर्धारण वर्ष अप्रैल, 1968 के प्रथम दिन से निर्धारण वर्ष आरम्भ हो, के अन्त से तीन वर्ष तक] (223)

पृष्ठ 10, पंक्ति 20—

["(ii)" (दो) के स्थान पर "(iii)" (तीन) रख दिया जाये] (224)

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : निर्धारण पूरा करने की अवधि को सीमित करने सम्बन्धी उपबन्ध प्रशंसनीय है किन्तु इसमें एक त्रुटि भी है । आयकर अधिकारी निर्धारित अवधि में निर्धारण पूरा कर लेगा, किन्तु अगले ही दिन वह निर्धारण की पुनः जांच कर सकता है जिसके लिये कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है । इसलिये उन मामलों में जहां निर्धारणों के मामले फिर से खोले जायें, अथवा जहां अपीलीय निर्णय दिये गये हों, उन मामलों में इन निर्णयों को लागू करने के लिये कोई समय-सीमा रखी जानी चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि उसे फिर से खोला जाता है, तो समय-सीमा स्वतः ही दो वर्ष हो जायेगी । अनिश्चित अवधि का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये पहिले रखूंगा । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 10—

पंक्ति 19 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।

"Day of April, 1967" अप्रैल, 1967, का दिन

(ii) Three years from the end of the assessment year in which the income was first assessable, where such assessment year is the assessment year commencing on the 1st day of April, 1968;"

(दो) निर्धारण वर्ष जिस में आय पहिली बार निर्धार्य हो जहाँ ऐसा निर्धारण वर्ष अप्रैल 1968 के प्रथम दिन से निर्धारण वर्ष आरम्भ हो, के अंत से तीन वर्ष तक] (223)

पृष्ठ 10, पंक्ति 20 –

(दो) के स्थान पर (तीन) रख दिया जाये) (224)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 38 और 39 सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया

Clause 12 as amended was added to the bill

खन्ड 13 निधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 13 was added to the bill

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 14 was added to the bill

खण्ड 15 से 17 तक विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 15 to 17 were added to the bill

खण्ड 18 धारा 239 का संशोधन

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 12, पंक्ति 29,—

"1968" के स्थान पर "1967" रखिये, [225]

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 30 के बाद निम्नलिखित रखिये

(b) where the claim is in respect of incometax which is assessble for the assessment year commencing on the first day of April, 1968, three years from the last day of the assessment year;"

(ख) "जहां दावा ऐसी आय के सम्बन्ध में हो, जो अप्रैल, 1968 के पहले दिन से आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिये निर्धार्य हों, निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिन से तीन तक"। (226)

पृष्ठ 12, पंक्ति 31,—

"(b)" "(ख)" के स्थान पर "(c)" "(ग)" रखिए। (227)

(श्री मोरारजी देसाई)

उपध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 18 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया

Clause 18 as amended was added to the bill

खण्ड 19, धारा 271 का संशोधन

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 114 और 116 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं अपने संशोधन संख्या 124 और 125 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं अपना संशोधन संख्या 199 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वणीशंकर शर्मा : मैं अपने संशोधन संख्या 247 और 248 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नारायण दांडेकर : खण्ड 19 का उद्देश्य यह है न्यूनतम जुर्माना छिपाई गई आय के बराबर होगा और अधिकतम जुर्माना इससे दुगुना होगा। जुर्माने के छिपाई गई आय के साथ जोड़ना युक्तिसंगत नहीं है। जिस व्यक्ति की जितनी कम आय होगी उस पर उतना ही ज्यादा जुर्माना लगाया जायेगा। यह उत्तरोत्तर करारोपण प्रणाली के प्रतिकूल है। जुर्माना उस कर का जो बचाया गया हो 50 प्रतिशत होना चाहिए और यदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा घोषित आय को उनकी ठीक-ठीक आमदनी माना गया हो अथवा बचाये गये कर की राशि की दुगुनी हो। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आयकर के बारे में हरजाने की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत कठोर है, न्यूनतम हरजाना आयकर की चोरी की रकम का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये और अधिकतम हर्जाना आयकर की चोरी रकम का दुगुना होना चाहिए। केवल तभी वह विभिन्न सम्पत्तिवानों में करदाताओं के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में न्यायोचित हो सकता है और कड़ा भी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Section 28 (i) of the original Act provided for penalty for deliberate tax evasion or deliberate concealment of particulars. In the new Act, the word "deliberate" has been omitted. The result will be that even those persons will have to pay penalty who do not conceal their income and the difference in income arises because of the assessment being made by different officers. In such cases, the assessee does not commit the offence deliberately. Hence he should not be penalised *till it is proved* by the department that he concealed his income deliberately.

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उन लोगों को जो जानबूझकर तथा निरन्तर कर-अपवंचन करते हैं, कड़ा दण्ड दिया जावे, लेकिन इसके साथ-साथ इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपराध और दण्ड के बीच सदैव सह सम्बन्ध रहा है। किन्तु सरकार ने जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, बहुत अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था की है जो इतना अधिक नहीं होना चाहिए।

Shri Gulam Mohammad Bakhshi (Srinagar) : Sir, I want one clarification. It is not a question of Weatlh Tax or Income tax, but it is a question of concealment of income The difficulty arises if there is a difference between the values of some property assessed by the owner and that assessed by the Income Tax Officer. There is no way at present open for the owner to justify his case. In my opinion this difficulty can be removed by appointing official assessors or by providing a chance to the owner of the property to make an appeal against the assessment done by the I. T. O. arbitrarily.

श्री वेणीशंकर शर्मा (बंका) : संशोधन संख्या 248 के सम्बन्ध में मेरा यह अनुरोध है कि दंड डालने वाली कार्यवाही उस समय समाप्त हो जबकि मूल्यांकन अन्तिम रूप से कर लिया जाये। अब अन्तिम रूप से मूल्यांकन किये जाने से पूर्व ही दण्ड राशि निर्धारित कर दी जाती है जो अपील के पश्चात पुनः कम करनी पड़ती है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभनी) : मेरा संशोधन एक महत्वपूर्ण उपबन्ध के सम्बन्ध में है कि कर अपवंचन के लिये क्या दंड होना चाहिये। इस समय इसके लिये न तो कोई जुर्माना निश्चित किया गया है और न कारावास का दंड। इससे कर अपवंचन करने वालों को लाभ होता है। कर की चोरी करने वालों के लिये कड़े से कड़ा दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिये। जिससे कोई व्यक्ति कर छिपाने की हिम्मत न कर सके। मेरा सुझाव यह है कि जानबूझकर कर अपवंचन करने वालों पर न केवल जुर्माना किया जाये बल्कि उन्हें कारावास का कठोर दंड भी दिया जाये। कारावास का दंड दो वर्ष के लिये होना चाहिये। अन्यथा कर दाताओं में अनुशासन की भावना पैदा नहीं होगी।

श्री मोरारजी देसाई : जहां तक मैं समझ पाया हूँ, माननीय सदस्य का मतलब यह है कि सब कर अपवंचकों को समान दंड दिया जाये। अर्थात जो 1000 रुपये की आयकर छिपाता है और जो एक लाख रुपये की आय पर आयकर छिपाता है, उन दोनों को समान दंड दिया जाये। यह व्यावहारिक बात नहीं है। जो अधिक कर छिपायेगा उसे अधिक दंड भोगना होगा और ऐसी व्यवस्था विद्यमान है। वेतन पाने वाले लोगों को छोड़कर सब व्यक्ति अथवा कम्पनियां आय छिपाती है और कर का अपवंचन करती हैं। जहां तक मूल्यांकन का प्रश्न है, सरकार एक मूल्यांकन विभाग खोलना चाहती है यदि लोग चाहें तो अपनी सम्पति का उससे शुल्क देने के बाद मूल्याँकन करा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सब संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मेरा संशोधन अलग से मतदान के लिये रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 199 मतदान के लिये रखा गया

तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

अध्यक्ष द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 19 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 19 was added to the Bill

खंड 20 विधेयक में जोड़ा गया
Clause 20 was added to the Bill
खंड 21 (नई धारा 276 ख का जोड़ा जाना)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं संशोधन संख्या 76 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 126 तथा 127 पेश करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 162, 163 और 164 पेश करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : कारावास दिये जाने सम्बन्धी उपबन्ध से अधिकतर 4000 रुपये से 5000 रुपये तक की आय वाले लोग प्रभावित होंगे। बड़े-बड़े व्यापारियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि कर का अपवंचन करने वालों पर केवल जुर्माना किया जाये और उन्हें जेल न भेजा जाये। क्योंकि जुर्माने से आय होती है और कर अपवंचन को जेल भेजने से उस पर खर्च होता है। आयकर अधिनियम का उद्देश्य यही है सरकार को लोगों की आय के अनुपात में आय हो अतः मेरा अनुरोध है कि कारावास सम्बन्धी उपबन्ध को छोड़ दिया जाये।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं
Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

Shri Kanwar Lal Gupta : I want that the word "person" should be substituted by the companies. It will provide a safeguard to individual persons who are involved in small cases. This provision should cover companies only.

श्री देवकी नन्दन पटोदिया (जालोर) : आयकर काटना और उसका भुगतान करना दो अलग-अलग बातें हैं। परन्तु दोनों के लिये विधान एक सा ही बनाया गया है। एक कम्पनी में तो आयकर कर्मचारियों से एकत्र कर लिया गया है परन्तु उसे सरकार को नहीं दिया गया। दूसरी ने न आयकर कर्मचारियों के वेतन से काटा है और न ही सरकार को उसका भुगतान किया है। दोनों को समान दंड क्यों दिया जाये। दूसरे संशोधन के द्वारा हम यह चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर आयकर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना मुकद्दमा न चलाया जाये।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बंका) : मैं चाहता हूं कि कठोर कारावास का दंड तभी दिया जाये जबकि कर अपवंचन का मामला किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध किया जाये।

श्री क० नारायण राव (बोबिल्ली) श्री गुप्त ने यह बहुत ही तर्कसंगत आपत्ति उठाई है कि एक कम्पनी या निगमित संस्था को कैसे दंडित किया जा सकता है। कम्पनी की ओर से किसी व्यक्ति को जो कम्पनी का निदेशक होगा या हिस्सेदार होगा, इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किया जायेगा और अपराध की जिम्मेदारी उस पर होगी न कि सम्पूर्ण कम्पनी पर। क्या इस दण्ड की व्यवस्था वाला खण्ड कम्पनियों पर भी लागू होगा।

श्री मोरारजी देसाई : जी, हां। 'व्यक्ति' की परिभाषा में कम्पनी भी सम्मिलित है। यदि कम्पनियां आयकर कर्मचारियों के वेतन में से काट लेती हैं तो उसे सरकार को न देने का क्या कारण हो सकता है ऐसा वे जानबूझ कर करती हैं। मेरे विचार से जुर्माना तथा 6 महीने का कारावास दण्ड उपयुक्त है। अतः मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री क० नारायणराव : कम्पनी के मामले में जेल में कौन जायगा।

श्री मोरारजी देसाई : कम्पनी का मुख्य अधिकारी चाहे वह मेनेजिंग डाइरेक्टर हो अथवा और कोई।

सभापति द्वारा सभी संशोधन संख्या मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 22 to 29 were added to the Bill.

खण्ड 30 (आयकर अधिनियम के कुछ संशोधनों का 1 अप्रैल 1969 से लागू होना)

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।

"Certain additional amendments to the Income-tax Act.

30. The amendments directed in the Third Schedule shall be made in the Income-tax Act with effect from the 1st day of April 1969, except the amendments in the items 3 and 23 of the said Schedule relating, respectively, to sections 16 and 139 of the said Act, which shall be deemed to have come into effect on the 1st day of April, 1968"

आयकर अधिनियम में कुछ अतिरिक्त संशोधन

30. तीसरी अनुसूची में निर्देशित संशोधन, उक्त अनुसूची के मद 3 और 23 से सम्बद्ध संशोधनों के अतिरिक्त जिनका क्रमशः सम्बन्ध उक्त अधिनियम 16 और 139 धाराओं से है और जो 1 अप्रैल, 1968 से लागू समझे जायेंगे, आयकर अधिनियम में 1 अप्रैल, 1969 से कर दिये जायेंगे। [228]

श्री नारायण दांडेकर : मेरा यह अनुरोध है कि तीसरी अनुसूची से सम्बद्ध संशोधन उस समय प्रस्तुत किये जायें जबकि तीसरी अनुसूची पर चर्चा हो । इस खण्ड के पास होने मात्र से तीसरी अनुसूची पास नहीं हो जाती ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं आपसे सहमत हूँ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।

"Certain additional amendments to the Income-tax Act,

30. The amendments directed in the Third Schedule shall be made in Income-tax Act with effect from the 1st day of April, 1969, except the amendments in the items 3 and 23 of the said Schedule relating, respectively, to sections 16 and 139 of the said Act, which shall be deemed to have come into effect on the 1st day of April, 1968,

आयकर अधिनियम में कुछ अतिरिक्त संशोधन

30. तीसरी अनुसूची में निर्देशित संशोधन, उक्त अनुसूची के मद 3 और 23 से सम्बद्ध संशोधनों के अतिरिक्त जिनका क्रमश: सम्बन्ध उक्त अधिनियम के 16 और 139 धाराओं से है और जो 1 अप्रैल, 1968 से लागू समझे जायेंगे, आयकर अधिनियम में 1 अप्रैल, 1969 से कर दिये जायेंगे । [228]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 30, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खन्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 30, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 31 was added to the Bill

खंड 32

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 117, 118 और 120 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बतूल) : मैं संशोधन संख्या 122 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) मैं संशोधन संख्या 128, 129 और 130 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बंका) : मैं संशोधन संख्या 251 प्रस्तुत करता हूं ।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16—

पंक्ति 11 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

[" (a) in section, 5,—
(1) in sub--section (1) —"
धारा 5 में (क)
उप--धारा 1 में (एक)] (229)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16--पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायें :

(1) After clause (xiv), the following clause shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1969, namely :—

(xv) Fixed deposits under any scheme framed by the Central Government and notified by it in this behalf in the official Gazette, to the extent to which the amounts of such deposits do not exceed the maximum amount permitted to be deposited therein,

खण्ड (चौदह) के पश्चात् 1 अप्रैल, 1969 से निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायगा; यथा-

"(पन्द्रह) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के जो इस प्रयोजन के लिये राजपत्र में अधिघोषित कर दी गई हो, अन्तर्गत निश्चित अवधि के लिये जमा राशी, उतनी राशी तक जो उक्त योजना में निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक न हो) (230)

पृष्ठ 16, पंक्ति 12,----

[for "(1) substitute" (2)"

"एक" के स्थान पर '(दो)' रख दिया जाये] (231)

पृष्ठ 16, पंक्ति 14—

Page 16, line 14,----

[for "(ii)" substitute "(3)"

"(दो)" के स्थान पर "(3)" रख दिया जाये] (232)

पृष्ठ 16, --

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

'(ii) Sub-section (2), after the words "not specified in," the words, brackets and figures "clause (xv) or" shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1969;'

"(दो)" उपखण्ड 2 में "में निर्धारित नहीं" शब्दों कोष्ठकों तथा अंकड़ों के पश्चात् 1 अप्रैल, 1969 से खण्ड (पन्द्रह) "अथवा" जोड़ दिया जायेगा] (233)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16, -- पंक्ति 30 से 40 तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :—

(ii) for the existing Explanation, the following Explanations shall be substituted namely:—

"Explanation 1— Where, —

(i) the value of any asset returned by any person is less than seventy-five percent of the value of such asset as determined in an assessment under section 16 or section 17 (the value so assessed being referred to hereafter in this explanation as the correct value of the asset) or

(ii) the value of any debt returned by any person exceeds the value of such debt as determined in an assessment under section 16 or section 17 by more than twenty five percent, of the value so assessed (the value so assessed being referred to here after in this Explanation as the correct value of the debt), or

(iii) the net wealth returned by any person is less than seventy-five percent of the net wealth as assessed under section 16 or section 17 (the net wealth so assessed being referred to hereafter in this Explanation as the correct net wealth),

then, such person shall, unless he proves that the failure to return the correct value of the asset or, as the case may be, the correct net wealth did not arise from any fraud or any gross or wilful neglect on his part, be deemed to have concealed the particulars of assets or furnished inaccurate particulars of assests or debts for the purposes of clause (c) of this sub-section.

"Explanation 2.—For the purposes of clause (iii)—"

(दो) विद्यमान व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्यायें रख दी जायेंगी, यथा —
"व्याख्या 1 -- यदि

(एक) किसी व्यक्ति द्वारा दिखाई गई किसी परि सम्पत्ति का वह मूल्य जो उस परि सम्पत्ति के धारा 16 और 17 के अन्तर्गत आंके गये मूल्य के 75 प्रतिशत से कम हो (व्याख्या में इसके बाद इस प्रकार से परिसम्पत्ति के आंके गये मूल्य को परिसम्पत्ति का यथार्थ मूल्य कहा गया है) या

(दो) किसी व्यक्ति द्वारा दिखाये गये ऋण की वह राशि जो धारा 91 और धारा 17 के अन्तर्गत आंके गये उसी ऋण की राशि से 25 प्रतिशत अधिक हो (व्याख्या में इसके बाद इस प्रकार से ऋण के आँके गयी राशि को ऋण का यथार्थ मूल्य कहा गया है) , या

(तीन) किसी व्यक्ति द्वारा दिखाया गया शुद्ध होना जो धारा 16 या धारा 17 के अन्तर्गत आंके गये नकद धन से 75 से कम हो (व्याख्या में इसके बाद इस प्रकार से आंकी गये नकद धन कहा गया है) । तो ऐसे व्यक्ति को तब तक खंड (ग) के प्रयोजन के लिये परिसम्पत्तियों का विवरण छिपाने या परिसम्पत्तियों अथवा ऋण का गलत विवरण देने का दोषी समझा जायेगा। जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि परिसम्पत्ति का यथार्थ मूल्य या, यथास्थिति, ऋण को यथार्थ राशि या यथार्थ नकद धन न दिखाने में विफलता का कारण धोखे बाजी या नितान्त अथवा जानबूझ कर की गई उपेक्षा नहीं है ,

व्याख्या 2 -- खंड (तीन) के प्रयोजन के लिये–"] (234)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : विधेयक में सबसे अधिक विवादास्पद खंड वे हैं जिनमें दंड का आधार कर के बजाय स्वयं सम्पत्ति को बना दिया गया है। मैं कर अपवंचकों का पक्षपाती नहीं हूँ। परन्तु मैं यह भी नहीं चाहता कि ईमानदारी से मूल्याँकन करने वाले को भी कानून की जंजीर से जकड़ दिया जाये। सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं। अतः मेरे संशोधन का यह उद्देश्य है कि सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विभाग खोला जाना चाहिये जो प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति की सम्पत्ति का मूल्यांकन करे और उस मूल्यांकन से यदि आयकर अधिकारी सहमत न हों, तो वह इसके विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील करें। मेरा संशोधन तर्क सम्मत है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री नारायण दांडेकर : सबसे पहले मेरा यह अनुरोध है कि दंड का सम्बन्ध अपराध से होना चाहिये। अर्थात जिसने अधिक कर के अपवंचन का प्रयास किया हो उसे अधिक दंड दिया जाये और जिसने थोड़े से कर का अपवंचन किया हो उसे कम दंड दिया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कम से कम जुर्माना कर की राशि का आधा और अधिक से अधिक जुर्माना कर की राशि का दुगुना होना चाहिये। दूसरे संशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि मूल्यांकन के मामले में दो मत हो जाने मात्र के आधार पर यह न माना जाये कि अपराध किया गया है। मेरे तीसरे संशोधन का आशय उपखंड (ग) को बिल्कुल निकाल देने का है जो सम्पत्ति-कर की दर बढ़ाने से सम्बद्ध है।

Shri Kanwarlal Gupta : The very approach of Government for checking the evasion of tax is wrong. The Government is going on to empower itself more and more, but it never uses those powers for the purpose of putting an end to the practice of evasion. There are a number of penalty clauses. But how many of them have been put into practice.

Nobody has ever been prosecuted in our country. So this is wrong approach and it will pave way for dishonesty and corruption in your Department. The palms of the evaluators will be greased. So proper steps should be taken in this direction.

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं चाहता हूँ कि जो अपराध करे या सम्पत्ति छिपाये उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाये। परन्तु मूल्यांकन के मामले में दो मत होने मात्र से सम्पत्ति के मालिक को दंड दिया जाये और वह भी कड़े से कड़ा, यह बात समझ में नहीं आती। यदि किसी मामले में सम्पत्ति अधिकारी सम्पत्ति के मालिक के मूल्यांकन से सहमत नहीं हैं तो अधिकारी के मूल्यांकन के आधार पर कर ले लिया जाये। दूसरा सुझाव यह है कि सरकारी अधिकारी स्वयं मूल्यांकन करे और सम्पत्ति का मालिक यदि उसे कोई आपत्ति हो, उसके विरूद्ध उच्च अधिकारी के पास अपील करे। यदि किसी सम्पत्ति के मालिक ने अपनी कोई सम्पत्ति अपने विवरण में बिल्कुल भी सम्मलित नहीं की तो उस पर अवश्य ही अधिक जुर्माना होना चाहिये। परन्तु मूल्याँकन के सम्बन्ध में दो मत होने पर अत्यधिक जुर्माना करना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the Finance Minister is busy in getting max. powers of punishment. I raised the cases of three big persons who indulged wilfully in concealment and under valuation and the same have been proved. Will the hon. Minister assure us that these powers of punishment will be utilised against them? Those three persons are; Kila chand Dev chand, Amin Chand Piarelal, and Radhakrishna Rina. All these cases may be investigated. The Finance Minister's son had once done insurance work of Radhakrishan Rina.

Similarly the speeches of late Prime Minister Nehru and his other articles have been published and my friend Dr. Lohia raised the question of royalty accruing thereof. But the Law Minister stated here that no tax had been realised therefrom. So these are the two test cases for the Finance Minister whether he would take any action against them. If he does not take any action against them then nothing is going to come out of these powers of punishment obtained by the Finance Minister.

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जो बात माननीय सदस्य ने कहीं उनका यहां विषय से कोई सम्बन्ध नहीं था। जो भी व्यक्ति आय को छिपायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो।

स्वर्गीय श्री नेहरू की सम्पत्ति के बारे में किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने स्वयं अपनी सम्पत्ति का मूल्य जिसे 45,000 रु० का बताया था, बढ़ाकर 1,75,000 रु० कर दिया।

मैं दण्ड केवल दोषी व्यक्तियों को ही दूंगा। किसी के कहने से किसी दूसरे को दंड नहीं दिया जायेगा।

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 229, 230, 231, 232, 233 तथा 234 को सभा के मत के लिये रखता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16 —

पंक्ति 11 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

["(a) in section 5, —

(i) in sub-section (1), —"

"धारा 5 में (क)

उप-धारा 1 में (एक)"] (229)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 16 — पंक्ति 11 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायें :

[(1) after clause (xiv), the following clause shall be inserted with effect from the Ist day of April, 1969, namely : --

"(xv) fixed deposits under any scheme framed by the Central Government and notified by it in this behalf in the official Gazette, to the extent to which the amounts of such deposits do not exceed the maximum amount permitted to be deposited therein."

खंड (चौदह) के पश्चात् 1 अप्रैल, 1969 से निम्नलिखित खड जोड़ा जायेगा ; यथा --

"(पन्द्रह) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के जो इस प्रयोजन के लिये राजपत्र में अधिघोषित कर दी गई हो, अन्तर्गत निश्चित अवधि के लिये जमा राशी, उतनी राशी, तक जो उक्त योजना में निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक न हो :"] (230)

पृष्ठ 16, पंक्ति 12, —

[for "(1) substitute "(2)"

"एक" के स्थान पर '(दो)' रख दिया जाये] (231)

पृष्ठ 16, पंक्ति 14, —

[for "(ii)" substitute "(3)"

"(दो)" के स्थान पर "(3)" रख दिया जाये ।] (282)

पृष्ठ 16, —

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये :

['(ii) sub-section (2), after the words "not specified in", the words, brackets and figures" clause (xv) or" shall be inserted with effect from the Ist day of April, 1969.'

"(दो)" उपखंड 2 "में निर्धारित नहीं" शब्दों, कोष्ठकों तथा आंकड़ों के पश्चात् 1 अप्रैल' 1969 से खंड (पन्द्रह) "अथवा" जोड़ दिया जायेगा ।] (233)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 16, — पंक्ति 30 से 40 तक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें —

'(ii) for the existing explanation, the following Explanations shall be substituted namely:—

"Explanation 1 — Where, —

(i) the value of any asset returned by any person is less than seventy-five per cent of the value of such asset as determined in an assessment under section 16 or section 17 (the value so assessed being referred to hereafter in this explanation as the correct value of the asset), or

(ii) the value of any debt returned by any person exceeds the value of such debt as determined in an assessement under section 16 or section 17 by more than twenty-five per cent, of the value so assessed (the value so assessed being referred to here after in this Explanation as the correct value of the debt) or

(iii) the net wealth returned by any person is less than seventy-five per cent of the net wealth as assessed under section 16 or section 17 (the net wealth so assessed being referred to hereafter in this Explanation as the correct net wealth),

then, such person shall, unless he proves that the failure to return the correct value of the asset or, as the case may be, the correct value of the debt or the correct net wealth did not arise from any fraud or any gross or wilful neglect on his part, be deemed to have concealed the particulars of assets or furnished inaccurate particulars of assets or debts for the purposes of clause (c) of this sub-section.

Explanation 2.—For the purposes of clause (iii)—".

(दो) विद्यमान व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्यायें रख दी जायेंगी, यथा —

"व्याख्या 1 — यदि

(एक) किसी व्यक्ति द्वारा दिखाई गई किसी परिसम्पत्ति का वह मूल्य जो उस परि सम्पत्ति के धारा 16 और 17 के अन्तर्गत आंके गये मूल्य के 75 प्रतिशत से कम हो (व्याख्या में इसके बाद इस प्रकार से परिसम्पत्ति के आंके गये मूल्य को परिसम्पत्ति का यथार्थ मूल्य कहा गया है), या

(दो) किसी व्यक्ति द्वारा दिखाये गये ऋण की वह राशि जो धारा 16 और धारा 17 के अन्तर्गत आंके गये उसी ऋण की राशि से 25 प्रतिशत अधिक हो (व्याख्या से इसके बाद इस प्रकार से ऋण के आंके गये राशि को ऋण का यथार्थ मूल्य कहा गया है) , या

(तीन) किसी व्यक्ति द्वारा दिखाया गया शुद्ध होना जो धारा 16 या धारा 17 के अन्तर्गत आंके गये नकद धन से 75 से कम हो (व्याख्या में इसके बाद इस प्रकार से आंकी गये नकद धन कहा गया है) । तो ऐसे व्यक्ति को तब तक खंड (ग) के प्रयोजन के लिये परिसम्पत्तियों का विवरण छिपाने या परिसम्पत्तियों अथवा ऋण का गलत विवरण देने का दोषी समझा जायेगा । जब तक कि वह यह सिद्ध न करे कि परिसम्पत्ति का यथार्थ मूल्य या, यथास्थिति, ऋण को यथार्थ राशि या यथार्थ नकद धन न दिखाने में विफलता का कारण धोखे बाजी या नितान्त अथवा जानबूझ कर की गई उपेक्षा नहीं है,

व्याख्या 2 — खंड (तीन) के प्रयोजन के लिये —" (234)]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं अन्य संशोधनों को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

अन्य संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

The other amendments were put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 32 को संशोधित रूप में, सभा के [मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 32 as amended was added to the bill

खंड 33

1964 के अधिनियम संख्या 7 में संशोधन

सभापति महोदय : श्री रामावतार शर्मा, श्री दांडेकर और श्री पाटोदिया के संशोधन नियम बाह्य हैं।

श्री वैणी शंकर शर्मा के भी इसकी सीमा से बाहर हैं और नियम बाह्य हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं संशोधन संख्या 204 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : जिस समय यह कानून लागू किया था उस समय कुछ अधिक लाभ हो गया था और यह उसे निकालने के लिये था। परन्तु आज इस अधिकर के लिये कोई औचित्य नहीं है। इसे अब वापिस ले लेना चाहिये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : वित्त मंत्री जी ने अधिकर को 35 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया है। परन्तु इसे बिल्कुल हटा देना चाहिये।

डा० रानेनसेन (बारसाट) : मेरी समझ में नहीं आता कि अधिकर को क्यों कम किया जाये। जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिये क्योंकि मन्दी होते हुए भी धनी लोग काफी लाभ कमा रहे हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : अधिकर के बारे में मेरा कहना यह है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से इसे बिल्कुल हटा देना चाहिये ताकि देश का विकास शीघ्र ही हो।

श्री क० नारायण राव (बौब्बिली) : मेरे विचार में अधिकर की राशि कम करने का कोई औचित्य नहीं हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस पर ठीक प्रकार से विचार करेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : मैं विरोधी विचार धारा को भी सुनने के लिये तैयार हूँ। मैं चाहता हूं कि एकमत अच्छा है और मतभेद बुरा है। परन्तु कुछ बातों में मतभेदों पर भी विचार करना पड़ता है।

जहां तक अधिकर का प्रश्न है यह आपातकाल के समय लगाया था परन्तु अब क्योंकि मन्दी आ गई है, इसलिये इसे कम किया जा रहा है। राशि को कम न करने की बात अथवा इसे बिल्कुल हटा देने के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The motion was put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 204 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 33 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 33 was added to the bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 34 से 37 तक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 34 से 37 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 34-37 were added to the bill

सभापति महोदय : अब हम खंड 38 पर चर्चा करेंगे । उसपर कुछ संशोधन हैं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 22 पेश करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधित संख्या 81 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 205 तथा 206 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं अपना संशोधन संख्या 258 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांण्डेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 254,255,256,259 तथा 260 प्रस्तुत करता हुं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं उत्पादन शुल्कों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ बिना निर्माण किये तम्बाकू तथा बीड़ी को जन साधारण के व्यक्ति उपभोग करते हैं । इस लिये इस पर कोई शुल्क नहीं लगना चाहिये ।

शीतागारों पर भी सीमा से अधिक कर नहीं लगाना चाहिये । जो शीतागार बीजों के रखने तथा दवाई आदि को सुरक्षित रखने के लिये प्रयोग किये जाते हैं उन पर उत्पादन शुल्क नहीं लगना चाहिये ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : महोदय मैं अपने संशोधन संख्या 258 पर बोलना चाहता हूँ । शीतागार तथा शीतोष्ण-नियंत्रण मशीनरी के बारे में मेरा विचार यह है कि इन पर इस समय 75 प्रतिशत कर लगाया हुआ है । यह वस्तुऐं अब खाद्यान्न, डेरी तथा फोटो आदि सुरक्षित रखने के काम आती हैं । इस उद्योग में 35,000 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । यदि आपने इस पर अधिक कर लगाया तो यह उद्योग भी समाप्त हो जायेगा । इसके साथ साथ हमारे यहां रेडियो बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है, वह भी समाप्त हो जायेगा और हम पहले की भांति जापानी सामान का उपयोग करेंगे । इस कारण मैं चाहता हूँ कि यह शुल्क न लगाये जायें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मिठाई बनाने वाले उद्योग पर शुल्क नहीं लगाना चाहिये । मेरा तात्पर्य बड़े बड़े कारखानों से नहीं है अपितु छोटी दुकानों से है । यह वस्तुऐं छोटे छोटे बच्चे उपयोग करते हैं । मुझे पता चला है कि यह उद्योग पहले ही अपनी क्षमता से आधा कार्य कर रहा है । इसका एक कारण चीनी के भाव बढ़ाना है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस्पात की वस्तु बनाने के उद्योग पर भी अधिक शुल्क नहीं लगना चाहिये । इनकी बनी वस्तुओं का उपयोग अब गरीब तथा बीच के दर्जे के व्यक्ति करते हैं और इनका घाटा भी उन्हें ही उठाना होगा ।

इस लिये वित्त मंत्री जी मिठाई तथा इस्पात के कर शुल्क हटा दें ।

श्री दान्डेकर : महोदय तम्बाकू शुल्क के बारे में मैं श्री कोठारी का समर्थन करता हूँ । इसी प्रकार मै मिठाई उद्योग के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त का स्वागत करता हूँ ।

इस्पात उद्योग पर यदि कर लगाना ही है तो वह नाम मात्र ही अर्थात 10 प्रतिशत हो ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : समुद्र से निकाले जाने वाले खाद्यान्न के बारे में हमारा मुकाबला 130 देशों से है । यदि शीतागार के यन्त्रो पर कर लगाया तो समझो हमारे लिये यह मुकाबला कठिन हो जायेगा ।

इस्पात के शुल्क से भी अस्पतालों, स्कूलों तथा कालेजों के फर्नीचर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, I support the taxes levied by the hon. Minister on luxury goods like air conditioners refrigerators etc which are used by the people in big business. I also support the duty on tobacco as it affects People's health.

श्री श्रीनिवास मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जनता को खाने का सामान तो दे नहीं सकी, इस कारण जनता तम्बाकू से अपना समय गुजारते हैं । इस लिये तम्बाकू पर शुल्क नहीं होना चाहिये । इसलिये आप उन्हें अच्छा भोजन, रोजगार तथा शिक्षा दें ताकि उनकी यह आदत कम हो जाये ।

श्री क० नारायण राव : मिठाई बनाने वालों को दी गई रियायत का अच्छा प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है क्योंकि जिन मिठाइयों पर शुल्क कम किया है तथा दूसरी मिठाईयों में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता । इस लिये कुछ उत्पादकों को ही इसका लाभ होगा ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : महोदय जिस चाकलेट को निर्धन लोगों के बच्चे खाते हैं उनपर शुल्क नहीं होना चाहिये । आप धनी लोगों के बच्चों की कैडबरी नाम की चाकलेट पर चाहे शुल्क बढ़ा दो ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस्पात में छोटे निर्माताओं द्वारा तैयार किये जाने वाले सामान पर छूट के लिये कह रहा था न कि गॉडरेज तथा बौयस पर से ।

श्री मोरारजी देसाई : इस्पात के सम्बन्ध में छोटे उत्पादकों को मैंने पहले ही बहुत रियायत दे दी हैं । 50,000 रु० तक के उत्पादन पर कोई शुल्क नहीं हैं ।

मिठाइयों के बारे में भी 20 टन तक कोई शुल्क नहीं है । उससे आगे है । मिठाईयों का उपयोग निर्धन लोग नहीं करते हैं ।

मैं किसी मान के कारण कोई कार्य करने से विरोध नहीं करता ।

शीतागार उत्पादन आदि के बारे में यदि आप मुझे कोई विशेष क्षेत्र बतायें जिस पर प्रभाव पड़ा है तो मैं विचार करने के लिये तैयार हूँ ।

बीड़ी शुल्क का प्रभाव उत्पादकों पर पड़ेगा न कि उपभोक्ताओं पर । इलैक्ट्रानिक सामान में यदि और तस्करी हुई तो हम कार्यवाही करेंगे मैं सब संशोधनों का विरोध करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 38 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 38 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 39 से 43 पर कोई संशोधन नहीं हैं । अब मैं उन सब को एक साथ मतदान के लिये रखता हूँ ।

श्री मी० रु० मसानी : मैं खंड 41 का विरोध करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब मैं खण्ड 39 और 40 मतदान के लिए रखूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): महोदय मैं, खण्ड 39 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं। खण्ड 39 कसीदे के काम पर कर लगाने के सम्बन्ध में है। छोटी इकाइयों को बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें साधारणतया उस कपड़े पर कर देना पड़ता है जिसे वे खरीदती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें नवीनतम कर निर्धारण के प्रस्ताव के अनुसार कर देना होगा। इसलिए छोटी इकाइयों पर, जिनमें एक या दो मशीनें हैं, काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय अधिकारी ने नेपाल में कसीदे का बहुत बड़ा उद्योग स्थापित किया है। नेपाल में लोग कोई कर नहीं देते और सारे कपड़े को भारत में आने दिया जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप हमारी इकाइयों को नेपाल की इकाइयों से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। इस मामले में कुछ किया जाना चाहिये अन्यथा नेपाल की मिलों की तुलना में हमारी भारतीय इकाइयों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उप-प्रधान मंत्री अपने विचार को छोटी इकाइयों तक, जिनमें एक या दो मशीनें हैं, सीमित रख सकते हैं। मैं उनसे अपील करती हूं कि वह इसकी जांच करें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं अवश्य ही इस मामले की जाँच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 39 और 40 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 39 और 40 विधेयक में जोड़े गये

Clauses 39 and 40 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 41 पर आते हैं।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : खण्ड 41 में मोटर स्पिरिट और डीजल तेल पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। डीजल तेल और पेट्रोल हमारी परिवहन प्रणाली के मूल आधार है। सड़क परिवहन पर पहले ही बहुत अधिक कर लगाया जा चुका है। मूल्यों को कभी गिरने नहीं दिया जाता है। जब तेल कम्पनियां अच्छा काम भी करती हैं तब भी उन्हें कोई छूट नहीं दी जाती और उपभोक्ता को भी कोई लाभ नहीं होता है और सरकार सारा धन ले लेती है। यह बात उपभोक्ता के विरुद्ध है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सम्भवतयः भारतीय तेल कम्पनियों को संरक्षण देने, एकाधिकार कायम करने और रेलवे को संरक्षण देने की दृष्टि से यह सब किया जा रहा है। मोटर सिपरिट और डीज़ल तेल के मूल्य कम कर दिये जाने चाहिये ताकि इस देश में परिवहन का विकास हो सके।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : उद्योगों में ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह कर-निर्धारण की कोई अच्छी योजना नहीं है कि जो तेल कम्पनियां अतिरिक्त मुनाफा कमा रही हैं उन्हें भी भारतीय कम्पनियों के स्तर पर रखा जाये।

श्री मोरारजी देसाई : हम उपभोक्ता से कुछ नहीं ले रहे। केवल कम्पनियों से ले रहे हैं। वे मूल्य कम नहीं करतीं। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : इस खण्ड का कोई संशोधन नहीं है। इसे मैं मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि खण्ड 41 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted
खण्ड 41. विधेयक में जोड़ा गया
Clause 41 was added to the Bill
खण्ड 42 और 43 विधेयक में जोड़े गये ।
Clauses 42 and 43 were added to the Bill
खण्ड 44—1956 के अधिनियम 74 का संशोधन

श्री नारायण दाडेकर : मैं संशोधन संख्या 263 को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 131 को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 261 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 81, 82, 83, 84, 85 और 86 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 210 और 211 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : सेवा शुल्क की दरों को बढ़ाकर हम डाक विभाग की कमियों को पूरा करने का चाहे हम कुछ भी प्रयत्न करें, इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि पोस्ट-कार्ड, पैकेट्स तथा रजिस्टर्ड समाचार पत्रों पर डाक दरें बढ़ाई जायें । प्रस्तावित वृद्धि समाप्त करनी होगी । क्योंकि इसमें कोई औचित्य नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The price of post card and the inland letter should be fixed at 6 and 12 paisa respectively. The proposed increase in the pricse of these items would hit the common people hard. The Dy. Prime Minister should look into it.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : डाक दरों में प्रस्तावित वृद्धि समाज पर एक बड़ा बोझ ही नहीं है बल्कि मैं समझता हूँ कि सरकार को जितना राजस्व दरों में वृद्धि से मिलने की आशा है उतना सरकार डाक विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाकर प्राप्त कर सकती थी । पिछले दो से अधिक वर्षों से अकुशलता इतनी बढ़ गई है कि अधिकांश डाक वस्तुओं पर कम टिकटें लगाई जाती हैं । अपेक्षाकृत कम मूल्य के टिकट लगाने की घटनाओं को नहीं रोका जा रहा है और इस प्रकार शुल्क में पड़ने वाले अन्तर को वसूल किये बिना ही सामान भेज दिया जाता है । ऐसा मुझे निजी रूप से अनुभव है । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि समाज से अधिक वसूल करने के बजाय कार्यकुशलता को सुधारा जाये और उचित रकम वसूल की जाये ।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफों के पुराने मूल्य बने रहने चाहियें । इनके मूल्य में वृद्धि का जनसाधारण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । आशा है मंत्री महोदय इसमें नरमी बर्तेंगे क्योंकि यह साधारण जनता का प्रश्न है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; The increase in the postal rates will make it impossible for common poor people to correspond with others. At least the old rates of post cards and letter card should be retained.

श्री श्रीनिवास मिश्र : वित्त मंत्री तथा संचार मंत्री इस मामले में उदार नहीं हैं । इस-लिए मैं विरोधात्मक कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : डाक सेवाओं को आवश्यक सेवा समझा जाता है । कानून में विशेष उपबन्ध हैं कि आयात स्थितियों और अवैध हड़तालों की अवस्था में भी जारी रखा जाता है । यदि हम एक या दो वर्षों में एक बार डाक शुल्क बढ़ाते चले जायेंगे तो

यह व्यापारिक सेवा हो जायेगी और उसमें बड़ी अव्यवस्था आ जायेगी क्योंकि डाक विभाग में घाटे का कारण कुप्रबन्ध या प्रबन्ध का अभाव है। बहुत से डाक कर्मचारी अनावश्यक हैं। निम्न स्तर के डाक कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता है और उच्चतम स्तर पर कर्मचारी फालतू है और उन्हें अधिक वेतन दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप पोस्टकार्ड और पत्रों का मूल्य बढ़ाया जाता है जिससे निर्धन लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कम से कम पोस्टकार्ड के प्रस्तावित मूल्य में कमी की जाये।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफों की दरों में वृद्धि से जनसाधारण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन मदों पर वित्त मन्त्री को पुनः विचार करना चाहिये और इनकी पुरानी दरें बनी रहने दी जानी चाहियें।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : सम्पूर्ण राष्ट्र वित्त-मंत्री से आशा करता है कि वह डाक दरों में प्रस्तावित वृद्धि नहीं करेंगे। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ किया है और उन्हें निर्धन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

Shri Madhu Limaye : A free vote should be taken on this.

श्री सोनावने (पठरपुर) : मैं सोचता था कि वित्त मंत्री पोस्टकार्ड के मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि नहीं करेंगे क्योंकि इसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आशा है वह पुनः इस पर विचार करेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : मैं यह नहीं चाहता कि यह विभाग सदा घाटे में चलता रहे, विशेषकर उस स्थिति में जब हम डाक सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध करना चाहते हैं। अतः हम प्रस्तुत संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा संशोधन संख्या 131 पृथक रूप से रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं संशोधन संख्या 131 के अतिरिक्त सभी संशोधन मतदान के लिए रखता हूं

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 131 मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 47 और विपक्ष में 110

Ayes 47 Noes 110

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड संख्या 44 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 44 was added to the Bill

प्रथम अनुसूची

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 23, 24 तथा 25 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री रामावतार शर्मा : मैं संशोधन संख्या 47, 48, 54 तथा 55 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 तथा 94 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन सख्या 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 तथा 151 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 152 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 169, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 193, 194 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 271, 272, 282, 292, 293, 294, तथा 295 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा यह सुझाव है कि 10 प्रतिशत अधिभार को, यदि सम्भव हो तो इस वर्ष से ही, अन्यथा अगले वर्ष से समाप्त कर दिया जाये । जो आय-समूह अब विद्यमान हैं, वे अब से 20 वर्ष पूर्व बनाये गये थे । उनमें संशोधन किया जाना चाहिये और मध्य वर्गीय लोगों को अधिक सुविधा दी जानी चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : My amendment is the minimum limit in case of individuals and Hindu undivided family should respectively be increased from Rs. 4000/- to Rs. 5000/- and from Rs. 7000/- to Rs. 8000/-. It will benefit four to five lakh assessees. The receipt from these persons is less than the collection charges incurred thereon. I, therefore, request that my amendment should be accepted.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मेरे संशोधन का आशय भी यही है कि न्यूनतम सीमा को 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया जाये । इसके पक्ष में मैं यह तर्क देना चाहता हूँ कि 1966 में 4000 रुपये की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई थी और उसके बाद से मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस दृष्टि से भी यह उचित प्रतीत होता हैं कि न्यूनतम सीमा बढ़ाई जाये ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मेरे संशोधन अधिभार हटाने, पंजीकृत फर्मों के करों की दर में कमी करने के सम्बन्ध में हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं संशोधनों का विरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : अब पहली अनुसूची के संशोधनों पर मतदान होगा ।

अध्यक्ष द्वारा पहिली अनुसूची के संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि पहली अनुसूची विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई ।

The First Schedule was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : दूसरी अनुसूची के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है : "कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई ।

The Second Schedule was added to the Bill.

तीसरी अनुसूची

श्री स्वतंत्र सिंह : मैं संशोधन संख्या 26 और 27 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैं संशोधन संख्या 95, 96 और 97 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर : संशोधन संख्या 154, 156, 157 और 182 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री न० कु० सोमानी : (नागपुर) मैं संशोधन संख्या 183, 184 और 186 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 189, 190 और 191 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

पृष्ठ 53, – पंक्ति 22 के पश्चात् "23 section 139" "23, धारा 139" जोड़ दी जाये ।

उप-धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायें ।

"(4) (a) Any person who has not furnished a return within the time allowed to him under sub-section (1) of sub-section (2) may before the assessment is made furnish the return for any previous year at any time before the end of the period specified in clause (b), and the provisions of clause (iii) of the provison to sub-section (i) shall apply in every such case.

(b) The period referred to in clause (a) shall be

(i) where the return relates to a previous year relevant to any assessment year commencing on or before the Ist day of April, 1967, four years from the end of such assessment year;

(ii) where the return relates to a previous year relevant to the assessment year commencing on the Ist day of April, 1968 three years from the end of the assessment year.;

(iii) where the return relates to a previous year relevant to any other assessment year, two years from the end of such assessment year."

(4) (क) जिस व्यक्ति ने अपनी आय का विवरण उपधारा (1) या उप–धारा (2) के अन्तर्गत उसके लिये अनुमित निश्चित समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया हो, वह कर निर्धारण किये जाने से पूर्व, खण्ड (ख) में निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी पहले वर्ष का आय विवरण प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसे प्रत्येक मामले में उप-धारा (1) के परन्तु क के खन्ड (तीन) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित अवधि निम्नलिखित होगी :

(एक) जहां आय विवरण का सम्बन्ध किसी ऐसे पूर्व वर्ष से हो जो 1 अप्रैल, 1967 को या कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष पहले शुरु होने वाले कर निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध हो;

(दो) जहां आय विवरण का सम्बन्ध किसी ऐसे पूर्व वर्ष से हो जो 1 अप्रैल, 1968 को या कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के पहले शुरु होने वाले कर निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध हो;

(तीन) जहां आय विवरण का सम्बन्ध किसी ऐसे पूर्व वर्ष से हो जो ऐसे किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध हो, जिसे ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर दो वर्ष हो गये हों ।] (235)

पृष्ठ 53, पंक्ति 23,—"23" के स्थान पर "24" रख दिया जाये । (236)

पृष्ठ 53, पंक्ति 29,-- "24" के स्थान पर "25" रख दिया जाये । (237)

पृष्ठ 54, पंक्ति 1, -- "25" के स्थान पर "26" रख दिया जाये । (238)

अध्यक्ष द्वारा तीसरी अनुसूची के संशोधन संख्या 26. 27. 95, 96, 97, 154, 156, 157, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190 और 191 सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

[पृष्ठ 53, —पंक्ति 22 के पश्चात् '23 Section 139' '23, धारा 139' जोड़ दी जाये ।

उप-धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायें :

(4) (a) Any person who has not furnished a return with in the time allowed to him under sub-section (1) of sub-section (2) may before the assessment is made furnish the return for any previous year at any time before the end of the period specified in clause (b), and the provisions of clause (iii) of the proviso to sub-section (1) shall apply in every such case.

(b) The period referred to in clause (a) shall be

(i) where the return relates to a previous year relevant to any assessment year commencing on or before the Ist day of April, 1967 four years from the end of such assessment year;

(ii) where the return relates to a previous year relevant to the assessment year commencing on the Ist day of April, 1968, three years from the end of the assessment year;

(iii) where the return relates to a previous year relevant to any other assessment year, two years from the end of such assessment year."

(4) (क) जिस व्यक्ति ने अपनी आय का विवरण उपधारा (1) या उप-धारा (2) के अन्तर्गत उसके लिये अनुमित निश्चित समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया हो, वह कर निर्धारण किये जाने से पूर्व, खण्ड (ख) में निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी पहले वर्ष का आय विवरण प्रस्तुत कर सकता है, और ऐसे प्रत्येक मामले में उप-धारा (1) के परन्तुक के खण्ड (तीन) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित अवधि निम्नलिखित होगी :

(एक) जहां आय विवरण का सम्बन्ध किसी ऐसे पूर्व वर्ष से हो जो 1 अप्रैल, 1967 को या कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष पहले शुरु होने वाले कर निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध हो,

(दो) जहाँ आय विवरण का सम्बन्ध किसी ऐसे पूर्व वर्ष से हो जो 1 अप्रैल, 1968 को या कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के पहले शुरु होने वाले कर निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध हो;

(तीन) जहाँ आय विवरण का सम्बन्ध किसी ऐसे पूर्व वर्ष से हो, जो ऐसे किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष से सम्बद्ध हो, जिसे ऐसे कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर दो वर्ष हो गये हों।]

(235)

पृष्ठ 53, पंक्ति 23, – "23" के स्थान पर "24" रख दिया जाये। (236)

पृष्ठ 53, पंक्ति 29, – "24" के स्थान पर "25" रख दिया जाये। (237)

पृष्ठ 54, पंक्ति 1, – "25" के स्थान पर "26" रख दिया जाये (238)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

The Third Schedule, as amended, was added to the Bill.

चौथी अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : चौथी अनुसूची के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"चौथी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ी गयी।

The Fourth Schedule was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये

Clause 1, the Enacting formule and the title were added to the Bill

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। तीसरे वाचन में चर्चा केवल सामान्य बातों तक ही सीमित रहेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, the hon. Minister stated about the refund vouchers. But I want to inform him that inspite of his instructions and efforts

people have not got the refund vouchers in time. In many cases they have not been able to get them even after three to four years.

I can in this respect cite my own personal case. You stated that the department would pay interest if there was delay in the payment of refund. That interest too was paid in those cases where people know certain officials or if they could resort to corrupt practice. In 99% cases interest has not been paid. So unless some punishment is prescribed to the officers who delay things, things will not be solved.

The arrears should be eliminated in a phased programme. I would request you to accept the small cases straight away without wasting time and to concentrate only on big cases.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir, there is no provision in the Finance Bill and the Budget for the upliftment of backward areas. We should make special efforts for them. There should be a commission to study such things at district level.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The per capita income in North Bihar is not even half of the per capita for other parts of the country.

Due to fragmantation of land holdings the area of agricultural land per individual family was going down. Such families are not in a position to purchase tractors and other improved implements of agriculture. Some scheme should be formulated and according to which the family should be treated as a unit and they may be provided with tractors and other implements. Thereby the agricultural production can be increased. The Government can recover the money by charging rent from them.

There is a strong plea in the country that the centre should be made strong as the state Governments had failed to solve the problems. Therefore it should be found out whether we should have a unitary type of government. For this you can call a meeting of all political parties and ponder whether we will have to amend the constitution for it.

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : जो भी सुझाव सदन में दिये गये हैं सरकार ने उन पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया है। उनकी अवहेलना की गई तथा रद्द कर दिया गया।

यह आवश्यक हो जाता है कि गलती करने वालों को दंड दिया जाये परन्तु, ऐसा कानून भी पास करना चाहिये कि भले व्यक्तियों को संरक्षण मिले। हमारा कानून सब को बेइमान समझता है।

यह आवश्यक है कि हम करों सम्बन्धी सारी प्रक्रिया का सरलीकरण करें तथा एक ऐसा कानून बनायें।

Shri Kushak Bakula (Ladakh) : No attention has been paid to the Ladakh area and this is most unfortunate. In the year 1966-67 a provision of Rs. 65 Lakh only was made but during the year 1967-68 even that too has been reduced to Rs. 44 lakh. This small money will be most inadequate for a big area like Ladakh which is bigger than even Jammu and Kashmir. Even the condition of the towns of Leh and Kargil has not changed all these years.

For Ladakh we need water and hydro-electricity. It is most unfortunate that Government's policy with regard to Rambipur canal scheme and Kurbathan canal scheme is not clear although they were started in the First Five year Plan. I request that Karbathan canal scheme should not be abandoned merely on the plea that it was located in a

military area. Government can convert Leh and Kargil into beautiful towns but nothing has been done in this respect. I therefore request that concrete steps should be taken for the welfare of the people there.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; Mr. Deputy Speaker I want to speak about the economic policy and about the balanced development of the country. In the development of our country there was disparity in the per capita income between states. In certain states the per capita income was more than double of what it was in certain other states. I would like to know the Government's intention in this regard.

I want to bring to your notice one more fact which relates to the fact that the income of farmers in the irrigated areas was much higher than that of people in unirrigated areas. I would therefore request you that special attention should be paid to irrigation work.

At the time of taxing the agricultural income it should be remembered that the tax exemption limit on this income was higher than what it is on urban income so that no disincentive might be created. Also the revenue from taxation on agricultural iucome should be reseved for promotion of irrigational facilities. About 14 to 15 months have passed since thc Supreme Court passed certain orders in regard to restcration of seniority of certain officers in the Income Tax Department but the concerned department has not so far taken any action in the matter. If things are to take place with this speed then work regarding tax realisation and about the country's economy are bound to cause worry.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Sir, today I want to say something about Jabalpur. It was a developed and important city of Madhya Pradesh. When reorganisation of states took place this was proposed as the capital of the state. Now the people of the city demand that it should be made a B Class town. They have approached the government too several times in this connection, It is a just and reasonable demand of the people as Jabalpur fulfills all the conditions necessary for a B Class City. The government can make enquiries also whether Jabalpur fulfills those conditions or not and if it fulfills, it may be soon made a B Class city.

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : Sir, since the conflict with Pakistan in Jammu and Kashmir during the years 1947-48 the total loans and grants given by the Centre to that state upto March 1964 comes to Rs. 72 crores. But from April, 1964 to the end of March 1968 a sum of Rs. 90 crores has been given. The above sum of Rs. 72 crores was given during a period of 20 years but Rs. 90 crores have been given during a period of 4 years alone. In regard to foodgrains the centre never gave more than 15,000 tons but from April, 1964 to March 1968 they have given 5,80,000 tons. On lakhs of refugees in 1947-48 conflict we spent Rs. 7 crores. But in the 1965 conflict which involved about 60,000 to 70,000 people alone and was limited to some areas of Chamb, Jaurian and Poonch, a sum of Rs. 11 crores was spent.

I want that the jurisdiction of the Public Accounts Committee and Estimates Committee be extended to the state of Jammu and Kashmir. It does not go even against Article 370 of the constitution.

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir I support the Budget presented by the hon. Finance Minister. The Government should fulfil the assurance given by the ex-Finance Minister, Shri T.T. Krishnamchari that he would implement the recommendation of the Patel Commission regarding the two eastern districts of U.P. and provide adequate assistance for their development.

It does not relate to U.P. alone but it relates to Bihar too. The Government should see that more money was provided for improving the economic and financial conditions of the poor people. It should take stringent measures for the recovery of tax arrears from

the capitalists. It amounts to Rs. 100 crores. After recovering this sum the same should be spent on the poor.

Shri Nathu Ram Ahirwan (Tikamgarh): I want to invite the attention of the hon. Finance Minister to my constituency viz. Tikamgarh Chhatarpur. It is a backward area and has very little facilities of irrigation. If the construction of a canal from Rangoa dam to Chhatarpur was immediately taken in hand, the area would get water for irrigation. I also want that the electrification scheme of Tikamgarh district should be taken up immediately. That scheme would help in providing more irrigation facilities there.

Shri B.N. Kureel (Ramsanehighat): Mr. Deputy Speaker the richer states are becoming poor whereas the poorer states are becoming richer. The per capita in U.P. has been declining. In 1950-51 the per capita income in U.P. was Rs. 259.62 whereas in 1966-67 it came down to Rs. 227. During the year 1960-67 it came to Rs. 245.88 when the all India average was Rs. 310.00. In 1966-67 it came still down to Rs. 227.6 whereas the all India average was Rs. 313.00. So I request that special steps should be taken for improving the situation in U.P.

Due to implementation of family planning schemes U.P. has lost one parliamentary and five assembly seats. You kindly look into this aspect too.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परिभणि) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में जो सुझाव दिये गये हैं उनका कृषकों को कोई लाभ नहीं है। कृषि के कार्य में यह कमी रही कि हम 30 प्रतिशत भूमि से अधिक की सिंचाई नहीं कर सके और न ही हम उसकी नींव बांध सके। जो रियायतें कृषकों को दी जाती थीं, हमने वे भी उन्हें नहीं दी। इस प्रकार हमने कृषकों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाया। हमने उनके माल के पूरे दाम भी नहीं दिये। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय इन सब बातों पर विचार करें और अब नहीं तो अगले वर्ष कृषि के बारे में नीति निर्धारित करें जो कि सत्ता रूढ़ दल की आर्थिक नीतियों के अनुकूल हों।

The Deputy Prime Minister and the Finance Minister (Shri Morarji Desai): Sir, the Finance Bill is in its last stage. I admit that there is force in the arguments put forward by the members but I would like them to appreciate my difficulty too. It is true that strict punishment has been provided for in the law for tax evaders. I hope that people would co-operate with me and the provisions regarding punishment would not be misused.

It is also correct that the condition of farmers in the irrigated areas had improved. But it is not correct to say that the condition of farmers in non-irrigated areas had not improved. One can only say that it has improved but not to the extent as it has improved in irrigated areas. We are doing everything to extend the irrigated area. We want that atleast 50% of the land should come under irrigation.

Agricultural income tax is a state subject and centre cannot do anything about it. It requires amendment of the constitution when we broaded the subject with states. We found that they did not like it. Similar difficulties were encountered by the Deputy Chairman of Planning Commission when he took up this subject with states.

Reference has been made by Shri Madhu Limaye about the case of some income tax officers. I have been informed that Supreme Court has issued orders for implementation of its orders regarding one case before it meets in July after the summer vacations. I have issued orders that it should be done in June itself. But then there is a case of 900 other income tax officers. They are all to be dealt with separately.

The decision of the Supreme Court applies to all. But the case of these officers differed from one another. Every case has to be studied properly so that the matter might not again be taken up in a court. Thus some time has been taken in finalising the cases. It is hoped that these cases will be finalised before the end of June.

It will not be correct to say that nothing has been done for the development of Ladakh. The per capita expenditure on development in Ladakh has been more than that in the valley. I agree that more efforts should be made for the development of Ladakh but it has to be kept in mind that it cannot come upto the level of the plains so soon.

As regards the question of declaring Jabalpur as a B Class city, it can not be done on the basis of the 1961 census. There will be another census within a few years. The matter can be considered in that light.

It is true that the economic condition of Eastern U. P. is deplorable. Similar is the condition of North Bihar. We are giving enough financial aid. But the work has to be done vigorously in the State. If certain people want to do some work there and set up small scale industries, the Government of India will certainly help them to the extent possible.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किये जाये ।

प्रस्ताव पास हुआ ।
The motion was adopted

आधे घन्टे की चर्चा
HALF AN HOUR DISCUSSION

पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति
Situation in Frontier Areas

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The situation in the Eastern Frontier areas is explosive. The underground Nagas are getting arms from Portugal, South Africa, China and Pakistan. The Naga rebels have radio sets and anti-air craft guns. In Assam a large number of infiltrators have come. Inspite of such a delicate situation our government is complacent. If this attitude continues, we may lose that part of our territory.

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए ।**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

Three planes have landed on the morning of March 28 at about 10 on a kutcha air strip in a valley somewhere in Nagaland. These planes dropped weapons for the Naga rebels. Pakistani and Chinese planes came into Nagaland and Assam for dropping arms in jungles. These arms have been seized even by our Army personnel. But the Government wants to hide these things.

Certain foreign missionaries fuctioning in Nagaland have links with their counter parts in Pakistan who are in turn connected with the U. S. A. Thus the Government does not take action under U. S. Pressure-

It is highly wrong to have a cease-fire agreement with the underground rebels, who are not loyal to our country. The Government of Nagaland has become ineffective due to the wrong policies of the government of India. The government should deal with the situation firmly. The military should be given a free hand to deal with the Naga rebels. The cease fire agreement with the Nagas should be annulled.

A parliamentry committee should be sent to Nagaland to study the situation there. Then only full facts of the situation will come to light.

The government of Assam should also be allowed to function effectively. The infiltratorr should be thrown out.

We must tell Pakistan that their help to Naga rebels is a hostile act and conntrary to the Tashkent Agreement. If they do not stop their activities retaliatory measures would have to be taken.

The government should deal with the explosive situation in the Eastern Frontier Areas firmly. An assurance should be given that t he situation will be brought under control within four to six months.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : पिछले वर्ष जुलाई या अगस्त में अखबारों में समाचार छपे थे कि कुछ उड़न तश्तरियां असम में उतरी हैं। इस वर्ष मार्च में फिर यह खबर सुनी कि कुछ विमान नागालैंड में उतरे हैं। उपद्रवी नागा सभी प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय हमें आश्वस्त करेंगे कि मित्र नागाओं की संख्या और बढ़ाने तथा उपद्रवी नागाओं के प्रभाव को कम करने का पूरा प्रयास किया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : नागालैंड के प्रश्न पर, उसके सम्बन्ध में सरकारी नीति पर और वहां घटित घटनाओं की इस सभा में कई बार चर्चा हुई है। सरकार की ओर से कहने के लिए अब कोई नयी बात नहीं है।

मुख्य आलोचना यह है कि नागालैंड में स्थिति संतोषजनक नहीं है और सरकार तथ्यों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। यह आरोप सत्य नहीं है। हमने सदा नागालैंड की वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश की है। हमने कई बार कहा है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहां अपहरण तथा डकैती की अवैध घटनायें हो रही हैं और इस प्रकार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हो रहा है। किन्तु इस उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकारियों ने पर्याप्त कार्यवाही की है। स्थिति इतनी असंतोषजनक नहीं है जिस पर चिन्ता की जा सके।

कुछ गुमराह लोग चीन से सहायता माँग रहे हैं। यह एक नई बात है। यह बहुत जबरदस्त मामला हैं। उन्हें चीन या कहीं और जाने से रोकने तथा उनके इस देश में वापस आने को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा दल प्रयत्नशील हैं।

कठिन भू-प्रदेश के तथा अन्य बातों के कारण उस सीमा-प्रदेश को पूरी तरह सील लगा देना तो सम्भव नहीं है। लेकिन उनके आवागमन को रोकने के लिये नए कदम उठाये जा रहे हैं।

यह सच है कि पाकिस्तान विद्रोही नागाओं की सहायता कर रहा है। हमने पाकिस्तान से इसका विरोध किया है और कहा है कि यह ताशकन्द समझौते के विपरीत है। किन्तु उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने विद्रोही नागाओं की सहायता की है।

यह सच नहीं है कि नागालैंड सम्बन्धी नीति कमजोर है और असफल हागी। वास्तव में इससे लाभ हुआ हैं और बहुत से नागा यह स्वीकार कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान बात चीत द्वारा ही हो सकता है।

नागालैंड में विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में विस्तार में न जाकर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पहले वहां कुछ मिशनरियां थीं किन्तु अब एक भी नहीं है। एक बात यह भी कही गई है कि नागालैंड सरकार वहाँ की स्थिति पर नियन्त्रण करने में असमर्थ है, यह सच है कि वहां पर स्थिति बड़ी जटिल है और कभी-कभी वहां की सरकार के लिये उसे नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता हैं किन्तु जब भी राज्य सरकार ने वहां की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है तो उसे

आवश्यक सहायता दी गई है। यह बताना जनहित में नहीं है कि वहाँ स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिये कितनी सेना भेजी गई है और कितनी सेना की आवश्यकता है। हमें आशा है कि हम स्थिति पर काबू पा लेंगे।

जहाँ तक नागालैंड में विदेशों के जहाजों के उतरने का सम्बन्ध है इसका उत्तर प्रति रक्षा मंत्री महोदय देंगे।

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं पहले भी सभा में बता चुका हूँ तथा उसी बात को फिर दुहराना चाहता हूँ कि यह सूचना बिल्कुल निराधार है कि नागालैंड के किसी भाग में चीन या पाकिस्तान का कोई विमान उतरा है। इस सम्बन्ध में मैंने सूचना देने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध किया था कि वे इस बारे में पूरी जानकारी दें कि विदेशी विमान किस तारीख को उतरा था और कहाँ उतरा था। किन्तु उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। माननीय सदस्य को इस प्रकार की कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे वहां की जनता के मन में अनावश्यक ही किसी प्रकार का भय पैदा हो। माननीय सदस्य को इस प्रकार की बातें सभा में तभी उठानी चाहिये जब कि उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाय कि जो मामला वह सभा में उठा रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित है। सभा में माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों का जब खण्डन किया जाता है तो माननीय सदस्यों को उसे मान लेना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि सरकार वास्तविकता पर पर्दा डाल रही है। यदि वास्तव में माननीय सदस्य यह जानते हैं कि तथ्यों को छिपाया जा रहा है तो उन्हें स्वयं तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहिये।

मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वास्तव में इस प्रकार की कोई गम्भीर घटना होती है तो उसे सभा अथवा जनता से छिपाना देश के हित में नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैंने समय और स्थान के बारे में बता दिया था, अब तथ्यों का पता लगाना आपका काम है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा था कि कुछ अमरीकी लोगों का कुछ मिशनरी लोगों के साथ सम्पर्क है और वे स्थानीय जनता पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने नागालैंड में विदेशी विमान उतरने की मांग की बात भी कही है। किन्तु सरकार ने इन दोनों बातों का खंडन किया है अतः माननीन सदस्य को यदि इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो वह 2-3 मिनट में अपनी बात कर सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had stated on that day that here can be helicopters there but today I have stated that they were planes and not helicopters. Thus several members stated on that day that big planes cannot land there. I want to know from the hon. Minister whether there is any arrangement for landing of big planes in the Nagaland or not.

श्री स्वर्ण सिंह : यह भौगोलिक तथ्य है कि दीमापुर और कोहिमा में दो हवाई-अड्डे हैं और मैंने बताया कि वहां कहीं कोई चीनी, पाकिस्तानी अथवा अन्य कोई विदेशी विमान नहीं उतरा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I talked something else about christian missionaries and that has nothing to do with landing of any plane. The information received by the hon. Minister is not correct. I had asked that whether they will send some members of Parliament

there to find out the facts. I had asked about the dropping of arms but that has also not been answered.

सभापति महोदय : क्या आपको कुछ और कहना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे कुछ नहीं कहना हैं। उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। विमानों से हथियार गिराने वाली बात भी निराधार है।

सूती कपड़े के उत्पादन तथा विपणन के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : PRODUCTION AND MARKETING OF COTTON TEXTILES

सभापति महोदय : अब श्री दिनेश सिंह को सूती कपड़े के उत्पादन तथा विपणन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि वक्तव्य बहुत लम्बा है। क्या मंत्री महोदय उसे सभापटल पर रखेंगे।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूती कपड़े के उत्पादन तथा विपणन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1110/68**]

इसके पश्चात लोक-सभा बृहस्पतिवार, 2 मई, 1968/12 बैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 2nd May, 1968/12 Vaisakha, 1890 (Saka)